GORAKHPUR POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:-01-03-2024

आगामी लोकसभा चुनाव में पुलिस बल के ठहरने के लिये स्थानों का निरीक्षण करते एसएसपी डा.गौरव ग्रोवर।

नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में उम्रकैद

गोरखपुर (एसएनबी)। अनुसूचित जाति की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट गोविंद मोहन ने चौरी चौरा थाना क्षेत्र के डुमरी खास मेहदीपुर टोला निवासी अभियुक्त जफरुद्दीन को आजीवन कारावास एवं 74 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को चार साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक उमेश मिश्र का कहना था कि घटना 30 अक्टूबर 2016 की रात करीब सात से आठ बजे की है।अभियुक्त वादी की बच्ची बहन को लक्ष्मी पूजा देखने के दौरान बहला फुसलाकर कर थोड़ी दूर एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

ऐश्प्रा ने लगाया आरओ प्लांट एसएसपी ने किया लोकार्पण

गोरखपुर (एसएनबी)। ऐश्प्रा फाउंडेशन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में लगाये गये निःशुल्क आरओ व चिल्ड वाटर प्लांट का लोकार्पण एसएसपी गौरव ग्रोवर ने किया। सीओ कैंट अंशिका वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक हरिशंकर सिंह और ऐश्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के अनूप सराफ, वैभव सराफ और सौमित्र सराफ की उपस्थिति रही।

एसएसपी गौरव ग्रोवर ने ऐश्प्रा फाउंडेशन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अनफिल्टर्ड पानी में मौजूद क्लोरीन, एल्यूमीनियम और पारा जैसे रसायन सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अच्छी सेहत के लिए स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। दूषित जल पीने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आरओ वाटर प्लांट लगने से अब सभी को साफ पानी मिलेगा। ऐश्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के अनूप सराफ, वैभव सराफ और सौमित्र सराफ ने कहा कि ऐश्प्रा फाउंडेशन अपनी सामाजिक जवाबदेही और जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमेशा तत्पर है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, ऐश्प्रा फाउंडेशन ने यह कदम उठाया है। आने वाले समय में हम ऐश्प्रा फाउंडेशन की तरफ से सामाजिक व सामुदायिक विकास के अन्य कार्य भी करेंगे। रिजर्व पुलिस लाइन में लगा प्लांट प्रति घंटे 800 लीटर पानी शुद्ध करेगा।

ऐश्प्रा फाउंडेशन द्वारा पुलिस लाइन में लगाये गये आरओ व चिल्ड वाटर प्लांट का लोकार्पण करते एसएसपी डा.गौरव ग्रोवर साथ में सीओ कैंट अंशिका वर्मा, ऐश्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के अनूप सर्राफ व वैभव सर्राफ। फोटो : एसएनबी

मारपीट के मामले में पांच के खिलाफ केस

फुटहवा ईनार(एसएनबी)। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा गगड़ा (मिर्जवा सरदार)निवासिनी शीला पत्नी माधव ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप है कि अपने घर ईंट गिरवाने के दौरान गांव के रामचंद्र मौर्या की पुआल पर ट्रैक्टर ट्राली का पहिया चले जाने के कारण रामचन्द्र मौर्या, नीरज, तारामती, शत्रुधन,गुडिया उर्फ रेखा,व दो अज्ञात लोग भद्दी भद्दी गाली देने लगे जब गाली देने मना किया तो लाठी, डंडा, टांगी लेकर मेरे घर पर चढ़ गए।

आरोप है कि उक्त लोगो द्वारा जान से मारने की नियत से प्रथिनी के पति के सिर पर गम्भीर वार कर दिया तथा हाथ व पूरे शरीर पर बूरी तरह मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने आए मेरे लड़के, लड़की सहित कई लोगों को पीटा कर घायल कर दिया।घायल अवस्था में मेरे पति व गांव के सतेन्द्र को ईलाज के लिए सरकारी अस्पताल चौरी चौरा पहुंचे, डाक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया,घायलों की नाजुक हालत देख जिला अस्पताल के डक्टर भी तत्काल मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद व दो अज्ञात के विरुद्ध धारा, 147, 307, 325, 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई हैं।पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस प्रथम के प्रभाव में आकर उसका मुकदमा पहले दर्ज किया जबकि मेरा मुकदमा एक दिन बाद दर्ज हुआ है।पुलिस दोनो पक्षों से कुछ लोगो को हिरासत में मामले की जांच में जुट गई है।

■ पुलिस ने कई को हिरासत में लिया

पत्नी की हत्या के जुर्म में पति व देवर को उम्रकैद

गोरखपुर। दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने शाहपुर थाना क्षेत्र के लतीफनगर कालोनी पादरी बाजार निवासी अभियुक्त पति इरफान व देवर रिजवान उर्फ सोनू को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 57 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को दस माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्तता सौरभ श्रीवास्तव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी मेहंदी हसन वेलीपार थाना क्षेत्र के हरैया वगीचा टोला का निवासी है। उसने अपनी वहन परवीन की शादी दस वर्ष पहले अभियुक्त इरफान से की थी।शादी के वाद से ही अभियुक्त वादी की वहन परवीन को दहेज के लिए प्रताड़ित करता व मारता पीटता चला आ रहा था।22 अगस्त 2017 को अभियुक्तों ने वादी की वहन को जान से मार दिया और आत्महत्या करार देने की कोशिश किया।

बिछिया में एसटीपी के पास हटाया अतिक्रमण

गोरखपुर : गोइठोइया नाला परियोजना के अंतर्गत बिछिया कालोनी रेलवे पुल के पास बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निकट किए गए अतिक्रमण को राजस्व विभाग की टीम ने गुरुवार को ध्वस्त कर दिया। कुछ लोगों की ओर से इस कार्यवाही का विरोध किया गया लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण वे चुप हो गए। जल निगम के अधिकारियों की ओर से कुछ स्थानों पर अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण की शिकायत की गई है। जल्द ही उसे भी तोड़ा जाएगा। (जास)

नाले की जमीन पर निर्माण, प्रशासन ने तोड़ा

गोरखपुर (एसएनबी)। गोड़धोइया व अकोलवा नाला की जमीन कराये गये निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया।

प्रापर्टी डीलरों ने इसकी प्लाटिंग की थी। यहां पर एसटीपी लगाई जानी है। जलनिगम ने अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन को पत्र लिखा था। यहां पर हुए निर्माण से गोड़धोइया व अकोलवा का प्रवाह भी बाधित हो रहा था। राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे, जिससे कोई विरोध नहीं कर रहा। जलनिगम के अधिकारियों के मुताबिक कई लोगों ने नाले में निर्माण कराया है। इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई है।

सोनबरसा में अस्पताल संचालक पर केस

सोनबरसा(एसएनबी)। एम्स क्षेत्र के सोनवरसा बाजार मे बुधवार की शाम 530 बजे छेड़खानी व क्लीनिक पर तोड़फोड़ मामले मे पिपराईच क्षेत्र के एक गांव की युवती के माँ की तहरीर पर एम्स पुलिस ने क्लीनिक संचालक और डाक्टर के खिलाफ छेड़खानी व अन्य धाराओं मे केस दर्ज कर जाँच पड़ताल कर रही है।

युवती के माँ की तहरीर पर एक्शन

डॉक्टर व संचालक पर छेड़खानी व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस कर रही जांच

पिपराईच क्षेत्र के एक गांव की महिला बुधवार की शाम 5.30बजे अपनी बेटी के पैर मे लगे चोट को दिखाने के लिये सोनवरसा बाजार मे नहर पर स्थित ष्णा मेडिकल केयर पर गयी थी जहाँ पर इलाज के दौरान महिला की बेटी के साथ क्लीनिक संचालक और डाक्टर के द्वारा छेडखानी किया गया जिसमे एम्स पुलिस ने युवती के माँ की तहरीर पर पिपराईच क्षेत्र के बसडीला रौसढ़ निवासी कृष्णानंद विश्वकर्मा पुत्र नरसिंह विश्वकर्मा व एम्स क्षेत्र के बिशुनपुर खुर्द निवासी नित्यानंद यादव पुत्र सेतवान यादव के खिलाफ छेड़खानी व अन्य धाराओं मे केस दर्ज कर जाँच पड़ताल कर रही है।

गोलघर ही नहीं, दूसरी सड़कों से भी उठेंगे वाहन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़े करने की आदत है तो बदल लीजिए। अब सिर्फ गोलघर और बाआइपी रोड ही नहीं बल्कि सभी प्रमुख सड़कों पर ऐसे वाहनों की निगरानी की जाएगी। यातायात में बाधक बन रहे वाहनों को क्रेन की मदद से उठा लिया जाएगा और फिर जुर्माना भी वसूला जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए टेंडर जारी कर चयनित फर्म शिव कंस्ट्रक्शन को यह जिम्मेदारी सौंपी है। फर्म मार्च के पहले सप्ताह से काम शुरू कर देगी।

बेतरतीब और प्रतिबंधित क्षेत्र में खड़े वाहनों से वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि से नगर निगम को भी आमदनी होगी। अपर नगर

- **शहर की सभी प्रमुख सडकों पर बेतरतीब खड़े होने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई**
- **नगर निगम ने निजी फर्म को दी जिम्मेदारी, वसूली से निगम को भी होगी आमदनी**

आयुक्त निरंकार सिंह के मुताबिक शिव कंस्ट्रक्शन फर्म को क्रेन का टेंडर मिला है।

यह फर्म शहर के प्रमुख मार्गों के अलावा गली-मोहल्लों में सरकारी जमीनों पर लम्बे समय से पार्क किए जाने वाले वाहनों को भी उठाएगी। चार पहिया वाहन के लिए 1000 रुपये और दो पहिया वाहन के लिए 300 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रविधान किया गया है। नगर निगम को चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों से जुर्माने के तौर पर वसूली जाने वाली राशि का 91 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।

चयनित फर्म एक साल तक काम करेगी। कामकाज ठीक रहने पर काम की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

> यातायात व्यवस्था सुगम करने के साथ ही जाम से राहत दिलाने के लिए अब सभी प्रमुख सड़कों पर सख्ती की जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र व सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़े करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए निजी फर्म को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जुर्माना से मिली धनराशि का 91 प्रतिशत हिस्सा, नगर निगम को मिलेगा।
> **- गौरव सिंह सोगरवाल, नगर आयुक्त**

तीन अस्पताल सील, एक को दी चेतावनी

टीम के पहुंचते ही मचा हड़कंप, अनेक अस्पतालों में ताला लगाकर भाग गए संचालक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गुरुवार को चौरीचौरा, गोला व कौड़ीराम में निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। तीन अस्पताल अवैध पाए जाने पर उन्हें सील कर दिया गया। एक को चेतावनी दी गई। टीम के क्षेत्रों में पहुंचते ही हड़कंप मच गया। अनेक संचालक हास्पिटल में ताला लगाकर भाग गए।

शासन के निर्देश पर एसडीएम चौरीचौरा प्रशांत वर्मा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरदार नगर के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. हरिओम पांडेय व चिकित्सा शिक्षा एवं सूचना अधिकारी चंद्रशेखर भारती के साथ छपरा मंसूर गांव में एक खेत में संचालित किए जा रहे ऋषभ हास्पिटल पहुंचे। टीम के पहुंचने से पहले ही संचालक अस्पताल में ताला लगाकर भाग गया था। वहां से टीम रामपुर बुजुर्ग चौराहे पर पहुंची। वहां मां संतोषी मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन किया जा रहा था। संचालन करने वाला तथाकथित डाक्टर भाग गया। एसडीएम ने क्लीनिक को सील कर दिया। इसके बाद टीम ने सरदार नगर में प्रीति हास्पिटल की जांच की। एक तीमारदार ने बताया कि अस्पताल

सरदार नगर में प्रीति हास्पिटल की जांच करते एसडीएम चौरी चौरा प्रशांत वर्मा व सीएचसी के चिकित्साधिकारी डा. हरिओम पांडेय ● जागरण

के पीछे के हिस्से में रोगी भर्ती किये गए हैं। टीम ने पाया कि वहां छह रोगी भर्ती थे, जिसमें कुछ रोगियों का आपरेशन किया गया था। संचालक अस्पताल के पंजीकरण से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया। टीम ने भर्ती रोगियों को पीएचसी सरदार नगर व सीएचसी चौरीचौरा भेजकर हास्पिटल को सील कर दिया।

हिप्टी सीएमओ डा. एके सिंह के नेतृत्व में टीम ने गोला में प्रतिभा डेंटल क्लीनिक का निरीक्षण किया। संचालक पंजीकरण से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया। अस्पताल को सील कर चेतावनी दी गई कि बिना पंजीकरण कराए अस्पताल खोला गया तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में धर्मा हास्पिटल और एसआरके हास्पिटल को आयुष्मान भारत में योजना से संबद्ध करने के लिए निरीक्षण किया गया। टीम कौड़ीराम में बालाजी हास्पिटल पहुंची, यह अस्पताल क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के यहां से पंजीकृत पाया गया। वहां संचालित मेडिकल स्टोर भी पंजीकृत मिला। कौड़ीराम के रिया हास्पिटल में अवैध गर्भपात की शिकायत मिली थी। टीम ने हास्पिटल की जांच की लेकिन शिकायत से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला, दो प्रसवोत्तर मरीज भर्ती पाए गए। चिकित्सालय पर नियमित चिकित्सक डा. विवेक विशाल शुक्ल उपस्थित पाए गए। चेतावनी दी गई कि केवल गर्भपात एक्ट के अधीन पंजीकृत चिकित्सालय में ही गर्भपात किया जा सकता है अन्यथा की स्थिति में दंड का प्रविधान है।

कार्रवाई

शासन के निर्देश पर नियमित रूप से अस्पतालों की जांच की जा रही है। अब तक 42 अपंजीकृत अस्पताल सील किए जा चुके हैं। जो भी हास्पिटल अवैध पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान जारी रहेगा।

– डा. आशुतोष कुमार दूबे, सीएमओ

PIC: DAINIK JAGRAN I NEXT

हम हैं कानून...

गोरखपुर में पैडलेगंज से छात्रसंघ चौक की ओर जाने वाली इस रोड को देख लीजिए. आवारा पशुओं की वजह से यहां जाम लगा हुआ है. यह कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून हम ही हैं. वहीं नगर निगम के कैटल कैचर के दावों की भी यह तस्वीर पोल खोल रही है.

तीन अस्पताल सील, एक को दी चेतावनी

टीम के पहुंचते ही मचा हड़कंप, अनेक अस्पतालों में ताला लगाकर भाग गए संचालक

gorakhpur@inext.co.in

GORAKHPUR (29 Feb):स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गुरुवार को चौरीचौरा, गोला व कौड़ीराम में निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया. तीन अस्पताल अवैध पाए जाने पर उन्हें सील कर दिया गया. एक को चेतावनी दी गई. टीम के क्षेत्रों में पहुंचते ही हड़कंप मच गया. अनेक संचालक हॉस्पिटल में ताला लगाकर भाग गए.

खेत में या हॉस्पिटल

शासन के निर्देश पर एसडीएम चौरीचौरा प्रशांत वर्मा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरदार नगर के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. हरिओम पांडेय व चिकित्सा शिक्षा एवं सूचना अधिकारी चंद्रशेखर भारती के साथ छपरा मंसूर गांव में एक खेत में संचालित किए जा रहे ऋषभ हास्पिटल पहुंचे. टीम के पहुंचने से पहले ही संचालक अस्पताल में ताला लगाकर भाग गया था. यहां से टीम रामपुर बुजुर्ग चौराहे पर पहुंची. वहां मां संतोषी मेडिकल स्टोर पर छापा मारा. मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन किया जा रहा था. संचालन करने वाला तथाकथित डाक्टर भाग गया. एसडीएम ने क्लीनिक को सील कर दिया.

छह रोगी थे भर्ती

इसके बाद टीम ने सरदार नगर में प्रीति हास्पिटल की जांच की. एक तीमारदार ने बताया कि अस्पताल के पीछे के हिस्से में रोगी भर्ती किये गए हैं. टीम ने पाया कि वहां छह रोगी भर्ती थे, जिसमें कुछ रोगियों का आपरेशन किया गया था. संचालक अस्पताल के पंजीकरण से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया. टीम ने भर्ती रोगियों को पीएचसी सरदार नगर व सीएचसी चौरीचौरा भेजकर हास्पिटल को सील कर दिया.

दी गई चेतावनी

डिप्टी सीएमओ डॉ. एके सिंह के नेतृत्व में टीम ने गोला में प्रतिभा डेंटल क्लीनिक का निरीक्षण किया. संचालक पंजीकरण से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया. अस्पताल को सील कर चेतावनी दी गई कि बिना पंजीकरण कराए अस्पताल खोला गया तो विधिक कार्रवाई की जाएगी. इसी क्रम में धर्मा हास्पिटल और एसआरके हास्पिटल को आयुष्मान भारत में योजना से संबद्ध करने के लिए निरीक्षण किया गया. टीम कौड़ीराम में बालाजी हॉस्पिटल पहुंची, यह अस्पताल क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के यहां से पंजीकृत पाया गया. वहां संचालित मेडिकल स्टोर भी पंजीकृत मिला. कौड़ीराम के रिया हास्पिटल में अवैध गर्भपात की शिकायत मिली थी. टीम ने हास्पिटल की जांच की लेकिन शिकायत से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला, दो प्रसवोत्तर मरीज भर्ती पाए गए, चिकित्सालय पर नियमित चिकित्सक डॉ. विवेक विशाल शुक्ल उपस्थित पाए गए. चेतावनी दी गई कि केवल गर्भपात एक्ट के अधीन पंजीकृत चिकित्सालय में ही गर्भपात किया जा सकता है अन्यथा की स्थिति में दंड का प्रविधान है.

शासन के निर्देश पर नियमित रूप से अस्पतालों की जांच की जा रही है. अब तक 42 अपंजीकृत अस्पताल सील किए जा चुके हैं. जो भी हास्पिटल अवैध पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. अभियान जारी रहेगा.

- डॉ. आशुतोष कुमार दूबे, सीएमओ

गोलघर ही नहीं, अब दूसरी सड़कों से भी उठ जाएंगे वाहन

gorakhpur@inext.co.in

GORAKHPUR (29 Feb): सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़े करने की आदत है तो बदल लीजिए, अब सिर्फ गोलघर और वीआईपी रोड ही नहीं बल्कि सभी प्रमुख सड़कों पर ऐसे वाहनों की निगरानी की जाएगी. यातायात में बाधक बन रहे वाहनों को क्रेन की मदद से उठा लिया जाएगा और फिर जुर्माना भी वसूला जाएगा. नगर निगम ने इसके लिए टेंडर जारी कर चयनित फर्म शिव कंस्ट्रक्शन को यह जिम्मेदारी सौंपी है. फर्म मार्च के पहले सप्ताह से काम शुरू कर देगी.

बेतरतीब वाहन भी उठेंगे

बेतरतीब और प्रतिबंधित क्षेत्र में खड़े वाहनों से वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि से नगर निगम को भी आमदनी होगी. अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के मुताबिक शिव कंस्ट्रक्शन फर्म को क्रेन का टेंडर मिला है. यह फर्म शहर के प्रमुख मार्गों के अलावा गली-मोहल्लों में सरकारी जमीनों पर लम्बे समय से पार्क किए जाने वाले वाहनों को भी उठाएगी. चार पहिया वाहन के लिए 1000 रुपये और दो पहिया वाहन के लिए 300 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रविधान किया गया है. नगर निगम को चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों से जुर्माने के तौर पर वसूली जाने वाली राशि का 91 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा. चयनित फर्म एक साल तक काम करेगी. कामकाज ठीक रहने पर काम की अवधि बढ़ाई जा सकती है.

यातायात व्यवस्था सुगम करने के साथ ही जाम से राहत दिलाने के लिए अब सभी प्रमुख सड़कों पर सख्ती की जाएगी. प्रतिबंधित क्षेत्र व सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़े करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए निजी फर्म को जिम्मेदारी सौंपी गई है. जुर्माना से मिली धनराशि का 91 प्रतिशत हिस्सा, नगर निगम को मिलेगा.

- गौरव सिंह सोगरवाल,
नगर आयुक्त

पुलिस लाइन में ऐश्प्रा ने लगवाया आरो प्लांट

GORAKHPUR (29 Feb): ऐश्प्रा फाउंडेशन ने गोरखपुर रिजर्व पुलिस लाइंस में फ्री ऑफ कॉस्ट आरओ वॉटर प्लांट लगाया गया. इसका इनॉगेशन 29 फरवरी को आईपीएस एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने किया. इस दौरान आईपीएस अंशिका वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक हरिशंकर सिंह और ऐश्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के अनूप सराफ, वैभव सराफ और सौमित्र सराफ की उपस्थिति रही. आरओ प्लांट की क्षमता 800 लीटर प्रति घंटे व स्टोरेज क्षमता एक हजार लीटर की है. ऐश्प्रा फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने कहा कि पानी में मौजूद क्लोरीन, एल्युमिनियम और पारा जैसे रसायन सेहत पर बुरा प्रभाव डालती है. अच्छी सेहत के लिए स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए, दूषित पानी पीने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. आरओ वाटर प्लांट से अब सभी को साफ पानी मिलेगा. ऐश्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के अनूप सराफ, वैभव सराफ और सौमित्र सराफ ने कहा कि ऐश्प्रा फाउंडेशन अपनी सामाज के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमेशा तत्पर है.

एकला नाले में मिली युवक की लाश

घघसरा। गीडा थाना क्षेत्र के एकला में नाला में एक युवक का शव मिला। युवक की पहचान खजनी थाना क्षेत्र के छपिया निवासी मोनू खान (35) के रूप में हुई। वह कबाड़ बीनने का काम करता था। उसे शराब की लत थी। गुरुवार की सुबह उसका शव नाला में पड़े होने की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची उसकी मौसी सरैया निवासी गुड्डी देवी ने मोनू की पहचान की। लोगों ने आशंका जताई है कि वह कबाड़ बीनने की कोशिश में नाला में गिर गया।

बदमाशों के खिलाफ लूट का केस दर्ज

भटहट। पिपराइच क्षेत्र की आशा कार्यकर्त्री से चेन स्नेचिंग के मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ लूट का केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र के सोहसा निवासी सागर की पुत्री नन्दनी बुधवार को पिपराइच-बरगदही मार्ग पर हॉकर से रसोई गैस लेने गई थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो बदमाश उसके पास पहुंचे और उसके गले से झपट्टा मार कर चेन खींचते हुए फरार हो गए।

जमीन के विवाद में मारपीट व छेड़खानी का केस

घघसरा। गीडा थाना क्षेत्र के हरैया में जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर मारपीट से महिला से छेड़खानी के आरोप में कोर्ट के आदेश पर गीडा पुलिस ने एक नामजद व तीन चार अज्ञात पर गम्भीर धाराओं में केस दर्ज किया है। हरैया निवासी जावेद अहमद ने कोर्ट में शिकायत किया कि भूमि बैनामा के लिए 36 लाख रुपये दिए थे। वहीं भूमि देखकर बैनामा करने को कहा तो विपक्षी घर में घुसकर मारपीट, तोडफोड़, चोरी व महिला के साथ छेड़खानी किया।

अवैध रूप से संचालित अस्पताल और दो क्लीनिक सील,एसडीएम चौरीचौरा ने टीम के साथ की कार्रवाई

खेत में अस्पताल, टीम देख भागा झोलाछाप

- रामपुर में मां संतोषी क्लीनिक व सरदारनगर में प्रीति हॉस्पिटल सील
- गोला में दंतरोग क्लीनिक सील, कार्रवाई के डर से कई संचालक फरार

गोरखपुर, हिन्दुस्तान टीम। जिले में अवैध अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग का अभियान तेजी से चल रहा है। गुरुवार को विभाग की दो टीमों ने तीन अस्पताल व क्लीनिक को सील किया। टीम को देखकर खेत में अस्पताल चला रहा झोलाछाप शटर गिराकर भाग खड़ा हुआ। इस दौरान टीम ने दो अस्पताल संचालकों को नोटिस भी दी।

गुरुवार को एसडीएम चौरीचौरा प्रशांत वर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सरदारनगर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों व क्लीनिक पर छापेमारी की। टीम को छपरा मंसूर गांव के खेत में अस्पताल संचालित होने की सूचना मिली। अधिकारी वहां दल-बल के साथ पहुंचे। खेत में अपंजीकृत ऋषभ हॉस्पिटल संचालित मिला। हालांकि भनक लगने के कारण टीम के पहुंचने से पहले ही संचालक अस्पताल में ताला लगाकर फरार हो गया था। खेत में अस्पताल देखकर अधिकारी हैरान रह गए।

छपरा मंसूर गांव के खेत में बने इसी मकान में चलता है ऋषभ अस्पताल। ● हिन्दुस्तान

मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहा था अस्पताल : चौरीचौरा संवाद के मुताबिक छपरा मंसूर से टीम रामपुर 15 मील चौराहे पर पहुंची। यहां मां संतोषी मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। मेडिकल स्टोर की आड़ में एक व्यक्ति को अवैध रूप से क्लिनिक चलाते हुए पाया गया। प्रैक्टिस करने वाला कथित डॉक्टर तो फरार हो गया, लेकिन एसडीएम ने क्लिनिक को सील करा दिया।

गोला में छह अस्पतालों की जांच, एक सील : एडिशनल सीएमओ डॉ. एके सिंह के नेतृत्व में गोला क्षेत्र में छह अस्पताल व क्लीनिक की जांच की गई। जांच टीम सबसे पहले प्रतिभा डेंटल क्लीनिक पहुंची। क्लीनिक अपंजीकृत मिला। जिसके बाद उसे सील कर दिया गया। टीम गोला कस्बे में धर्मा हॉस्पिटल और एसआरके हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत में आबद्ध करने के लिए निरीक्षण किया। कौड़ीराम रोड स्थित श्री बालाजी हॉस्पिटल आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के यहां से पंजीकृत मिला। जानीपुर में कृष्णा मेडिकेयर सेंटर मिला। कौड़ीराम में रिया हॉस्पिटल पर अवैध गर्भपात की शिकायत मिली थी। जांच में कोई साक्ष्य नही मिले। संचालक को चेतावनी दी गई कि केवल गर्भपात एक्ट के अधीन पंजीकृत चिकित्सालय में ही गर्भपात किया जा सकता है।

बाहरी हिस्से में सन्नाटा पीछे भर्ती थे छह मरीज

टीम जब सरदारनगर में प्रीति हॉस्पिटल पहुंचीतो अस्पताल के बाहरी हिस्से में कोई मरीज नहीं मिला। पूछताछ में वहां मौजूद एक तीमारदार ने बताया कि मरीज अस्पताल के पीछे के हिस्से में भर्ती किए गए हैं। टीम को वहां छह मरीज भर्ती मिले। जिसमें कुछ का ऑपरेशन किया गया था। एसडीएम ने संचालक से अस्पताल से सम्बंधित कागजात मांगा, लेकिन वह नहीं दिखा सका। एसडीएम ने हॉस्पिटल को सील कराते हुए मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कराया। तारा हॉस्पिटल में संचालक ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है।

> तहसील क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रूप से अस्पतालों व क्लीनिक के संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं। जिसको ध्यान में रखकर यह कार्रवाई की गई है। आगे भी अवैध रूप से संचालित अस्पतालों व झोलाछाप के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
> -प्रशांत वर्मा, एसडीएम, चौरीचौरा

> जिले में कहीं भी अवैध या अपंजीकृत अस्पतालों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जांच अभियान लगातार चलेगा।
> -डॉ. आशुतोष कुमार दूबे, सीएमओ

ससुरालियों ने घर से निकाला, मुकदमा

बांसगांव। ससुरालियों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से भगा दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत पांच के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसा हरिहर की रहने वाली ज्योतिका चौहान पुत्री संजय चौहान ने मई 2023 को उसकी शादी खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम खुटहना निवासी दीपक बेलदार के साथ की थी।

गोरखपुर-बस्ती मंडल में सीआईएसएफ होगी तैनात

गोरखपुर में मतदान केंद्र का जायजा लेने पहुंचे एडीजी डॉ. केएस प्रताप कुमार।

चुनावी तैयारी

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गोरखपुर-बस्ती मंडल में लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को मिली है। शुक्रवार को गोरखपुर समेत सभी जिले में एक-एक कंपनी फोर्स पहुंच जाएगी जिसे विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित स्थान पर ठहराया जाएगा। स्थानीय थाना पुलिस के साथ सीआईएसएफ के जवान सुबह-शाम पैदल गश्त करेंगे।

फोर्स जहां पर ठहरेगी वहां सुरक्षा के साथ ही बिजली, शौचालय व पानी का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा सात मार्च को दूसरे चरण में एसएसबी की एक कंपनी गोरखपुर पहुंचेगी जिसे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाएगा।

वहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर लखनऊ में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए गुरुवार की शाम पुलिस अधिकारी लखनऊ रवाना हो गए। बैठक में चुनाव की तैयारियों के साथ आवश्यक गाइड लाइन जारी की जाएगी। लखनऊ जाने के पूर्व एडीजी, डीआईजी और एसएसपी ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इसको लेकर तीन चरण की बैठकें हो चुकी हैं। पहले राउंड की बैठक जनवरी माह में हुई थी। फरवरी में दो बार बैठक हुई।

पुलिस लाइन में आरओ वाटर प्लांट का उदघाटन करते एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर।

पुलिस लाइंस में आरओ प्लांट का लोकार्पण

गोरखपुर। ऐश्प्रा फाउंडेशन द्वारा गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन में निःशुल्क आरओ व चिल्ड वाटर प्लांट का लोकार्पण एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने किया। एसएसपी ने कहा कि ऐश्प्रा फाउंडेशन के द्वारा आरओ वाटर प्लांट लगाए जाने से लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा। ऐश्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के अनूप सराफ, वैभव सराफ और सौमित्र सराफ ने कहा कि फाउंडेशन सामाजिक जवाबदेही और जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमेशा तत्पर है। इसी कड़ी में पुलिस लाइन में 800 लीटर प्रति घंटे पानी शुद्ध करने वाले आरओ व चिल्ड वाटर प्लांट की स्थापना की गई है।

डॉक्टर के खिलाफ छेड़खानी का केस

सोनबरसा। एम्स क्षेत्र के सोनबरसा बाजार में स्थित क्लीनिक में छेड़खानी के मामले में पुलिस ने क्लीनिक संचालक व डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पिपराइच क्षेत्र के एक गांव की महिला बुधवार की शाम अपनी बेटी का इलाज कराने सोनबरसा बाजार में नहर पर स्थित क्लीनिक में गई थी।

महिला का आरोप है कि उपचार के बाद क्लीनिक संचालक व डॉक्टर ने बेटी के साथ छेड़खानी की। एम्स पुलिस ने युवती की मां की तहरीर पर पिपराइच क्षेत्र के बसडीला रौसड़ निवासी कृष्णानंद विश्वकर्मा व एम्स क्षेत्र के विशुनपुर खुर्द गांव के नित्यानंद यादव के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

टोल कर्मचारी ने महिला से की अभद्रता, हंगामा

- थाने पहुंच कर कर्मचारी ने माफी मांगी उसके बाद गई महिला
- नयसर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर हुआ विवाद

पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज की ओर से जा रही कार सवार महिला से टोल प्लाजा पर कर्मचारी ने अभद्रता कर दी। जिसपर महिला भड़क गई और आधे घंटे तक एक लेन में अपनी गाड़ी खड़ी करके हंगामा करती रही। अभद्रता करने वाले कर्मचारी ने थाने पहुंचकर माफी मांगी, तब महिला वहां से गई।

गुरुवार के दिन में करीब 11 बजे बस्ती जिले की एक महिला कार से पीपीगंज से गोरखपुर की तरफ जा रही थी। नयसर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर कर्मचारी से कहासुनी हो गई। आरोप है कि टोल प्लाजा के कर्मचारी ने महिला के साथ अभद्रता की। जिस पर महिला भड़क गई और गाड़ी खड़ी करके शोर मचाने लगी। टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने का प्रयास किया लेकिन महिला माफी की मांग पर अड़ी रही। उसके बाद कर्मचारी ने थाने पहुंचकर महिला से माफी मांगी। पीपीगंज थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम आनंद सिंह ने कहा कि कार सवार महिला से कर्मचारी की कहासुनी हो गई थी। कर्मचारी ने थाने पहुंच कर महिला से माफी मांगी।

बेटी से छेड़खानी का आरोपी पिता गिरफ्तार

गोरखपुर। गोरखनाथ इलाके में पिता और बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने के मामले में पुलिस ने आरोपित पिता को गुरुवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया है। बेटी ने अपने पिता पर छेड़खानी करने के साथ ही मारपीट कर उसकी आंख खराब करने का भी आरोप लगाया था। गोरखनाथ पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पिता के खिलाफ छेड़खानी, मारने पीटने व जानमाल की धमकी देने का केस दर्ज किया था।

जानकारी के अनुसार, गोरखनाथ क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि पिता उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं। सोमवार को भी उसके साथ छेड़खानी करते हुए बात नहीं मानने पर भाई और

- गोरखनाथ इलाके की घटना, पुलिस ने की कार्रवाई

मां को जान मारने की धमकी देने लगे। वह अक्सर मौका पाकर उसके साथ गलत हरकत करते हैं। अश्लील वीडियो भी जबरन दिखाते और मना करने पर मारते-पीटते है।

पिटाई से उसकी आंख खराब हो गई है। पहले तो वह पिता की हरकतों को सह लेती थी लेकिन जब वह हद पार करने लगे तो वे मजबूर होकर पुलिस से शिकायत की। पीड़िता की तहरीर पर गोरखनाथ पुलिस ने आरोपित पिता रामू के विरूद्ध केस दर्ज किया था।

दहेज हत्या में पति सहित दो को आजीवन कारावास

गोरखपुर। दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने शाहपुर थाना क्षेत्र के लतीफनगर कालोनी पादरी बाजार निवासी अभियुक्त इरफान व रिजवान उर्फ सोनू को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 57 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को दस माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी मेहंदी हसन बेलीपार थाना क्षेत्र के हरैया बगीचा टोला का निवासी है। उसने अपनी बहन परवीन की शादी दस वर्ष पहले अभियुक्त इरफान से की थी।

हवा में 'जहर' घोलने वाले 738 अवैध भट्ठों की बुझेंगी चिमनियां

■ नीरज मिश्र

गोरखपुर। गोरखपुर मंडल की हवा में जहर घोलने वाले अवैध ईंट-भट्ठों की चिमनियां बुझेंगी। मंडल में 738 ईंट-भट्ठों को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन ने अवैध घोषित कर रखा है। इनके पास ईंट भट्ठा चलाने की एनओसी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नहीं मिली है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से सबसे अधिक देवरिया में 226 और सबसे कम महराजगंज में 103 अवैध ईंट भट्ठे हैं। अब इन ईंट भट्ठों की नए सिरे से क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन की टीम जांच करेगी।

ईंट भट्ठों की चिमनी जलाने का समय फरवरी और मार्च के बीच होता है। इन ईंट भट्ठों को चलाने के लिए सबसे जरूरी है क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेना। अगर किसी भट्ठे के पास एनओसी नहीं है तो वह ईंट भट्ठा अवैध की श्रेणी में आता है। इसे लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नियम भी सख्त कर दिए हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण विभाग की ओर से एनओसी न मिलने के कारण गोरखपुर मंडल के देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर और गोरखपुर में 738 ईंट भट्ठे अवैध हो चुके हैं। इनमें सबसे अधिक 226 अवैध भट्ठे देवरिया, गोरखपुर में 215, कुशीनगर में 194 और महराजगंज में 103 हैं।

क्या है नियम

क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अवैध भट्ठों को वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31ए के तहत बंद कराया है। अगर ये भट्ठे चलते हुए पकड़े जाते हैं तो इन पर जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

442 कुल ईंट भट्ठे दर्ज किए गए हैं गोरखपुर जिले में

215 अवैध ईंट भट्ठे चिह्नित हैं गोरखपुर जनपद में

- मंडल में सबसे अधिक 226 अवैध भट्ठे देवरिया में
- सबसे कम 103 अवैध भट्ठे महराजगंज जिले में
- क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व प्रशासनिक टीम रखेगी नजर

मंडल में 738 अवैध भट्ठे चिह्नित किए गए हैं। इन अवैध भट्ठों को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एनओसी नहीं दी गई है। ये एनजीटी के मानकों पर खरे भी नहीं हैं। ऐसे भट्ठों की जांच की जाएगी कि कहीं ये चल तो नहीं रहे हैं। इसकी सूची भी प्रशासन को सौंपी गई है।

– अनिल कुमार शर्मा, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी, गोरखपुर

गोरखपुर मंडल में ईंट भट्ठों की स्थिति

जिला	वैध भट्ठे	अवैध भट्ठे	कुल भट्ठे
गोरखपुर	227	215	442
महराजगंज	180	103	283
कुशीनगर	109	194	303
देवरिया	121	226	347

इन भट्ठों की सूची क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिला प्रशासन को सौंपते हुए इन्हें पूरी तरह से बंद कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दावा है कि सभी अवैध भट्ठे पूरी तरह से बंद हैं। लेकिन, फरवरी और मार्च में चिमनी जलाने का समय होता है कि ऐसे में इन अवैध भट्ठों की जांच कराई जाएगी कि कहीं ये चोरी छिपे चल तो नहीं रहे हैं। इस काम में प्रशासन की भी मदद ली जाएगी।

टोल कर्मी पर अभद्रता का आरोप, महिला का हंगामा

पीपीगंज थाने में टोल कर्मचारी ने माफी मांगी, तब कार से गई महिला

अमर उजाला ब्यूरो

गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर स्थित नयनसर टोल प्लाजा पर हुई घटना

जंगल कौड़िया/पीपीगंज। गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर स्थित नयनसर टोल प्लाजा पर बृहस्पतिवार को एक महिला ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि टोल कर्मी ने अभद्रता करते हुए अपशब्द का प्रयोग किया। इसी बात पर महिला कार रोककर हंगामा करने लगी। बाद में पुलिस दोनों पक्ष को लेकर थाने आई। हालांकि, कर्मचारी के माफी मांगने पर महिला बिना तहरीर दिए ही चली गई और मामला शांत हुआ।

जानकारी के मुताबिक, पीपीगंज थाना क्षेत्र स्थित नयनसर टोल प्लाजा पर दोपहर में एक बजे के करीब बस्ती जिले की रहने वाली महिला कार से पीपीगंज से गोरखपुर की तरफ जा रही थी। उसी बीच टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर कुछ कर्मचारियों से कहासुनी हो गई। मामला बढ़ता देखकर टोल की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने महिला को काफी समझाने का प्रयास किया। बाद में कर्मचारी द्वारा थाने पर माफी मांगने पर महिला गई।

अश्लील हरकत करने का आरोपी पिता गिरफ्तार

गोरखनाथ इलाके में हुई घटना, पुलिस ने केस दर्ज कर की कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूरो

गोरखपुर। गोरखनाथ इलाके में युवती से अश्लील हरकत करने के आरोपी सौतेले पिता को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया।

जानकारी के अनुसार, गोरखनाथ क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि पिता उसके साथ अश्लील हरकत करता है। सोमवार को भी उसके साथ छेड़खानी करते हुए बात नहीं मानने पर भाई और मां को जान मारने की धमकी देने लगा। वह अक्सर मौका पाकर उसके साथ गलत हरकत करता है। अश्लील वीडियो भी जबरन दिखाता है और मना करने पर मारता पीटता है। उसकी पिटाई से आंख खराब हो गया है।

पहले तो वह पिता की हरकतों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब हद पार करने लगा तो मजबूर होकर पुलिस से शिकायत की। गोरखनाथ थाने में आरोपी सौतेले पिता पर केस दर्ज किया गया है। सीओ गोरखनाथ योगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी सौतेले पिता पर केस दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की है।

महाराष्ट्र के व्यापारियों ने हड़पा 38 लाख का माल, 11 पर केस

गोलघर का रहने वाला है पीड़ित व्यापारी, एसएसपी के आदेश पर कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूरो

गोरखपुर। गोलघर एक व्यापारी का 38 लाख रुपये का मैदा महाराष्ट्र के व्यापारियों ने हड़प लिया। व्यापारी की तहरीर पर कैंट पुलिस ने महाराष्ट्र में रहने वाले 11 लोगों पर जालसाजी कर रुपये हड़पने का केस दर्ज किया है।

गोरखपुर निवासी राजीव कुमार छापड़िया का कहना है कि सिद्धार्थनगर के उस्का बाजार के पकड़ी चौक में उनका मिल है। कंपनी का हेड ऑफिस गोरखपुर स्थित बेतियाहाता आवास विकास कॉलोनी में है। सिद्धार्थनगर के मिल से मैदा की बुकिंग गोरखपुर से होती है और मिल से मैदा लदकर हेड ऑफिस को सूचना दी जाती है। जब हेड ऑफिस से आदेश मिलता है तब ट्रक रवाना होती है, जहां पर मैदे की डिलेवरी देनी होती है।

कुछ रुपयों का भुगतान कर जताया था विश्वास, फिर की ठगी

तहरीर के आधार पर कैंट थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। जांच व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। - **कृष्ण कुमार बिश्नोई,** एसपी सिटी

मिल के हेड ऑफिस से साहिल आदिल शेख एवं आदिल बसीर शेख ने सारा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक ट्रक मैदा, जिसकी कीमत नौ लाख 26 हजार 500 रुपये होती है, आर्डर दिया और मैदा चला भी गया। इसी तरह अन्य लोगों ने भी मैदा लिया, लेकिन कुछ ही रुपये का भुगतान किया। आरोपियों ने मिलकर 38 लाख 50 हजार 46 रुपये आजतक बकाया लगा रखा है। मांगने पर अब आनाकानी करते हैं।

इन सभी ने पहले ट्रक से गए मैदा का कुछ रुपये का भुगतान कर दिया था, जिस वजह से विश्वास हो गया था। एसएसपी के आदेश पर कैंट थाने में नासिक, महाराष्ट्र की कंपनी सारा के साहिल आदिल शेख, आदिल बशीन शेख, जैनब इंटरप्राइजेज के अफजल अंसारी, अजमद वहजुद्दीन, वहजुद्दीन मोहम्मद रफी, मैहर ट्रेडिंग के वसीन अहमद, उम्र कंपनी के मोहम्मद तकी, मोहम्मद रजी, रायल ब्रेकर्स के जफर सदर, मुमताज और कैफ मुमताज पर केस दर्ज किया है।

जमीन बेचने के नाम पर 36 लाख की ठगी

गीडा। इलाके के हरैया नौसड़ निवासी जावेद अहमद से जमीन खरीदने के नाम पर 36 लाख रुपये की जालसाजी का मामला सामने आया है। पुलिस ग्राम हरैया निवासी तारिक, शाहनवाज, आरिफ, तनवीर और गुलरेज पर कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, जावेद ने दी तहरीर में लिखा है कि हरैया स्थित उनकी कृषि भूमि खरीदने के लिए 36 लाख में सौदा किया। रुपये का भुगतान भी कर दिया, लेकिन रजिस्ट्री बैनामा करने के समय इनकी चार बहने अपने हक हिस्से की मांग करते हुए बैनामा करने से मना कर दी। मुझसे अलग से 20 लाख रुपये की मांग करने लगीं। ब्यूरो

मकान खाली कराने गई टीम लौटी

मालिकाना हक जताने वाली महिला और किराएदार के बीच है विवाद

अमर उजाला ब्यूरो

गोरखपुर। कोतवाली इलाके के बक्शीपुर शेर कोठी स्थित एक मकान को बृहस्पतिवार दोपहर 3:30 बजे खाली कराने गई प्रशासन की टीम लौट गई।

मकान पर मालिकाना हक जताने वाली महिला और किराएदार के बीच विवाद है। मकान को अपना बताने वाली रूपा अग्रवाल आमरण अनशन पर बैठ गईं। देर शाम उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद बेटा उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। महिला ने न्याय न मिलने तक आमरण अनशन पर बैठने की बात कही है।

राजघाट के दीवान दयाराम की रहने वाली रूपा अग्रवाल पत्नी स्व. चंद्रप्रकाश अग्रवाल ने 2002 में भगवान भीटी गांव निवासी गंगा शरण सिंह को मकान किराए पर दिया था। वर्तमान में गंगा शरण के परिवार के राज नारायण सिंह का परिवार रहता है।

शेर कोठी के सामने धरने पर बैठे लोग। अमर उजाला

मामले की जांच के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने जब्त करने का आदेश जारी किया है। जिसके अनुपालन में प्रशासन की टीम गई थी। मामला कोर्ट में भी है। - **कृष्णा करुणेश,** डीएम

ऐश्प्रा ने लगवाया आरओ व चिल्ड वाटर प्लांट

पुलिस लाइंस में ऐश्प्रा फाउंडेशन की तरफ से लगाया गया वाटर कूलर। संवाद

गोरखपुर (वि)। ऐश्प्रा फाउंडेशन की ओर से बृहस्पतिवार को रिजर्व पुलिस लाइंस में निशुल्क आरओ व चिल्ड वाटर प्लांट का लोकार्पण एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने किया। इस दौरान आईपीएस अंशिका वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक हरिशंकर सिंह और ऐश्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के अनूप सराफ, वैभव सराफ और सौमित्र सराफ भी मौजूद रहे। एसएसपी ने कहा कि अनफिल्टर्ड पानी में मौजूद क्लोरीन, एल्यूमीनियम और पारा जैसे रसायन सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अच्छी सेहत के लिए स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। दूषित जल पीने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आरओ वाटर प्लांट लगने से अब सभी को साफ पानी प्राप्त होगा। ऐश्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के अनूप सराफ, वैभव सराफ और सौमित्र सराफ ने कहा कि ऐश्प्रा फाउंडेशन अपनी सामाजिक जवाबदेही और जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमेशा तत्पर है। इसी क्रम में जनहित को ध्यान में रखते हुए, ऐश्प्रा फाउंडेशन ने यह कदम उठाया है। आने वाले समय में हम ऐश्प्रा फाउंडेशन की तरफ से सामाजिक व सामुदायिक विकास के अन्य कार्य भी शीघ्र ही निष्पादित करेंगे।

वसूली के आरोपी सहायक चकबंदी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का केस

अमर उजाला ब्यूरो

चौरीचौरा के गौनर गांव के किसान ने सीएम के जनता दर्शन में की थी शिकायत

चौरीचौरा (गोरखपुर)। वसूली के आरोप में निलंबित किए गए सहायक चकबंदी अधिकारी सुजीत कुमार श्रीवास्तव पर बृहस्पतिवार को चौरीचौरा थाने में भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया गया। सीएम के जनता दर्शन में एक किसान की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है।

गौनर गांव के मौनहा निवासी शंखधारी सिंह ने कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री जनता दर्शन में सहायक चकबंदी अधिकारी चौरीचौरा सुजीत कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ जमीन की पैमाइश के लिए रिश्वत लेते हुए फोटोग्राफ के साथ शिकायत की थी। विभागीय जांच के बाद सहायक चकबंदी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद सहायक चकबंदी अधिकारी उमाशंकर राव को निलंबित सहायक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश दिया। विभागीय जांच में निलंबित सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा काम करने के नाम पर शंखधारी सिंह से घूस का पैसा फाइल में लेते हुए का प्रमाण फोटोग्राफ से स्पष्ट हो रहा है।

तहरीर के आधार पर निलंबित सहायक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ चौरीचौरा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। जांच व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। - **जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव**, एसपी नार्थ

सड़क पर खड़ा किया वाहन तो उठा ले जाएगी क्रेन

आवागमन में बाधा बन रहे वाहनों को उठाने के लिए निगम ने फर्म का चयन किया

संवाद न्यूज एजेंसी

गोरखपुर। शहर की मुख्य सड़कों पर अब गाड़ी खड़ी की तो खैर नहीं। यातायात में बाधा बन रहे वाहनों को क्रेन उठा ले जाएगी और जुर्माना वसूलने के बाद ही उसे छोड़ा जाएगा।

वाहनों को उठाने के लिए नगर निगम ने फर्म का चयन कर लिया है। चयनित फर्म मार्च के पहले हफ्ते से काम करना शुरू कर देगी।

सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन अक्सर बनते हैं जाम का कारण

सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन अक्सर जाम का कारण बनते हैं। अब तक गोलघर की सड़कों पर बेतरतीब खड़े दो पहिया और चार पहिया वाहनों को क्रेन से उठा कर जुर्माना वसूला जाता है।

अब यह काम शहर की सभी मुख्य सड़कों पर होगा। बेतरतीब और प्रतिबंधित एरिया में खड़े वाहनों के उठाने से चयनित फर्म शिव कंस्ट्रक्शन द्वारा वसूल किए गए जुर्माना से नगर निगम को आमदनी भी होगी।

कार से 1000 व दो पहिया से 300 रुपये जुर्माना

अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि गोलघर समेत शहर की सभी मुख्य सड़कों से दो पहिया एवं चार पहिया वाहन उठाए जाएंगे। इसके साथ ही गली-मोहल्लों में सरकारी जमीनों पर लंबे समय से पार्क किए वाहनों को भी उठाया जाएगा। चयनित फर्म अपनी तीन क्रेनों और मानव संसाधन से वाहन सड़कों से उठाएगी। चार पहिया वाहन के लिए 1000 और दो पहिया के लिए 300 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। वसूल किए गए जुर्माना से 91 फीसदी धनराशि नगर निगम को मिलेगी। चयनित फर्म एक साल तक काम करेगी। कामकाज ठीक रहने पर उसके काम की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

आज आएगी सीआईएसएफ, करेगी गश्त

एसएसपी ने ठहरने के लिए चिह्नित जगहों का किया निरीक्षण

अमर उजाला ब्यूरो

गोरखपुर। गोरखपुर-बस्ती मंडल में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण निपटाने की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई है। मंडल के सभी जिले में एक-एक कंपनी सीआईएसएफ शुक्रवार को आ जाएगी। इनके ठहरने के लिए जगह भी चिह्नित कर लिए गए हैं।

बृहस्पतिवार को एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने ठहराव स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी जगहों पर सुविधाओं को देखा और संबंधित थानेदारों को व्यवस्था ठीक रखने का निर्देश दिया। शुक्रवार से गश्त थाना पुलिस के साथ जवान करेंगे।

जानकारी के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर अधिकारियों ने तैयारी पूरी कर ली है। अधिसूचना जारी होने से पहले गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज के साथ बस्ती, संतकबीरनगर व सिद्धार्थनगर जिले में एक-एक कंपनी सीआईएसएफ को तैनात किया जा रहा है।

चुनाव में पुलिस बल के ठहरने वाले स्थान का निरीक्षण करते एसएसपी। संवाद

शुक्रवार को सभी जिले में फोर्स की आमद हो जाएगी। फोर्स जहां पर ठहरेगी वहां सुरक्षा के साथ ही बिजली, शौचालय व पानी का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा सात मार्च को दूसरे चरण में एसएसबी की एक कंपनी गोरखपुर पहुंचेगी जिसे ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाएगा। यह संवेदनशील स्थानों पर भ्रमण करेंगे।

एसएसपी ने बताया कि आने वाले फोर्स के लिए ठहराव की व्यवस्था कर दी गई है। किसी को कोई दिक्कत न होने पाए, इसके लिए निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

देर रात तक न बजाएं डीजे.. बीमार और बुजुर्गों की बढ़ रही तकलीफ

मैरिज हॉल में रात एक बजे तक तेज डीजे बजने से परेशान हो रहे लोग

अमर उजाला ब्यूरो

गोरखपुर। शादी-विवाह में तेज डीजे, आर्केस्ट्रा के शौक में देर रात होने वाले शोर से लोग बीमार हो रहे हैं। किसी की नींद नहीं पूरी हो पाती है तो पहले से बीमार लोगों की हालत गंभीर हो जा रही है लेकिन अपनी मस्ती में झूम रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं है।

हाल यह है कि शायद ही कोई मोहल्ला है, जहां पर मैरिज हाउस नहीं है और देर रात तक तेज डीजे की वजह से लोग बेचैन न हो रहे हो, जिन मामलों में पुलिस के पास शिकायत आती है, पुलिस जाकर कार्रवाई करती है, लेकिन खुद से पुलिस ज्यादा सक्रिय नहीं होती है।

देर रात तक डीजे बजाना एक शौक सा हो गया है। इसकी वजह से आसपास के रहने वालों को कितनी दिक्कत होती है, इससे किसी का मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी तो उन बुजुर्ग लोगों को होती है, जिन्हें हृदय संबंधी या फिर मानसिक बीमारी है। वे लोग बेचैन हो उठते है।

दाउदपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग को अचानक तेज आवाज से दिक्कत हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस को डीजे बंद करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन यह समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं है, बल्कि पूरे शहर की है।

मैरिज हाउस में देर रात तक डीजे पर लोग डांस करते हैं। संवाद

पुलिस के पास भी पहुंचती हैं शिकायतें, कई मामलों में करनी पड़ती है कार्रवाई

आर्केस्ट्रा को लेकर मारपीट, तोड़फोड़

29 फरवरी को प्रकाशित खबर।

डीजे बजाने के संबंध में हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन कराया जाएगा। मैरिज हॉल और अन्य कार्यक्रमों में इसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी।

– कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी सिटी

बोले लोग

मैरिज हॉल के नजदीक ही मेरा घर है। लगन के समय में डीजे बजने से रात में सोना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा परेशानी होने पर शिकायत की जाती है लेकिन बराती कहां मानने वाले। इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए।

– अमरजीत, बशारतपुर

यहां तो कुछ ही दूरी पर तीन मैरिज हॉल हैं। एक जगह शांति होती हैं तो दूसरी ओर शोर मचता है। यदि मना करने जाइए तो लोग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कौन बवाल मोल ले। इस चक्कर में किसी तरह से रात गुजारी जाती है।

– शशिकांत श्रीवास्तव, रुस्तमपुर

मेरे मोहल्ले में एक मैरिज हॉल है। तेज आवाज में डीजे बजाकर नाचने का फैशन चल रहा है। इससे मरीज, बुजुर्ग और विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। त्योहारों की तरह इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

– देवेंद्र कुमार, पादरीबाजार

लगन में तेज आवाज डीजे बजने से पढ़ाई करने में दिक्कत आती है। मैरिज हॉल संचालकों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि छात्र-छात्राओं को राहत मिल सके।

– विनीत, रुस्तमपुर

DEORIA POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 01-03-2024

युवक ने बनवाया दो पासपोर्ट,जेल

बरहज (एसएनबी)। एक युवक ने अपने नाम से दो जगहों से अलग-अलग पते पर दो पासपोर्ट बनवा लिया है। पुलिस की जांच में मामला उजागर होने पर कार्यवाही करते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना क्षेत्र के ग्राम बिजौली भैया निवासी आदित्य पुत्र दिग्विजय सिंह ने अपने घर के पते से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। पासपोर्ट जारी होने के बाद आदित्य विदेश गया तो उसके पासपोर्ट पर मुहर लग गया। पुनः वह उस पासपोर्ट से विदेश नहीं जा सकता इसलिए आदित्य ने अपना नाम घन्नू कुमार के नाम से नया पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन किया। पुलिस की जांच में एक ही युवक द्वारा नाम बदलकर दो नामों से पासपोर्ट बनवाने का मामला उजागर होने पर पुलिस ने उसके विरूद्ध मुकद्मा अपराध संख्या 44/24 की धारा 419,420, 468, 471 आईपीसी व (12) पासपोर्ट अधिनियम के तहत आदित्य सिंह पुत्र दिग्विजय सिंह के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बावत पूछे जाने पर एसआई मदनमोहन मिश्र ने बताया कि युवक द्वारा अपना नाम बदलकर कागजों में हेरा फेरी कर दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया था। जांच में मामला उजागर होने पर उसके विरूद्ध कार्रवाई की गयी।

पेपर लीक मामले में पहले भी जेल काट चुका है संजय

मईल(एसएनबी)। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने के मामले में आरोपी मईल थाना क्षेत्र के कैलानी गांव निवासी संजय गोंड़ पहले भी पेपर लीक के मामले में एक वर्ष की जेल की सजा काट चुका है।इटावा थाने में मुकदमा दर्ज था । बुधवार को पुलिस टीम ने शोहरतगढ़ क्षेत्र के कोठिया बाजार के समीप मईल थाना क्षेत्र के कैलाशी गांव निवासी संजय कुमार गोंड के साथ भटनी थाना क्षेत्र के बिनवलिया मिश्र निवासी नटराज प्रजापति, सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के धनगड़ा ग्राम निवासी जितेंद्र कुमार भारती और पश्चिम बंगाल के हावड़ा जनपद निवासी बिट्टू कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया । संजय को 2019 में जेई परीक्षा पेपर लीक मामले मे मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया था। तब उसे एक साल की जेल की सजा झेलनी पड़ी थी।संजय क्षेत्र के दर्जनों युवकों को बीएसएफ मे भर्ती करा चुका है। उसका भाई राजू भी पुलिस भर्ती परीक्षा दिया था। संजय के परिजनों ने बताया कि संजय घर पर खेती बारी का काम करता है संजय तीन भाइयों में सबसे बड़ा है सबसे राजू का कहना है कि मेरा भाई संजय निर्दोष है।पूर्व में घटित घटनाओं को लेकर पुलिस ने संजय को गिरफ्तार किया है।

सड़क दुर्घटना रोकने को

यातायात कानूनों का कराएं सख्ती से पालन : डीएम

देवरिया(एसएनबी)। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट कार्यकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में सड़क-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

डीएम ने कहा कि इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए यातायात कानूनों का अनुपालन सख्ती से कराया जाए। बिना हेलमेट, सीटबेल्ट लगाए वाहन चालकों पर अनिवार्य रूप से जुर्माना लगाया जाए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगाम कसने के लिए रात्रिकालीन विशेष प्रवर्तन अभियान चलाएं। उन्होंने बताया कि गोरखपुर-देवरिया-सलेमपुर मार्ग सड़क हादसों की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। वर्ष 2023 में जनपद में 424 दुर्घटनाएं दर्ज हुई जिसमें 201 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते डीएम। फोटो : एसएनबी

पुलिस उपाधीक्षक अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 की अवधि में कुल 65,311 चालान कर 9.36 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया और 572 वाहनों को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 में 2718 चालान किये गए जिसमें 46.61 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है और 129 वाहन सीज किये गए हैं।

जिलाधिकारी ने जनपद की सीमा में स्थित बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से रोड सेफ्टी क्लब स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यातायात पुलिस को बस अड्डा, सुभाष चौक, भीखमपुर चौराहा, कोतवाली रोड, सब्जी मंडी और कसया ढाला में पीक टाइम ट्रैफिक की ड्रोन फोटोग्राफी कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे ट्रैफिक जाम लगने की वजहों साफ हो सकेगी, जिससे जाम से मुक्ति में सहायता मिलेगी। जिलाधिकारी ने शादी के सीजन में कसया फ्लाईओवर के निकट लगने वाले जाम का भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि कसया रोड पर स्थित सभी मैरिज हल वाहन पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिस दिन बड़ी संख्या में शादियां हो उस दिन कसया रोड पर पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रहेगी।

अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी आरके सिंह ने बताया कि ग्रामीण संपर्क मार्ग से राजमार्ग आने वाले दोपहिया वाहन चालक प्रायः लापरवाहीवश दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिस पर डीएम ने राजमार्ग से जुड़े वाले सभी ग्रामीण संपर्क मार्गों पर रंबल स्ट्रिप लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रंबल स्ट्रिप लगने से ओवर स्पीडिंग पर लगाम लगेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) को सड़क सुरक्षा कोष से पांच हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। यह राशि सड़क सुरक्षा कोष से आवंटित की जाती है। उन्होंने जनपद के गुड सेमेरिटनों को सम्मानित करने का निर्देश एआरटीओ को दिया। डीएम ने नागरिकों से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने की अपील की, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। उन्होंने बताया कि राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया का हेल्पलाइन नंबर 1033 या 108 नंबर डायल कर मदद पहुंचाई जा सकती है। जिलाधिकारी ने बताया कि 1033 नंबर डायल करते ही हाईवे पर एंबुलेंस, क्रेन और वेहिकल तीनों पहुंचते हैं और आवश्यकतानुसार घायल का सहयोग करते हैं।

बैठक में सीएमओ डा. राजेश झा, एआरटीओ आशुतोष शुक्ला, बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, डीसीओ धनीराम सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

थाने के निर्माण को काटे जाएंगे 365 पेड़

सुरौली, हिसं। सुरौली में प्रस्तावित थाना भवन के निर्माण को 365 पेड़ काटे जाएंगे। इसमें अधिकांश पेड़ सागौन तथा कुछ पलाश के हैं। पेड़ काटने की नीलामी प्रकिया पूरी हो चुकी है और उसका राजस्व भी विभाग को मिल चुका है। विभाग द्वारा पेड़ ठेकेदार को सौंपा जा चुका है। ठेकेदार को जल्दी पेड़ कटवाने का निर्देश दिया गया है। पेड़ कटने के बाद थाना भवन निर्माण का निर्माण शुरू हो जायेगा।

सदर विकास खंड के सुरौली में सदर कोतवाली, भलुअनी, मदनपुर व रूद्रपुर थानों से 69 गांवों को काट कर 17 अक्टूबर-2022 को नए थाने की स्वीकृति मिली। सुरौली में जिस जमीन पर थाना बनना प्रस्तावित है उस जमीन पर वन विभाग का प्लांटेशन एरिया है। फिलहाल थाने को पैकौली के एक किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है। थाने के भवन निर्माण की

सुरौली थाना।

> सुरौली में थाना के भवन निर्माण के लिए 365 पेडों का छपान प्रक्रिया पूरी कर नीलामी हो चुकी है। ठेकेदार द्वारा राजस्व जमा किया जा चुका है। जल्दी ही ठेकेदार द्वारा पेड़ काट लिया जाएगा। इसकी कार्यवाही विभागीय नियमानुसार किया गया है। –**अनुमप मौर्य**, क्षेत्रीय वनाधिकारी, देवरिया रेंज

विभागीय प्रक्रिया जारी है, जिसमें जिलाधिकारी के पत्र पर वन विभाग ने तीन सौ पैंसठ पेड़ों की छपान कर नीलामी हो चुकी है। पेड़ काटने के लिए तैयारी पूरी कर ली गयी है। वन विभाग ने पेड़ों की नीलामी करा कर एक लाख पच्चासी हजार रूपए भी खाते में जमा करा लिया है। पैसा जमा होने के बाद सभी पेड़ों को ठेकेदार को काटने के लिए सौंप दिया गया है। इन पेड़ों में अधिकांश पेड़ सागौन के हैं जबकि कुछ पेड़ पलास के हैं।

पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, भेजा गया जेल

पटहेरवा : पुलिस ने पशु तस्करी के मामले में फरार आरोपित को बघौचघाट तिराहा फाजिलनगर से गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपित गंगा कुशवाहा निवासी कोईलसवा बई टोला थाना बघौचघाट देवरिया का रहने वाला है। थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह ने बताया कि आरोपित को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। (जास)

छात्रा के साथ छेड़खानी, दो लोगों पर मुकदमा

देवरिया : भलुअनी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली कक्षा 11 की छात्रा के साथ दो युवकों ने मंगलवार को छेड़खानी की। विरोध करने पर आरोपितों ने पिटाई भी की। इस मामले में पुलिस ने आकाश कुमार गोंड व विकास कुमार गोंड के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही आरोपितों की गिरफ्तारी को पुलिस दबिश दे रही है। (जासं)

एसपी के आदेश पर दो पर छेड़खानी का मुकदमा

देवरिया : भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें आरोप लगाया है कि वह 2023 जुलाई में गुजरात कमाने चला गया। इस बीच गांव का ही एक युवक उसकी पत्नी का वीडियो बना लिया और अब 75 हजार रुपये की मांग करने लगा। न देने पर वीडियो प्रसारित करने दी धमकी दी। साथ ही प्रसारित कर दिया है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपित कोमल प्रसाद व रुदल खरवार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। (जासं)

नाम वदल कर वनवा लिया दो पासपोर्ट, भेजा गया जेल

जासं, देवरिया: बरहज थाना क्षेत्र के भईया विजौली का युवक नाम बदल कर दो पासपोर्ट बनवा लिया। जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद बरहज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

आदित्य सिंह पुत्र दिग्विजय सिंह द्वारा दो पासपोर्ट बनाने की शिकायत पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ को मिली, जिसके बाद वहां से जांच बरहज थाने की पुलिस को भेज दी गई। जांच में पाया गया कि 2011 में इसने आदित्य सिंह के नाम से पासपोर्ट बनवाया था और बैंकाक गया था, फिर इसने 2017 में धन्नू कुमार पुत्र दिग्विजय सिंह के नाम से पासपोर्ट बनवा लिया और बैंकाक जाने की फिराक में था। इस बीच शिकायत हो गई। उप निरीक्षक अरशद हुसैन ने जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद बरहज थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

युवक की पिटाई के मामले में तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

जासं, जोगिया बाजार: तुर्कपट्टी के लाला गुरवलिया गांव में एक युवक की विद्युत मोटर चोरी के आरोप में पिटाई के मामले में पुलिस ने बुधवार को तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। लाला गुरवलिया निवासी विजय कुशवाहा की चौराहे पर ही हार्डवेयर की दुकान है। वहां से विद्युत मोटर चोरी के मामले में दुकानदार ने भाई अजय कुशवाहा व साथी फिरोज अंसारी संग हाटा निवासी संजय यादव को मंगलवार को बुरी तरह मारा-पीटा था। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तीनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

युवक की पिटाई के मामले में तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

जासं, जोकट्या बाजार: तुर्कपट्टी के लाला गुरवलिया गांव में एक युवक की विद्युत मोटर चोरी के आरोप में पिटाई के मामले में पुलिस ने बुधवार को तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। लाला गुरवलिया निवासी विजय कुशवाहा की चौराहे पर ही हार्डवेयर की दुकान है। वहां से विद्युत मोटर चोरी के मामले में दुकानदार ने भाई अजय कुशवाहा व साथी फिरोज अंसारी संग हाटा निवासी संजय यादव को मंगलवार को बुरी तरह मारा-पीटा था। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तीनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

विदेश भेजने में ठगी गिरोह का एक गुर्गा चढ़ा पुलिस के हत्थे, अब खुलेगा नेटवर्क

पांचवें दिन भी ठगी के शिकार युवक पासपोर्ट लेने के लिए जमे थे कोतवाली में

संवाद न्यूज एजेंसी

देवरिया। विदेश भेजने में ठगी करने वाले एक गिरोह के नेटवर्क तक पहुंचने में पुलिस की राह आसान हो गई है। कोतवाली पुलिस ने एक ट्रेवेल्स एजेंसी के एक गुर्गे को दबोच लिया है। उसी के जरिए नेटवर्क की तह में जाने की कोशिश तेज हो गई है, जबकि पगरा में ट्रेवेल्स एजेंसी के जरिए हुई ठगी के मामले में पुलिस जालसाजों से दूर है। दोनों मामले में करीब 300 लोगों से ठगी हुई है।

शहर के सीसी रोड के समीप स्थित मरहबा ट्रेवेल्स एजेंसी संचालक ने विदेश भेजने के नाम पर करीब 80 युवकों को ठगी शिकार बना लिया। इसके बाद दिल्ली का मुख्य ऑफिस व देवरिया के सीसी रोड स्थित मरहबा कार्यालय को भी बंद कर संचालक व गिरोह के गुर्गे फरार हो गए। इसके बाद दिल्ली से देवरिया पहुंचे युवकों ने हंगामा करते हुए पुलिस को सूचना दी थी।

करीब पांच दिन से युवक देवरिया में संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए एजेंसी में बंद पासपोर्ट को दिलवाने के नाम कोतवाली का चक्कर काट रहे थे। इधर, डीएम व एसपी के संज्ञान में मामला आते ही पुलिस तुरंत एक्शन के मूड में आ गई। पुलिस ठग गिरोह के एक गुर्गे को उठाकर अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

विदेश भेजने के नाम पर पैसा जमाकर एक्सपायरी वीजा देने वाले मरहबा ट्रेवेल्स एजेंसी करीब 80 युवकों को अपनी ठगी का शिकार बना लिया। इसके बाद एजेंसी के संचालक परसिया अहिर निवासी कन्हैया पांडेय व उसका साथी इमरान अपने कर्मियों के साथ फरार हो गया। करीब पांच दिन से युवक अपने पासपोर्ट लेने के लिए कोतवाली का चक्कर काट रहे हैं। इसके लिए डीएम अखंड प्रताप सिंह और एसपी संकल्प शर्मा से भी बुधवार को मिले थे। अधिकारियों ने शीघ्र उनका पासपोर्ट उपलब्ध कराते हुए संचालक व गिरोह के गुर्गों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था।

बृहस्पतिवार को युवक जब पासपोर्ट के लिए कोतवाली पहुंचे तो कोतवाल ने शुक्रवार को एजेंसी का ताला तोड़वाकर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। वहीं, पुलिस ने गिरोह के एक गुर्गे को भी उठा लिया। उसका नाम गोपनीय रखकर अन्य गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने गिरोह के गुर्गों की शिनाख्त कर ली है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

गिरोह के मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मार रही छापा

स्टेशन पर कट रही रात, लिट्टी से मिट रही भूख

29फरवरी को प्रकाशित खबर।

मजिस्ट्रेट की निगरानी में टूटेगा ताला

आवेदकों की मांग पर ट्रेवेल्स एजेंसी का ताला खोलकर कागजात की जांच करने की प्रक्रिया अब शुरू होगी। पुलिस के अनुसार, मजिस्ट्रेट की निगरानी में ट्रेवेल्स एजेंसी का ताला तोड़ा जाएगा, जबकि दस्तावेज की जांच करते हुए वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

विदेश भेजने के नाम ठगी करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस सक्रिय है। पुलिस ठगों के करीब पहुंच चुकी है। जल्द ही इस मामले में खुलासा होगा।

– **संकल्प शर्मा**, पुलिस अधीक्षक

अधिवक्ता की चहारदीवारी गिराने के आरोप में आठ पर केस

रुद्रपुर। अधिवक्ता की चहारदीवारी गिराने के आरोप में पुलिस ने बुधवार की रात आठ नामजद तथा 12 अज्ञात लोगों पर बलवा तोड़-फोड़ करने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया। तहसील अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मलहटोली स्थित उनकी भूमिधरी पर बनी चहारदीवारी को अराजक तत्वों ने गिरा दिया।

उन्होंने बगल में स्थित एक अस्पताल में तोड़-फोड़ की। मना करने पर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस मामले में उमेश दूबे, मेटी यादव, नारायण यादव, पद्माकर, भोला, शैलेंद्र, सोनू तिवारी, भीमल साहनी सहित एक दर्जन अज्ञात लोगों पर अस्पताल में घुसकर तोड़-फोड़ करने, चहारदीवारी गिराने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अभियोग पंजीकृत किया है। संवाद

एसपी से करेंगे लूट की शिकायत

संवाद न्यूज एजेंसी

स्वर्ण व्यवसायी से लूट की घटना में चोरी का केस दर्ज करने का मामला

सलेमपुर। दुकान बंद कर घर जा रहे स्वर्ण व्यवसायी से अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने बाइक ओवरटेक कर आभूषण और 40 हजार नकदी लूट लिया। विरोध करने पर पिटाई कर भाग निकले। पीड़ित ने लूट की शिकायत लार पुलिस को तहरीर देकर की। आरोप है कि लूट का केस दर्ज करने के बजाय चोरी का केस दर्ज कर घटना पर पर्दा डालने में जुट गई। उधर, पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी का कहना है कि घटना की शिकायत एसपी से मिलकर करेंगे।

मईल थाना क्षेत्र के भागलपुर निवासी चंदन वर्मा की सोने-चांदी की दुकान लार थाना क्षेत्र के बिरनी चौराहा पर है। रोज की तरह 25 फरवरी को दुकान बंद कर घर जा रहे थे। अभी पिंडी-भागलपुर मार्ग पर मठिया मोड़ के समीप पहुंचे थे। तभी बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक लिया। डिकी में रखे नकद 40 हजार रुपये व सोने-चांदी के जेवरात लूट लिए। विरोध पर पिटाई कर रेवली की तरफ भाग निकले।

घटना की जानकारी पीड़ित ने डॉयल 112 को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। तहरीर देकर बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। आरोप है कि पुलिस लूट का केस दर्ज करने के बजाय चोरी का केस दर्ज कर घटना को छुपाने में लग गई।

उधर, पुलिस की कार्रवाई से नाराज व्यवसायी चंदन वर्मा ने कहा कि पुलिस अधीक्षक से मिलकर घटना की शिकायत करेंगे।

इस्त्राइल भेजने के नाम पर पांच से छह हजार रुपये घूस मांगने का आरोप

संवाद न्यूज एजेंसी

दलालों द्वारा पैसे मांगने का मजदूरों ने किया विरोध तो पहुंची पुलिस

देवरिया। इस्त्राइल भेजने के लिए चयनित मजदूरों के कागजात पर हस्ताक्षर व मुहर लगाने के नाम पर 5 से 6 हजार रुपये की मांग करने पर मजदूर आक्रोशित हो गए। उनका आक्रोश देखकर श्रम कार्यालय में तैनात अधिकारी व कर्मचारी मजदूरों को समझाने-बुझाने में जुट गए।

इसी बीच सूचना मिलने पर डीएम ने पुलिस को भेजकर मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। सूचना पर पहुंचे कोतवाल ने मजदूरों व अधिकारियों से बात की परंतु किसी के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई।

मालूम हो कि विकास भवन में श्रम कार्यालय संचालित है। जहां इस्त्राइल सरकार ने भारत सरकार से कुछ मजदूरों की डिमांड की थी। इसके लिए कुछ दिन पूर्व युवकों का चयन किया था। बृहस्पतिवार को चयनित अभ्यर्थियों को उनके कागजात पर हस्ताक्षर व मुहर लगाने के लिए बुलाया गया था। चयनित मजदूर तय समय पर विकास भवन पहुंचे। उनके बीच कुछ दलाल भी मौजूद थे, जो युवकों से बात करते दिखे। इसके बाद युवकों को झांसे में लेते हुए खुद को कर्मी बता हस्ताक्षर व मोहर लगाने के नाम पर पांच से छह हजार रुपए की मांग की।

युवकों ने सब कुछ हो जाने के बाद पैसे की मांग सुनी तो आक्रोशित हो गए। इसके बाद उक्त व्यक्ति से बहस करने लगे। मौके पर मौजूद सभी मजदूरों ने विरोध जताया तो दलाल वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ मजदूरों ने रोकना चाहा तो वह नहीं रुका।

इस्त्राइल भेजने के नाम पपर ठगी की शिकायत आई थी। मौके पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की और न ही मौके पर कोई रिश्वत मांगने वाला मिला।

- संकल्प शर्मा, पुलिस अधीक्षक

इधर, वायरल एक वीडियो में उसने अपना नाम मनोज व पता भाटपार रानी बताया। इसी बीच किसी ने डीएम अखंड प्रताप सिंह को सूचना दी। सूचना पर डीएम ने एसपी संकल्प शर्मा को जानकारी दी। एसपी के निर्देश पर शहर कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। दलाल द्वारा पैसे मांगने के संबंध में किसी ने कोई आवेदन नहीं दिया। पुलिस जांच करने के बाद लौट गई।

इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग की श्रम परिवर्तन अधिकारी शशि सिंह से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया।

पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीनों का अपराध से पुराना नाता

संजय 2019 में जा चुका है जेल, बीएसएफ में गांव व आसपास के दर्जनों युवकों की भर्ती करा चुका है संजय

संवाद न्यूज एजेंसी

भटनी-मईल। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम के हत्थे चढ़े देवरिया के तीन साल्वर गिरोह के सदस्यों का काफी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। मईल थाना क्षेत्र के कैलानी निवासी आरोपी वर्ष 2019 में भी जेल जा चुका है। उस समय भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं, भटनी के विंदवलिया निवासी आरोपी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने व नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर पैसे लेने का खेल लंबे समय से खेलते हुए करोड़ों रुपये की संपत्ति बना ली है। इसी तरह सलेमपुर के धनगड़ा निवासी आरोपी ने तो पहले एक विद्यालय में खुद की नौकरी के लिए पैसे दिए और बाद में खुद ही दूसरे को नौकरी दिलवाने लगा।

पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने के मामले में बुधवार को शोहरतगढ़ से चार सॉल्वर गिरोह के गुर्गों को इटावा पुलिस व एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें देवरिया जिले के तीन आरोपियों का नाम सामने आया।

जिले के मईल थाने के कैलानी गांव निवासी संजय कुमार गोंड़ वर्ष 2019 में भी पेपर लीक के आरोप में

बुधवार को सिद्धार्थनगर के इटवा क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए थे सभी

जेल जा चुका है। गांव व क्षेत्र के कुछ लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि इसके पहले संजय क्षेत्र के दर्जनों युवकों को बीएसएफ में भी अपने पहुंच पर भर्ती करा चुका है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी बरहज आदित्य कुमार गौतम ने बताया कि संजय गौड़ को पुलिस पेपर लीक के आरोप में एसटीएफ ले गई है। जांच चल रही है।

इसी तरह पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर आउट करने वाला भटनी थाना क्षेत्र के विंदवलिया मिश्र गांव निवासी नटराज प्रजापति इन दिनों पुलिस की पकड़ में है। नटराज अपने परिजनों के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने व नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर पैसा लेने का खेल लंबे समय से खेलता आ रहा है। इस धंधे से उसने गांव, सलेमपुर व देवरिया में करोड़ों की संपत्ति बनाई है। करीब दो दशक से सैकड़ों लोग लाखों रुपये मेहनत की कमाई नटराज व उसके करीबियों को देकर ठगी के शिकार हो चुके हैं। कई लोग इसकी शिकायत सलेमपुर, भटनी व जिले के अन्य थानों में कर चुके हैं।

परीक्षाओं में पास कराने व नौकरी दिलाने के नाम पर नटराज लेता था मोटी रकम

भटनी। थाना क्षेत्र के विंदवलिया मिश्र गांव निवासी नटराज प्रजापति पांच भाइयों में सबसे छोटा है। ग्रामीणों की मानें तो वह 1995 में पहली बार वाराणसी में सेना में भर्ती होने गया। जहां वह शारीरिक दक्षता में फेल होने के चलते भर्ती नहीं हो सका।

इसी दौरान वह सेना में भर्ती करने वाले दलालों के संपर्क में आ गया। कुछ सालों के बाद उनके साथ रहकर नटराज रुपये लेकर खुद लोगों को सेना, शिक्षक व रेलवे में भर्ती कराने का जिम्मा लेने लगा। आर्थिक रूप से कमजोर नटराज अचानक कुछ दिनों में इस धंधे से ऊंचाइयों को छूने लगा। उसने अपने रैकेट के माध्यम से आसानी से बेरोजगारों को फंसाने व नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूलने लगा।

इस धंधे से बनाई है करोड़ों की संपत्ति, भू-माफिया से भी है नाता

लोगों ने बताया कि वह अपने घर में ही सेना भर्ती में नापने वाला फीता व अन्य संसाधन रखता था। यहीं से नापी कराकर अपने साथ भर्ती में लेकर जाता था। समय के साथ परीक्षाओं में सख्ती बढ़ी व बॉयोमेट्रिक सिस्टम आने से नटराज बैचेन हो गया। तभी उसकी मुलाकात बंगाल, बिहार व दिल्ली के दलालों से हुई और वहां से उसे इसका भी काट मिल गई। फिर उसने गांव और सलेमपुर में आलीशान मकान बनवाकर चार पहिया वाहन में महंगे कपड़े, गले में कीमती चेन, जूते पहनकर घूमने लगा। इसके बाद वह जमीन के कारोबार में रुपये इन्वेस्ट किया। लेकिन, रुपये की ताकत से नटराज व उसके परिजनों ने सरकारी महकमा को हर बार नतमस्तक कर दिया।

तीसरे आरोपी सलेमपुर के धनगड़ा निवासी जितेंद्र कुमार भारती दूसरे की नौकरी दिलवाता था। सॉल्वर गिरोह से जुड़ने से पहले जितेंद्र कुमार ने सहजौर के एक विद्यालय में खुद की नौकरी के लिए पैसे दिए थे। खुद की नौकरी नहीं लगी तो वह दलालों के संपर्क में आ गया और दूसरे को नौकरी दिलवाने लगा। गांव में उसके विरुद्ध कोई कुछ बोलने से परहेज करता दिखा।

आरोप है कि इस दौरान वह विवादित जमीन खरीदकर अपने रसूख का फ़ायदा उठाकर जमीनों पर कब्जा करने लगा।

सूत्रों की मानें तो मौजूदा समय में नटराज के पास गांव, सलेमपुर, देवरिया व गोरखपुर में करोड़ों की जमीन है। हालांकि, सेना, अर्धसैनिक बल, शिक्षक, रेलवे, लेखपाल आदि भर्ती में ठगी के शिकार लोगों ने नटराज व उसके परिजनों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में शिकायत की है। लेकिन एक में भी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

गोरखपुर के एसटीएफ प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्द एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया जाएगा।

थानाध्यक्ष को दी गई विदाई

सुरौली, हिंस। थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह को गुरुवार को विदाई दी गई। विनोद कुमार सिंह तीन माह से सुरौली थाने पर थानाध्यक्ष रहे। बुधवार को उनका वीआईपी सेल में स्थानांतरण हो गया। इस मौके पर एस आई रंजीत, दिवान सुशील, आरके यादव, कांस्टेबल दीपक मौर्या समेत स्टाफ मौजूद रहे।

पुलिस ने मांगा होटल का सीसीटीवी फुटेज, दोनों तहरीर की जांच शुरू

संवाद न्यूज एजेंसी

अर्शी खान ने केस दर्ज नहीं होने तक जिले में ही जमे रहने की कही बात

देवरिया। बिग बॉस फेम मॉडल अर्शी खान के मामले में पुलिस अब दोनों पक्षों की तहरीर की जांच कर रही है। होटल के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल चैट के साथ मोबाइल पर बातचीत की रिकॉर्डिंग के साक्ष्यों की जांच में आरोप साबित होगा तो कार्रवाई की जाएगी।

मॉडल अर्शी खान मुंबई से आकर शहर के एक होटल में ठहरी हैं। देवरिया में अपने रहने के दिन गिनते हुए वह पुलिस पर दबाव बना रही हैं कि उसकी तहरीर पर केस दर्ज किया जाए, लेकिन पुलिस को दोनों पक्ष की तहरीर में लगाए गए आरोप की जांच से पहले कुछ भी सुनना मंजूर नहीं है।

अर्शी खान ने शहर के जिम संचालक अभिषेक शर्मा पर केस दर्ज कराया है। इस मामले में अभिषेक फरार चल रहा है। इस बार अर्शी खान ने शहर के हड्डी रोग के डॉ. कमलेश यादव के खिलाफ तहरीर देकर धमकी देने का आरोप लगाया है। उसके बाद अभिषेक की मां गीता ने शर्मा ने तहरीर देकर अर्शी खान पर ब्लैकमेल करने और धमकी देने का आरोप लगाया है।

इस मामले में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

KUSHINAGAR POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 01-03-2024

सीएम के कार्यक्रम का प्रसारण एलईडी पर लोगों ने देखा

फायर ब्रिगेड स्टेशन का सीएम ने किया लोकार्पण

वर्चुअल कार्यक्रम

- कप्तानगंज में सांसद विजय दुबे ने शिलापट का किया अनावरण
- 7 वर्ष पूर्व राख बुझाने पहुंचती थी फायर ब्रिगेड की गाड़ी: सांसद

कप्तानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। कप्तानगंज में बने जिले के चौथे फायर ब्रिगेड स्टेशन का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि सात वर्षों में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय तरक्की की है। सात वर्ष पहले संसाधन विहीन फायर ब्रिगेड स्टेशन की दशा इस कदर बदतर हुआ करती थी कि उस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझ जाने के बाद राख बुझाने पहुंचती थी।

लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते सांसद विजय कुमार दुबे। • हिन्दुस्तान

आठ करोड़ चौरासी लाख रुपये की लागत से कप्तानगंज में बनाए गए अग्निशमन केंद्र का गुरुवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से बटन दबाकर वर्चुअल लोकार्पण किया। वहीं, अग्निशमन केंद्र पर आयोजित हुए कार्यक्रम में मौजूद सांसद विजय कुमार दूबे ने शिलापट्टिका का अनावरण किया। कप्तानगंज के पहले पडरौना, खड्डा एवं सेवरही में फायर ब्रिगेड स्टेशन बन चुका है जबकि हाटा एवं कसया में अभी बनना है। सांसद ने कहा कि कप्तानगंज में अग्निशमन केंद्र बन जाने से ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिलेगी। पहले कहीं आगजनी की घटनाओं पर दमकल की गाड़ियां जिला मुख्यालय से आ पाती थी, जिससे लोगों का काफी नुकसान हो जाता था। अब कप्तानगंज में अग्निशमन केंद्र सुचारू हो जाने से कुछ समय में ही आग को नियंत्रण करने के लिए दमकल पहुंच सकेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कुशीनगर में चहुंमुखी विकास हुआ है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जसवीर सिंह ने बताया कि अग्निशमन केंद्र से 30 किमी तक के दायरे में होने वाली आग की घटनाओं के लिए तत्काल दमकल गाड़ी मौके पर पहुंच सकेगी। उन्होंने बताया कि अग्निशमन केंद्र पर रंगरूट आरक्षियों के लिए ट्रेनिग सेंटर भी बनाया गया है। अग्निशमन स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लोगों ने एलईडी पर लखनऊ से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। कार्यक्रम का संचालन गुंजन मिश्रा और अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष आनंद मिश्रा ने किया।

इस मौके पर एएसपी रितेश सिंह, अभिनव त्यागी, जेई रामप्रकाश शुक्ला, भाजपा नेता जयप्रकाश उपाध्यक्ष, विजय खेतान, रामप्रताप सिंह, संजय यादव, निखिल उपाध्याय, रामानुज मिश्रा, सभाषद पिंटू यादव, मुकेश सिंह आदि मौजूद रहे।

वांछित पशु तस्कर को पुलिस ने दबोचा

पटहेरवा। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पटहेरवा पुलिस ने पशु तस्करी के मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस अग्रीम विधिक कार्रवाई में जुटी है।

पटहेरवा एसओ राकेश रोशन सिंह ने बताया कि वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा गुरुवार पशु तस्करी के मामले में वांछित अभियुक्त को फाजिलनगर से गिरफ्तार कर लिया गया।

वांछित आरोपी गंगा कुशवाहा निवासी कोइलसवा बाई टोला थाना बघौचघाट जनपद देवरिया का निवासी है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ पुलिस विधिक अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।

सात बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

पडरौना। उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त बनाने की कार्य योजना को लेकर श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर गुरुवार को श्रम विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने पडरौना में बाल किशोर श्रम चिह्नांकन अभियान चलाया। चिह्नांकन में ईट भठ्ठा, ऑटो मोबाइल, वर्क शॉप व दुकानों पर कार्य करते पाए गए सात बाल किशोर श्रमिक अवमुक्त कराए गए। जिनसे कार्य लेने पर सेवायोजक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की गयी। इस अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह, अनुराधा सिंह, शशि शेखर मिश्र, पंकज आदि उपस्थित रहे।

ट्रेन से गिरकर युवक घायल हुआ, जिला अस्पताल रेफर

खड्डा, हिन्दुस्तान संवाद। गोरखपुर-नरकटियागंज रेल मार्ग पर स्थित पनियहवा पुल के समीप ट्रेन से गिरकर गोरखपुर जिला निवासी 25 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर से गुजर रहे राहगीरों ने घायल अवस्था में उसे एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुर्कहा पहुंचवाया, जहां उसकी हालत गंभीर देख डाक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

गोरखपुर जिले के बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम हिंसा बाजार निवासी पंकज चौहान पुत्र अच्छेलाल गुरुवार की शाम नरकटियागंज से गोरखपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के गेट पर बैठकर घर जा रहा था। इसी दौरान वह खड्डा क्षेत्र के छितौनी-बगहा रेल पुल के निकट ट्रेन से नीचे गिर पड़ा, जिससे गंभीर रुप से घायल हो गया।

उधर से गुजर रहे राहगीरों ने रेलवे ट्रैक के किनारे घायल अवस्था में पड़ा देख एंबुलेंस बुलाकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुर्कहा भेजवाया। वहां उसकी उसकी हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

एक महीने में 50 अवैध अस्पतालों पर लगा ताला

सख्ती

पडरौना, निज संवाददाता। कुशीनगर जिले में अवैध अस्पतालों की बाढ़ आ गई है। पंजीकृत अस्पतालों की संख्या जहां 155 हैं तो वहीं जिले में 350 से अधिक निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। इन अस्पतालों में मरीजों की हो रही मौतों के बाद सीएम पोर्टल पर की गई शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग इन दिनों हरकत में आ गया है। खुद सीएमओ डॉ. सुरेश पटारिया निजी अस्पतालों की हर दिन जांच करने पहुंच रहे हैं। महज एक महीने के भीतर ही स्वास्थ्य विभाग ने तकरीबन 50 अवैध अस्पतालों को सील किया है। कप्तानगंज, हाटा व तमकुहीराज तहसील क्षेत्र में अवैध अस्पतालों की संख्या सर्वाधिक है। इस बात को खुद स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा है। सीएमओ का कहना है कि यह अभियान तब तक नहीं रूकेगा, जब तक पूरी तरह से अवैध अस्पताल बंद नहीं हो जाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में 155 निजी अस्पताल ही वैध हैं। जबकि हकीकत यह है कि जिले में 350 से अधिक की संख्या में निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों में डॉक्टर की जगह अप्रशिक्षित व्यक्ति मरीजों का उपचार कर उनकी जान को आफत में डाल दे रहे हैं। जनवरी महीने में तमकुहीराज कस्बे में संचालित दो निजी अस्पतालों में दो मरीजों की मौत हो गई थी। परिजनों के हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच कर अस्पतालों को सील कर दिया। कप्तानगंज तहसील क्षेत्र में अभी हाल ही में एक मरीज की मौत हुई थी। जबकि एक मरीज के तीमारदारों ने लापरवाही का आरोप लगा अस्पताल के बाहर हंगामा किया। इस हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दोनों अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की। इसको लेकर लोगों की तरफ से भी सीएम के पोर्टल पर शिकायत की गई। शासन द्वारा संज्ञान लेने के बाद अब स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है।

तमकुहीराज, कप्तानगंज में अधिक अवैध अस्पताल

स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार भी इस बात को मान रहे हैं कि हाटा, तमकुहीराज व कप्तानगंज तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अवैध अस्पतालों के संचालकों की विभाग में गहरी पैठ है, तभी तो जांच टीम के पहुंचने से पहले ही वह शटर डाउन को निकल लेते हैं।

> जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे निजी अस्पतालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फरवरी महीने में तकरीबन 50 अवैध अस्पतालों को सील किया गया है। अभियान चलाकर अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगा, जब तक जिले में पूरी तरह से अवैध अस्पतालों का संचालन बंद नहीं हो जाता।
>
> -डॉ. सुरेश पटारिया, सीएमओ

पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, गया जेल

पटहेरवा : पुलिस ने पशु तस्करी के मामले में फरार आरोपित को बघौचघाट तिराहा फाजिलनगर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपित गंगा कुशवाहा निवासी कोईलसवा बई टोला थाना बघौचघाट देवरिया का रहने वाला है। (जासं)

दोषी पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास

- शाहपुर नौका टोला में 28 मार्च 2018 को हुई थी विवाहिता की हत्या
- महराजगंज के कोठीभार थाना चैनपुर निवासी पिता ने दर्ज कराया था केस

कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह की अदालत ने विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास व सुसर को दोषी करार दिया है। इस जुर्म में तीनों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की रकम का आधा हिस्सा वादी मुकदमा को देय होगा।

डीजीसी क्रिमिनल जीपी यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए मुकदमे के बारे में बताया कि महराजगंज जिले के कोठीभार थानान्तर्गत चैनपुर निवासी रमाशंकर ने 29 मार्च 2018 को खड्डा थाने में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी अंबा की शादी खड्डा थाना क्षेत्र के शाहपुर टोला चैनपुर निवासी संतोष पुत्र भीखम से यथासंभव दान दहेज देकर की थी। शादी के बाद से उसका पति, सास सोनमती व ससुर भीखम उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। जानकारी होने पर पंचायत हुई तो सभी आगे से ऐसा नहीं करने का वादा किए। इसके बाद भी उसकी प्रताड़ना जारी रही। अक्सर बेटी फोन पर यह जानकारी देती थी। 28 मार्च 2018 को सुबह उससे बात हुई तो उसने फिर प्रताड़ित किए जाने की जानकारी दी। इसके बाद उससे बात नहीं हुई। चिंता हुई तो अगले उसके घर पहुंचा तब पता चला कि तीनों ने मिलकर बेटी की 28 मार्च की शाम को ही हत्या कर दी है।

तहरीर के आधार पर खड्डा पुलिस ने दहेज के लिए हत्या किए जाने का केस दर्ज किया। पीएम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई। कुछ दिन बाद तीनों अभियुक्तों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद देवरिया जेल भेज दिया गया। खड्डा के तत्कालीन सीओ नवीन कुमार नायक ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में तीनों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या की चार्जशीट दाखिल कर दी।

ट्रायल पर मुकदमा आने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अदालत में कुल प्रस्तुत हुए 12 गवाहों का परीक्षण किया गया। सुनवाई पूरी करने के बाद गुरुवार को विद्वान न्यायाधीश ने तीनों को दहेज उत्पीड़न के मुकदमे से बरी कर दिया। तीनों को विवाहिता की हत्या का दोषी करार दिया। इस आधार पर तीनों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी। तीनों अभियुक्त जेल से ही पेशी पर लाए गए थे। सजा सुनाने के बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया।

हत्या के दोषी पति, सास व ससुर को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, पडरौना: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह की अदालत ने विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास व सुसर को दोषी करार दिया है। तीनों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की रकम का आधा हिस्सा वादी मुकदमा को देय होगा।

डीजीसी क्रिमिनल जीपी यादव ने बताया कि महराजगंज जिले के कोठीभार थानान्तर्गत चैनपुर निवासी रमाशंकर ने 29 मार्च 2018 को खड्डा थाने में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी अंबा की शादी खड्डा थाना क्षेत्र के शाहपुर टोला चैनपुर निवासी संतोष पुत्र भीखम से यथासंभव दान दहेज देकर की थी। शादी के बाद से उसका पति, सास सोनमती व ससुर भीखम उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। जानकारी होने पर पंचायत हुई तो सभी आगे से ऐसा नहीं करने का

महराजगंज के चैनपुर गांव की युवती की खड्डा के शाहपुर गांव में हुई थी शादी, न्यायालय ने दोषियों पर लगाया अर्थदंड

वादा किए। इसके बाद भी उसकी प्रताड़ना जारी रही। अक्सर बेटी फोन पर यह जानकारी देती थी। 28 मार्च 2018 को सुबह उससे बात हुई तो उसने फिर प्रताड़ित किए जाने की जानकारी दी। इसके बाद उससे बात नहीं हुई। चिंता हुई तो अगले उसके घर पहुंचा तब पता चला कि तीनों ने मिलकर बेटी की 28 मार्च की शाम को ही हत्या कर दी है।

तहरीर के आधार पर खड्डा पुलिस ने दहेज के लिए हत्या किए जाने का केस दर्ज किया। पीएम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई। कुछ दिन बाद तीनों अभियुक्तों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद देवरिया जेल भेज दिया गया। खड्डा के तत्कालीन सीओ नवीन कुमार नायक ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में तीनों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या की चार्जशीट दाखिल कर दी।

ट्रायल पर मुकदमा आने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अदालत में कुल प्रस्तुत हुए 12 गवाहों का परीक्षण किया गया।

सुनवाई पूरी करने के बाद गुरुवार को विद्वान न्यायाधीश ने तीनों को दहेज उत्पीड़न के मुकदमे से बरी कर दिया। तीनों को विवाहिता की हत्या का दोषी करार दिया। इस आधार पर तीनों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी। तीनों अभियुक्त जेल से ही पेशी पर लाए गए थे। सजा सुनाने के बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया।

कुशीनगर के युवक से लूट में तीसरा बदमाश गिरफ्तार

नौतनवा। कुशीनगर के युवक से नौतनवा कस्बा में हुई लूट में फरार तीसरे बदमाश को एसओजी व पुसिस टीम ने सोनौली बस डिपो से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तीन लाख रुपये बरामद हुए हैं। लूटकांड के बाद वह नेपाल चला गया था।

देश के किसी दूसरे शहर में भागने की फिराक में वह सोनौली रोडवेज डिपो की बस में सवार हुआ। मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ा गया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। अब इस मामले में चौथे फरार आरोपित की गिरफ्तारी में पुलिस टीम जुट गई है।लूटकांड में गिरफ्तार तीसरा आरोपित विश्वजीत यादव गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के आजाद नगर का रहने वाला है। वह पहले भी मादक पदार्थ के कारोबार में जेल जा चुका है। एसओजी एवं पुलिस की टीम बीते मंगलवार की रात नेपाल सीमा के सुंडी घाट से मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले में दो और आरोपितों का नाम सामने आया था, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी। तीसरे आरोपी विश्वजीत को सोनौली रोडवेज बस डिपो से गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक गिरफ्तार कुल तीन बदमाशों में से दो गोरखपुर व एक देवरिया जिले का निवासी है। पुलिस के मुताबिक विश्वजीत हवाला कारोबार में लूट की घटना को अंजाम देने का मुख्य सूत्रधार था। कुशीनगर का रहने वाला अजय यादव की रेकी कर पूरी जानकारी एकत्र करने में अहम भूमिका निभाई थी। पैसा लेकर अजय के निकलने की सूचना विश्वजीत यादव ने अपने अन्य तीनों साथी रणविजय सिंह, बाबू सिंह एवं निरंजन सिंह को दी। इसके बाद चारों आरोपित बस से कैश लेकर नौतनवा आ रहे अजय का पीछा करने लगे। नौतनवा में रोडवेज बस सुबह 7:30 बजे के करीब एक्सिस बैंक निकट रुकी। अजय यादव बस से उतरकर बगल की गली से आगे बढ़ा ही था कि बिना नंबर प्लेट की ब्रेजा कर में सवार चारों आरोपित अपने आप को क्राइम ब्रांच का बता कर उसे गाड़ी में बिठा लिया था। उसके पास बड़ी मात्रा में पैसा देख जेल भेजने की धमकी देते हुए कच्ची मार्गो से होकर कोल्हुई की तरफ निकल पड़े।

अलग-अलग मामलों में दो गिरफ्तार

पडरौना : जिले की कसया पुलिस ने अलग-अलग मामलों में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि आइटी एक्ट का आरोपित शनि कुमार बंसतपुर थाना अहिरौली बाजार व मारपीट में वांछित आदित्य सिंह निवासी देवरिया रामकोला को गिरफ्तार किया गया है। (जासं)

दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

पडरौना : कप्तानगंज के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार बरवार ने बताया कि पाक्सो के आरोपित जिगना थाना घोसी जनपद मऊ निवासी रामगोपाल राजभर को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। (जासं)

पकड़ी गई दहेज हत्या की आरोपित महिला

पडरौना : जटहां बाजार के प्रभारी निरीक्षक राजनारायण यादव ने बताया कि दहेज हत्या के मामले में आरोपित महिला को पकड़ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। (जासं)

पशु तस्कर गिरफ्तार

पडरौना : खड्डा के दारोगा शर्मा सिंह ने बताया कि पशु तस्कर के आरोपित मुस्तफा बंजारी भुजौली बाजार खड्डा को पकड़ा गया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। (जासं)

सेवानिवृत्त दारोगा को दी गई विदाई

पडरौना : जिले में तैनात दारोगा राम मिलन के सेवानिवृत होने पर पुलिस कार्यालय के सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने अंग वस्त्र, माल्यार्पण कर, प्रशस्ति पत्र देकर विदाई दी।(विज्ञप्ति)

अग्निशमन केंद्र का सीएम ने किया वर्चुअल लोकार्पण

30 किमी दायरे के गांवों में समय से पहुंचेगा अग्निशमन दस्ता

जासं, कप्तानगंज : कस्बा में 8.84 करोड़ की लागत से नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल लोकार्पण किया। एलइडी स्क्रीन पर लोगों ने कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। थाना परिसर में बने अग्निशमन केंद्र के शिलापट का सांसद विजय कुमार दूबे ने अनावरण किया।

कप्तानगंज थाना परिसर में नवनिर्मित अग्निशमन भवन के शिलापट का अनावरण करते सांसद विजय कुमार दूबे (बाएं) ● जागरण

सांसद ने कहा कि कप्तानगंज में अग्निशमन केंद्र बन जाने से ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं होने पर जिला मुख्यालय से गाड़ियां आती थीं। यहां केंद्र स्थापित हो जाने से समय पर गाड़ियां गांवों में पहुंच जाएंगी। आग से होने वाली क्षति को नियंत्रित किया जा सकेगा। कप्तानगंज तहसील क्षेत्र की जनता काफी समय से फायर स्टेशन बनवाने की मांग कर रही थी। मुख्यमंत्री से वार्ता कर इसे स्वीकृत कराया गया है, अब लोकार्पण भी हो गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जसवीर सिंह ने बताया कि इस केंद्र से 30 किलोमीटर तक के दायरे में सेवा दी जाएगी। इस केंद्र पर नए आरक्षियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष आनंद मिश्रा ने व संचालन गुंजन मिश्रा ने किया। अपर पुलिस अधीक्षक रितेश सिंह, अभिनव त्यागी, सहायक अभियंता रामप्रकाश शुक्ला आदि मौजूद रहे।

अधिवक्ताओं का प्रदर्शन,नहीं किए न्यायिक कार्य

- प्रस्ताव के बाद भी एसडीएम के कोर्ट में बैठने से संघ नाराज
- उच्च न्यायालय के निर्देश पर हो रही थी सुनवाई : एसडीएम

तमकुहीराज स्थित एसडीएम कोर्ट के समक्ष प्रदर्शन करते अधिवक्ता ● जागरण

जागरण संवाददाता, तरयासुजान : तहसील तमकुहीराज के अधिवक्ता गुरुवार को जुलूस निकाल एसडीएम कोर्ट के सामने पहुंचे व नारेबाजी करते हुए एसडीएम के स्थानांतरण की मांग की। समस्या का समाधान होने तक अधिवक्ताओं ने एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार करने की घोषणा की। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर अमर्यादित व्यवहार करने व 500 पत्रावलियों को खारिज कर देने का आरोप लगाया।

इसके पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक राय व महामंत्री शंभू सिंह के नेतृत्व में आकस्मिक बैठक की गई। अधिवक्ताओं का आरोप है कि कोर्ट चलाए जाने की सूचना पर अधिवक्ता जब कोर्ट में पहुंच अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे थे तो एसडीएम ने पुलिस बुलवाकर अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि तहसीलदार न्यायालय और नायब तहसीलदार न्यायालय में न्यायिक कार्य जारी रखने में अधिवक्ता सहयोग करेंगे। इस मौके पर अवनीश कुमार मिश्र, अमरनाथ सिंह, दीपक कुमार पांडेय, संतोष कुमार गुप्ता, मुकेश कुमार गौतम, जमील अहमद, संजय गुप्ता, समित मिश्र, रकीब आलम, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, मार्कण्डेय वर्मा, आदर्श पटेल, नितांत कुमार सिंह सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।

एसडीएम, तमकुहीराज विकास चंद ने बताया कि बुधवार को उच्च न्यायालय के निर्देश पर फाइलों का निस्तारण किया जा रहा था।

उस समय समूह में आए अधिवक्ताओं ने न्यायालय कक्ष में घुसकर न्यायिक कार्य ठप करने का दबाव बनाना शुरू कर दिए। स्थिति नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ी।

पेड़ों की कटान को लेकर वनकर्मियों को लगाई फटकार

जासं, नेबुआ नौरंगिया: खड्डा वन रेंज के मुख्य पश्चिमी गंडक नहर समेत विभिन्न माइनरों और सड़क की पटरियों से चोरी से काटे जा रहे पेड़ों को लेकर विभाग के अधिकारी सख्त रुख अपनाने लगे हैं। गुरुवार की शाम खैरटिया शीतलापुर पौधशाला परिसर में वन क्षेत्राधिकारी श्रीप्रकाश पांडेय ने विभागीय कर्मचारियों के साथ बैठक की और उन्हें फटकार लगाई। वन क्षेत्राधिकारियों ने वनकर्मियों को गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया है। हिदायत दी कि अगर पेड़ों की कटान हुई तो संबंधित बीटकर्मी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नेबुआ नौरंगिया थाने व खड्डा वन रेंज की चितहां व खजुरिया माइनर, हरपुर रजवाहा और मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की पटरियों से एक माह में बड़ी संख्या में चोरी से पेड़ काटे गए हैं। इसकी जानकारी होने पर वन क्षेत्राधिकारी ने डिप्टी रेंजर अमित तिवारी, वन दारोगा लक्ष्मण प्रसाद, बीट प्रभारी शिवम पाठक, शाहिल और वाचरों के साथ बैठक कर कड़ा निर्देश दिया।

खैरटिया शीतलापुर के पौधशाला परिसर में वन कर्मियों की बैठक को संबोधित करते वन क्षेत्राधिकारी श्रीप्रकाश पांडेय (बीच में) • जागरण

जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज

पटहेरवा : क्षेत्र के करमैनी निवासी अली अहमद की तहरीर पर पुलिस ने जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। घटना 27 फरवरी शाम की है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि गांव के चौराहे पर शक्तिमान उर्फ बशीर निवासी करमैनी डीह व उसके साथी नूरानी अंसारी निवासी चंद्रौटा थाना तुर्कपट्टी ने जान से मारने की धमकी दी। (जासं)

युवक की पिटाई के मामले में तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

जोकवा बाजार : तुर्कपट्टी के लाला गुरवलिया गांव में युवक की विद्युत मोटर चोरी के आरोप में पिटाई के मामले में पुलिस ने बुधवार को तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। लाला गुरवलिया निवासी विजय कुशवाहा की चौराहे पर ही हार्डवेयर की दुकान है। वही से विद्युत मोटर चोरी के मामले में दुकानदार ने भाई अजय कुशवाहा व साथी फिरोज अंसारी संग हाटा निवासी संजय को मंगलवार को मारापीटा था। (जासं)

पशु क्रूरता का आरोपी गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसी

पटहेरवा। पटहेरवा पुलिस ने गोवध निवारण और पशु क्रूरता के मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुटी है। थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह गोवध निवारण और पशु क्रूरता के मामले में वांछित आरोपी गंगा कुशवाहा निवासी कोइलासवा बाई टोला थाना बघौचघाट जनपद देवरिया को फाजिलनगर के बघौच मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

किशोरी को भगाने वाले पिता-पुत्र पर केस दर्ज

उजारनाथ। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने अपनी बेटी को पिता पुत्र पर बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में जुटी है। घटना बीते 30 दिसंबर की बताई जा रही है। गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा कि मेरी बेटी को गांव का ही युवक 30 दिसंबर को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। युवक के पिता से पूछने पर उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। संवाद

अलग-अलग मामलों में दो गिरफ्तार

पडरौना। थाना कसया पुलिस टीम ने मारपीट, दुष्कर्म, धमकी और आईटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी शनि कुमार अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बंसतपुर गांव का निवासी है। वहीं, रामकोला थाना क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी गुड्डू सिंह को मारपीट, अपहरण और हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे। बृहस्पतिवार को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। संवाद

विवाहिता की हत्या में पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दहेज हत्या की पुष्टि नहीं

अदालत से

संवाद न्यूज एजेंसी

पडरौना। शादी के दो साल बाद विवाहिता की हत्या के मामले में पति, ससुर और सास को जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों को 50-50 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। दहेज के लिए हत्या का साक्ष्य नहीं मिलने पर हत्या के मामले में सजा सुनाई गई है। मामला खड्डा थाना क्षेत्र का है।

महराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी रमाशंकर ने अपनी पुत्री अंबा की शादी खड्डा थाना क्षेत्र के शाहपुर नौका टोला निवासी संतोष के साथ वर्ष 2016 में की थी। 28 मार्च 2018 की रात ससुराल वालों ने दहेज के लिए अंबा की हत्या कर दी। 29 मार्च को खड्डा पुलिस ने पति, सास और ससुर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचना के बाद कोर्ट में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान दहेज के लिए हत्या का साक्ष्य नहीं मिला। अदालत में सिर्फ विवाहिता की हत्या की पुष्टि हुई। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति संतोष कुमार, ससुर भीखम और सास सोनमती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50-50 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर पांच-पांच साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोरख प्रसाद यादव ने पैरवी की।

मुकर गए गवाह, हत्यारोपी दोषमुक्त

पडरौना। गड़ासे से पत्नी की गर्दन काटकर हत्या के आरोप में जेल भेजे गए पति को गवाहों के मुकरने और साक्ष्य नहीं मिलने पर बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। जिस बहू की हत्या पर पिता ने केस दर्ज कराया और बेटे ने पुलिस को गवाही दी वही दस साल बाद कोर्ट में मुकर गए। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सुखारी छपरा गांव निवासी छट्ठू कुशवाहा ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बेटा व्यास कुशवाहा बहू गीता को 11 अक्तूबर 2013 को दोपहर में गड़ासे गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। परिवार के लोगों ने बहू को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। वादी ससुर ने बताया कि बहू के बदचलन होने के कारण बेटे और परिवार के सदस्यों से अक्सर विवाद होता रहता था। इसके चलते दोनों अलग रहते थे। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार जेल भिजवा दिया था। पुलिस की कार्रवाई में आरोपी का पिता वादी और बेटे गवाह बने गए। पुलिस ने आरोपी व्यास कुशवाहा के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी बने आरोपी के पिता और गवाह बना बेटा अदालत के सामने मुकर गया। संवाद

दुष्कर्म के मामले में वांछित गिरफ्तार

पडरौना। थाना कप्तानगंज पुलिस टीम ने बृहस्पतिवार को एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामगोपाल राजभर अपहरण और दुष्कर्म के मामले में वांछित था और लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था।आरोपी मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के जिगना गांव का निवासी है।पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। संवाद

78 बोतल देसी शराब बरामद

तरयासुजान। हफुआ बलराम रमैना चौराहे पर पुलिस ने 78 बोतल देसी शराब के साथ गांव के तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुटी है। गश्त के दौरान तीन अलग-अलग झोले में 78 शीशी देश शराब बरामद हुआ। पुलिस ने दीपक चौहान (24), राजन कुमार (26) और रमेश (28) निवासी हफुआ बलराम रमैनाथाना तरयासुजान को गिरफ्तार किया गया। संवाद

गोवध मामले में दो वांछित दबोचे गए

पडरौना। कुशीनगर पुलिस ने बृहस्पतिवार को गोवध मामले में दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना खड्डा पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के भुजौली बाजार निवासी मुस्तफा बंजारा और पटहेरवा थाना पुलिस ने देवरिया जिले के बघौचघाट थाना क्षेत्र के कोइलसवा बई टोला निवासी गंगा कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहे थे। पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है जहां से उनको जेल भेज दिया गया। संवाद

दहेज हत्या में महिला गिरफ्तार

पडरौना। जटहां बाजार थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने बृहस्पतिवार को एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी दहेज हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रही थी। थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को उसे घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। संवाद

गिरफ्तार कैरियरों ने सरगना का बताया नाम, नेपाल में लोकेशन

नेपाल में बैठा सरगना कुशीनगर, महराजगंज और देवरिया में गुर्गों के जरिए कराता है गांजा की तस्करी

संवाद न्यूज एजेंसी

पडरौना। पूर्वोत्तर राज्यों से अवैध गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में ऊंचे दाम पर बेचने वाले तस्करों को पडरौना कोतवाली पुलिस टीम ने मंगलवार को थाना क्षेत्र के मिश्रौली नहर से गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तार चार आरोपियों में एक किशोर को भी पुलिस ने पकड़ा था, जिसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए तीनों तस्कर कैरियर का काम करते हैं। पुलिस अब गिरोह के सरगना की तलाश में जुटी हुई है, जिसकी लोकेशन नेपाल में मिल रही है।

पडरौना कोतवाली पुलिस टीम ने बीते मंगलवार को मिश्रौली नहर से तीन तस्कर और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि इनके पास से 40 किलो अवैध गांजा मिला था जो उड़ीसा और बंगाल से लेकर आ रहे थे। तस्कर पूर्वोत्तर के राज्यों से सस्ते कीमत में गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों में उंचे दामों पर बेचते थे।

गिरोह के सरगना की तलाश में जुटी पुलिस की टीम

पुलिस को पूछताछ में जानकारी मिली कि पकड़े गए तस्कर सिर्फ अवैध गांजा को पहुंचाने वाले कैरियर है और गैंग का सरगना नेपाल में रहकर पूरे गैंग को संचालित करता है।

पुलिस मोबाइल सर्विलांस के जरिए भी तस्करों के नेटवर्क को खंगाल कर सरगना तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसका लोकेशन लगातार पड़ोसी देश नेपाल में मिल रहा है। सीओ अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि गांजा के साथ गिरफ्तार आरोपियों ने कुछ नाम बताया है। इस पर पुलिस काम कर रही है। जल्द परिणाम आएगा।

प्राइवेट बस, ट्रक और बाइक से होती है तस्करी

तस्करी में लिप्त कैरियर उड़ीसा और बंगाल से गांजा लेकर ट्रेन, प्राइवेट बस, ट्रक और बाइक से सफर करते हैं। झोले में छोटे छोटे मात्रा में बार्डर पार करने के बाद एक जगह इकट्ठा करने के बाद कैरियर अवैध गांजे को अगले स्टेशन पर पहुंचाया जाता है। अभी हाल ही में प्राइवेट बस से पश्चिमी चंपारण से गोरखपुर ले जाए जा रहे 35 किलो अवैध गांजे की खेप को जिले के सीमावर्ती बिहार के धनहा थाना पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अवैध गांजा की बस से लेकर पडरौना जा रहे थे। वहां से किसी अन्य व्यक्ति को यह अवैध गांजा सौंपना था।

केस 1 बीते 26 अक्तूबर को गोरखपुर पुलिस ने 38 किलो गांजा के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में आरोपी गांजे की खेप को ट्रेन से वाराणसी लेकर आए थे और वहां से बस से लेकर गोरखपुर आ रहे थे तभी गिरफ्तार कर लिए गए। तस्करों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि बरामद अवैध गांजे की खेप कुशीनगर भेजी रही थी।

केस 2 13 अक्तूबर को गोरखपुर में एक दरोगा अपने साथी संग गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। उसके पास से शाहपुर पुलिस ने 33 किलो अवैध गांजा भी बरामद किया है। दरोगा अपने साथी के साथ मिलकर नेपाल से अवैध गांजा मंगवा कर गोरखपुर के तस्करों को सप्लाई करता था। आरोपी दरोगा लखनऊ का रहने वाला है और गोरखपुर के समन सेल में तैनात था।

नेपाल से लेकर उत्तर भारत में फैला है नेटवर्क

तस्करों का नेटवर्क नेपाल समेत पूरे उत्तर भार में फैला हुआ है। सरगना नेपाल में बैठ कर पूरे नेटवर्क को कैरियरों के जरिए संचालित करता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल से सस्ते दाम पर गांजा खरीदकर बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर समेत पड़ोसी राज्यों में महंगे दाम पर बेचते हैं। तस्कर का नेटवर्क हर छोटे बड़े शहर में है।

पेड़ों की कटाई रोकने के लिए रेंजर ने कसा पेच

पिपरा बाजार। नहरों पर रात के अंधेरे मे हो रहे पेड़ों की कटान को लेकर वन विभाग सख्त हो गया है। बृहस्पतिवार को दोपहर बाद खैरटिया शीतलापुर नर्सरी पर रेंजर ने विभागीय कर्मचारियों के साथ बैठक कर मातहतों को फटकार लगाई। सभी नहरों पर वन कर्मियों को गश्त बढ़ाने और चौकसी के निर्देश दिए। हिदायत दी है कि यदि कहीं कटान हुई तो बीट कर्मी के खिलाफ डीएफओ को रिपोर्ट भेजकर कार्रवाई होगी।

नेबुआ नौरंगिया थाना व खड्डा वन रेंज क्षेत्र के चितहा माइनर, हरपुर राजवाहा, खजुरिया व पश्चिमी गंडक नहर की पटरियों से जलावन, दाहसंस्कार के लिए माफिया चोरी से पेड़ों की कटान करते हैं। बुधवार को पुलिस को देख चोरी से लकड़ी काट रहे युवक भाग गए थे। वन विभाग के प्रयास के बाद भी नहीं पकड़े गए। रेंजर श्री प्रकाश पांडेय ने खैरटिया शीतलापुर नर्सरी पर बैठक की। कहा कि आए दिन पेड़ काटने की सूचना मिल रही है। संवाद

मारपीट के आरोप में केस दर्ज

तरयासुजान। एक गांव निवासी ने व्यक्ति ने बृहस्पतिवार को पुलिस को तहरीर सौंपा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। तरयासुजान थाना क्षेत्र के अहिरौलीदान निवासी अनिल सिंह ने तहरीर में कहा कि 26 फरवरी की रात वे घर जा रहे थे। उसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। बीच बचाव में आई बेटी व पत्नी को भी मारा-पीटा। संवाद

मारपीट के आरोप में केस दर्ज

तरयासुजान। एक गांव निवासी ने व्यक्ति ने बृहस्पतिवार को पुलिस को तहरीर सौंपा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। तरयासुजान थाना क्षेत्र के अहिरौलीदान निवासी अनिल सिंह ने तहरीर में कहा कि 26 फरवरी की रात वे घर जा रहे थे। उसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। बीच बचाव में आई बेटी व पत्नी को भी मारा-पीटा। संवाद

MAHARAJ GANJ POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 01-03-2024

साठ शीशी नेपाली शराब बरामद

खनुआ। सोनौली पुलिस चेकिंग के दौरान भारत नेपाल सीमा के फरेंदी तिवारी गांव के पास से युवक के पास से साठ शीशी नेपाली शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

सीओ नौतनवा जयप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि सोनौली थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर्मी गश्त कर रहे थे। फरेंदी तिवारी के पास नेपाल सीमा की तरफ से झोला लेकर आ रहे एक युवक को रोक तलाशी लिया। झोला से साठ शीशी नेपाली शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम विष्णु विश्वकर्मा निवासी गौतमबुद्ध नगर वार्ड नंबर 5 सोनौली बताया।

छत्तीसगढ़ पुलिस ने हत्यारोपी को उठाया

निचलौल। थाना क्षेत्र के ग्राम मेघौली स्थित एक ईंट भठ्ठे पर छिपकर रह रहे हत्या के एक आरोपी को छत्तीसगढ़ से आई पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे अपने साथ ले गई।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के करतला थाना के नवाडीह गांव का रहने वाला राजेश लहरे ने दो सप्ताह पहले वहीं के एक युवक की हत्या कर दी थी। राजेश का एक रिश्तेदार निचलौल क्षेत्र के ग्राम मेघौली स्थित ईंट भठ्ठे पर कार्य करता है। हत्या के बाद वह रिश्तेदार के पास चला आया था और छिपकर रहता था। छत्तीसगढ़ की पुलिस निचलौल पहुंची और निचलौल पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर गई है।

लूटकांड में गोरखपुर का तीसरा बदमाश दबोचा

फॉलोअप

नौतनवा, हिन्दुस्तान संवाद। कुशीनगर के युवक से नौतनवा कस्बा में हुई लूट में फरार तीसरे बदमाश को एसओजी व पुसिस टीम ने सोनौली बस डिपो से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तीन लाख रुपये बरामद हुए हैं। लूटकांड के बाद वह नेपाल चला गया था। देश के किसी दूसरे शहर में भागने की फिराक में वह सोनौली रोडवेज डिपो की बस में सवार हुआ। मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ा गया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। अब इस मामले में चौथे फरार आरोपित की गिरफ्तारी में पुलिस टीम जुट गई है।

लूटकांड में गिरफ्तार तीसरा आरोपित विश्वजीत यादव गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के आजाद नगर का रहने वाला है। वह पहले भी मादक पदार्थ के कारोबार में जेल जा चुका है। एसओजी एवं पुलिस की टीम बीते मंगलवार की रात नेपाल सीमा के सुंडी घाट से मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले में दो और आरोपितों का नाम सामने आया था, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी। तीसरे आरोपी विश्वजीत को सोनौली रोडवेज बस डिपो से गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक गिरफ्तार कुल तीन बदमाशों में से दो गोरखपुर व एक देवरिया जिले का निवासी है।

नौतनवा पुलिस ने विश्वजीत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

लूटकांड का सूत्रधार था विश्वजीत

पुलिस के मुताबिक विश्वजीत हवाला कारोबार में लूट की घटना को अंजाम देने का मुख्य सूत्रधार था। कुशीनगर का रहने वाला अजय यादव की रेकी कर पूरी जानकारी एकत्र करने में अहम भूमिका निभाई थी। बीस फरवरी को पैसा लेकर अजय के निकलने की सूचना विश्वजीत यादव ने अपने अन्य तीनों साथी रणविजय सिंह, बाबू सिंह एवं निरंजन सिंह को दी। इसके बाद चारों आरोपित बस से कैश लेकर नौतनवा आ रहे अजय का पीछा करने लगे। नौतनवा में रोडवेज बस सुबह 7:30 बजे के करीब एक्सिस बैंक निकट रुकी। अजय यादव बस से उतरकर बगल की गली से आगे बढ़ा ही था कि बिना नंबर प्लेट की ब्रेजा कर में सवार चारों आरोपित अपने आप को क्राइम ब्रांच का बता कर उसे गाड़ी में बिठा लिया था। उसके पास बड़ी मात्रा में पैसा देख जेल भेजने की धमकी देते हुए कच्ची मार्गों से होकर कोल्हुई की तरफ निकल पड़े। रास्ते में ही डरा धमका कर उसे उतार दिया और पैसा लेकर फरार हो गए थे।

> नौतनवा लूटकांड में तीसरे आरोपित विश्वजीत यादव को सोनौली रोडवेज बस डिपो से गिरफ्तार किया गया। सूचना पर पहुंच पुलिस कर्मी रोडवेज बस में जांच शुरू कर दी। विश्वजीत मास्क लगाकर बस में बैठा था। उसके पास से तीन लाख रुपया नगदी बरामद हुआ है। विश्वजीत के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। उसे जेल भेज दिया गया।
>
> -मनोज कुमार रॉय, थानाध्यक्ष, नौतनवा

प्रधान को पीटा, दो के खिलाफ केस

पनियरा। पनियरा के ग्राम पंचायत भवानीपुर के ग्राम प्रधान को बुधवार की शाम गांव के ही कुछ लोगों ने बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। मामले में प्रधान ने थाने पर तहरीर दी है।

ग्राम प्रधान अछैबर की तहरीर के अनुसार गांव के कुछ लोगों ने बुधवार की शाम साढ़े सात बजे चुनावी रंजिश को लेकर उसे लाठी डंडे से बुरी तरह मारा पीटा। इससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने मामले में दो लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है।

प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है।

कई कारोबारी भी हैं पुलिस के रडार पर

नौतनवा। पांच लाख की लूट में 19 लाख रुपये की बरामदगी के बाद पुलिस नौतनवा कस्बे के कई कारोबारियों को अपने जांच के रडार पर ले लिया है। हवाला कारोबार का नेटवर्क से गोरखपुर से नौतनवा में जुड़ने के बाद कौन-कौन इसमें शामिल है? भारत-नेपाल सीमा के करीब भारी मात्रा में नगदी के लेन-देन की जांच जारी है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि गोरखपुर से नौतनवा के लिए भेजी गई इतनी बड़ी रकम आखिर किसकी थी और किस कार्य के इस्तेमाल के लिए पहुंचाया जाना था। नेपाल सीमा पर अवैध धंधों में पैसों का हवाला कारोबार से ही लेनदेन पर भी पुलिस की निगाह टिक गई है।

पांच लाख की लूट में अभी तक 19 लाख कैश बरामद: नौतनवा में लूट के शिकार कुशीनगर के युवक अजय यादव ने पुलिस को महज पांच लाख रुपये लूट की सूचना दी थी। इस मामले में अभी तक 19 लाख कैश बरामद हो चुका है।

मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज

सिन्दुरिया। सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पतरेंगवा निवासी नीरज की तहरीर पर सिन्दुरिया पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। तहरीर देकर नीरज ने बताया कि बुधवार को उसका भाई धीरज अपने मित्र सोमनाथ के साथ रामपुरमीर पुल पर सायकिल बनवाने गया था। सायकिल दुकानदार से किसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई।

मौके पर नीरज भी टेंपो लेकर पहुंचा। बीच बचाव करने लगा। आरोप है कि दुकानदार ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ भी मारपीट किया। इसमें तीन लोग घायल हुए। एसओ अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

प्रधान को मनवढ़ों ने पीटा मुकदमा दर्ज

पनियराः पनियरा थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत भवानीपुर के ग्राम प्रधान को बुधवार की शाम गांव के ही कुछ मनवढ़ों ने मारपीट कर घायल कर दिया। ग्राम प्रधान अच्छैवर ने थाने पर तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने चुनावी रंजिश को लेकर उसे लाठी डंडे से मारापीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। थानाध्यक्ष निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि इसी गांव निवासी दयाशंकर और रामरतन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है।

चावल व साइकिल बरामद

ठूठीबारी : भारत–नेपाल सीमा के निकट एसएसबी ने बुधवार की रात स्तंभ संख्या 506/11 के समीप टड़हवा से दो साइकिल पर लदा चावल व मैदा बरामद किया है, जिसे जब्त कर कस्टम ठूठीबारी को सिपुर्द कर दिया। बीओपी इंचार्ज अजय हुड्डा ने बताया कि राजाबारी में जवानों ने भारत से नेपाल जा रहा चावल 1,250 किग्रा व मैदा 100 किग्रा के साथ दो साइकिल भी पकड़ा, जबकि आरोपी भागने में सफल रहे। (जासं)

हत्या के आरोपित को ले गई छत्तीसगढ़ पुलिस

निचलौल: हत्या के मामले में वांछित एक अभियुक्त को थाना क्षेत्र के मेघौली ईंट भट्ठे से गुरुवार को छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के थाना करतला के गांव नौवाडीह निवासी राजेश लहरे हत्या कर यहां ईंट भट्ठे पर अपने साले के पास आकर छिपा हुआ था, जिसकी सूचना वहां की पुलिस को मिली। वहां से उपनिरीक्षक ने संपर्क कर सहायता मांगी थी। (जासं)

नाबालिग को भगाने मामले में मुकदमा दर्ज

जासं, सिंदुरिया: स्थानीय थाना क्षेत्र एक गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने कहा है कि 20 फरवरी को मेरी बच्ची को गांव का ही युवक अपने स्वजन की मदद से भगा ले गया। जब इसकी शिकायत करने आरोपित के घर गए तो उसके घर वाले जान से मारने की धमकी देने लगे। थानाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि पीड़ित पिता के तहरीर पर आरोपित सिबानी व माता-पिता सहित अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।

चुनाव को लेकर सख्ती, 118 पर गुंडा एक्ट का शिकंजा

लोकसभा चुनाव

- निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने को लेकर मुस्तैद हुई जिले की पुलिस
- मादक पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ तेज कर दिया गया है अभियान

महराजगंज, निज संवाददाता। आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने के लिए एसपी सोमेन्द्र मीना व एडिशनल एसपी आतिश कुमार सिंह के नेतृत्व में जिले की पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। निरोधात्मक कार्रवाई तेज कर दी गई है। मादक पदार्थों व अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है।

पुलिस कार्यालय के मुताबिक इस साल अभी तक 118 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आपराधिक उपद्रव में कई बार नाम सामने आने के बाद गुंडा एक्ट के तहत आरोपितों के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। इसमें से 29 आरोपितों को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद जिला बदर किया जा चुका है। इस दौरान जिले में आने के बाद पकड़े जाने पर पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। इसके अलावा अभी तक करीब 11 हजार लोगों को शांतिभंग की आशंका में पाबंद किया जा चुका है। किसी भी विवाद में इन लोगों का नाम सामने आने के बाद गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

> आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था बनाने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई तेज कर दी गई है। ऐसे लोगों का भी ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है जिनसे शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर पाबंद किया जा रहा है। गुंडा व गैंगेस्टर एक्ट के मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है।
>
> -आतिश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी

गैंगेस्टर एक्ट के पांच केस में 25 लोगों पर कार्रवाई: गैंग बनाकर कानून विरोधी कृत्य करने वालों को चिन्हित करने में पुलिस जुट गई है। पुलिस कार्यालय के मुताबिक इस साल अभी तक गैंगेस्टर एक्ट के पांच केस दर्ज किए गए हैं। इसमें शामिल 25-30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनका गैंग चार्ट भी बनाया गया है। अपराधों का पूरा ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। केस दर्ज कराने के बाद पुलिस विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर सजा दिलाने के लिए अभियोजन विभाग से समन्वय बनाकर प्रभावी कार्रवाई भी कर रही है।

डेढ़ माह में सात हजार लीटर अवैध शराब बरामद: लोकसभा चुनाव में शराब के अवैध भंडारण पर पुलिस डेढ़ माह पहले से ही विशेष अभियान चला रही है। अभी तक सात हजार लीटर अवैध कच्ची शराब पुलिस पकड़ चुकी है। नेपाल से आने वाले शराब को पकड़ने के लिए बार्डर क्षेत्र के सात थानों की पुलिस एसएसबी व आबकारी विभाग से समन्वय बनाकर लगातार कार्रवाई कर रही है। हर दिन नेपाली शराब की बरामदगी हो रही है।

नौतनवा में हुई लूट का तीसरा आरोपित भी गिरफ्तार

20 फरवरी को कुशीनगर के व्यापारी से हुई थी पांच लाख की लूट, बुधवार को मुठभेड़ में पकड़े थे दो लुटेरे

नौतनवा थाने में पकड़े गए तीसरे आरोपित के साथ पुलिस टीम● जागरण

जागरण संवाददाता, नौतनवा: नौतनवा कस्बा के एक्सिस बैंक के पास बीते 20 फरवरी को कुशीनगर के रहने वाले व्यापारी अजय यादव के साथ पांच लाख की लूट को अंजाम देने वाले तीसरे आरोपित विश्वजीत यादव को भी पुलिस ने गुरुवार की दोपहर सवा एक बजे सोनौली बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है।

वह सोनौली से कानपुर जा रही रोडवेज बस में मास्क लगाकर बैठा था। पुलिस ने उसके पास से तीन लाख रुपये बरामद किया है। लूट के दो आरोपित निरंजन सिंह व बाबू सिंह बुधवार की देर रात पुलिस मुठभेड़ में पकड़े जा चुके हैं। उनके पास लूट में प्रयुक्त कार व 15 लाख 88 हजार रुपये व दो अदद असलहा एवं कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस चौथे लुटेरे रण विजय सिंह की तलाश में जुटी है।

व्यापारी लूटकांड

- चौथे आरोपित की तलाश में जुटी है पुलिस टीम
- पुलिस ने लूट के तीन लाख रुपये भी बरामद किया

पकड़ा गया आरोपित विश्वजीत यादव उर्फ शेरू मजगहवा थाना खजनी जनपद गोरखपुर का निवासी है। इसके विरुद्ध गोरखपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है। एसओजी प्रभारी महेंद्र यादव व नौतनवा थाना प्रभारी मनोज कुमार राय की टीम ने उसे सोनौली पुलिस की मदद से पकड़ा है।

नौतनवा थानाध्यक्ष ने बताया कि लूट के तीसरे आरोपित को पकड़ लिया गया है। बस से गोरखपुर भागने के फिराक में था। आरोपित को न्यायालय भेज दिया गया है। चौथे आरोपित की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

लूटकांड में रुपयों को लेकर उलझी पुलिस

- तीसरे आरोपित की गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपित विपुल उर्फ रणविजय की तलाश जारी
- आरोपितों के अनुसार 35 लाख थी रकम, विवेचना उपरांत आयकर विभाग से भी पुलिस लेगी मदद

जागरण संवाददाता, महराजगंज: नौतनवा में हुए लूटकांड में मामले में पुलिस की जांच रुपयों को लेकर उलझ गई है। पीड़ित के अनुसार मात्र पांच लाख की लूट हुई थी, जबकि गिरफ्तार आरोपितों के मुताबिक लूट 35 लाख की थी। गुरुवार को गिरफ्तार हुए तीसरे आरोपित के पास से भी पुलिस ने तीन लाख रुपये बरामद किए हैं, और अबतक की पूछताछ में आरोपित ने यह भी बताया है, कि उसे भी कुल आठ लाख रुपये की हिस्सेदारी मिली थी, जिसमें से पांच लाख रुपये उसने खर्च कर दिए हैं। हांलाकि पुलिस अभी मात्र लूट की जांच कर रही है। विवेचना पूरी होने के बाद मामले में पुलिस आयकर विभाग से संपर्क कर रुपयों की भी जांच करेगी।

हवाला कारोबार को निशाना बना रहे लुटेरे : नेपाल बार्डर किनारे बसे नौतनवा और सोनौली में बड़े पैमाने पर हवाला कारोबार संचालित हो रहा है। इसके साथ ही बार्डर पर नशे का कारोबार भी खूब फल-फूल रहा है। सोनौली अंतरराष्ट्रीय बार्डर पर बड़ी मात्रा में मनी एक्सचेंज का कारोबार भी हवाला के कारोबार का बड़ा कारण है। इतना ही नहीं बार्डर पर नशे के कारोबार के रुपयों की लेनदेन भी यहीं नौतनवा और सोनौली में ही होता है। इसके लिए आने वाले रुपयों की लूट होने की यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व भी 2022 में कोल्हुई क्षेत्र में करीब 80 लाख रुपये के नकदी की लूट हुई थी।

उस मामले में हवाला कारोबारी ने शिकायत ही नहीं दर्ज कराई थी। उसमें पुलिस की एक टीम पर भी आरोप लगे थे, हालांकि बाद में लुटेरे दूसरे जनपद में पकड़े गए तो जिले में हुए लूट के बारे में जानकारी हुई थी। इसके पूर्व 10 अक्टूबर 2023 को पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने गोरखपुर के शास्त्रीनगर के रहने वाले अभिमन्यु यादव को गोली मारकर 56 लाख रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में भी पीड़ित ने मात्र दो लाख रुपये की लूट का मुकदमा लिखवाया था।

> लूट के मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। अबतक इस मामले में कुल तीन आरोपित पकड़ में आ चुके हैं। मऊ जिले के रहने वाले विपुल उर्फ रणविजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेष लूट के मामले में पीड़ित ने मात्र पांच लाख रुपये क्यों बताए थे, इसकी पूछताछ की जा रही है। शेष विवेचना के बाद मामले में आयकर विभाग को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी।
>
> मनोज कुमार राय, थानाध्यक्ष नौतनवा

नौतनवा के लूट मामले में तीसरा आरोपी दबोचा, तीन लाख बरामद

पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता, मऊ के आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

संवाद न्यूज एजेंसी

महराजगंज/नौतनवां। कुशीनगर के अजय यादव के साथ नौतनवा में 20 फरवरी को हुई लूट के मामले में तीसरे आरोपी को भी नौतनवा पुलिस और एसओजी टीम ने सोनौली बस अड्डा से बृहस्पतिवार को तीन लाख रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार दो आरोपी जेल जा चुके हैं। पुलिस चौथे की तलाश कर रही है। रकम हवाला का है या कहीं और से आ रहा था, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल रही है।

कुशीनगर जनपद के अजय यादव गोरखपुर में रहकर काम करते हैं। 20 फरवरी को सुबह करीब साढ़े पांच बजे रुपये लेकर बस से निकले वह नौतनवा के कस्बा के एक्सिस बैंक के पास बस से उतरकर पैदल जा रहे थे। तभी कार से चार लोग आए और अपने को क्राइम ब्रांच से बताकर अजय यादव को असलहा दिखाकर कार में बैठा लिए। रास्ते में रुपये लूटने के बाद कोल्हुई के पास कार से उतार कर चले गए। अजय यादव ने नौतनवा पुलिस को तहरीर देकर पांच लाख रुपये की लूट बताई। जबकि गिरफ्तार आरोपियों ने 35 लाख रुपये कबूल किए।

गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करती पुलिस। संवाद

चार अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट का केस दर्ज कर पांच टीमें जांच में जुटी थीं। बुधवार की रात करीब दो बजे नौतनवा थाना क्षेत्र के सुंडी मार्ग पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया और दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया।

दोनों बदमाशों को पुलिस जेल भेजने के बाद अन्य दो लुटेरों की तलाश में जुटी थी। पुलिस को एक आरोपी की लोकेशन नेपाल में मिली। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि लूट का एक आरोपी सोनौली बस अड्डा पर गोरखपुर जाने वाली रोडवेज बस में बैठा है।

पुलिस ने सोनौली बस अड्डा पर जाकर बस की जांच की तो एक युवक संदिग्ध दिखा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम विश्वजीत यादव निवासी मझगावा थाना खजनी जनपद गोरखपुर बताया। पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसके पास से तीन लाख रुपये बरामद हुए। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने 20 फरवरी को हुए लूट के रुपये बताए।

क्षेत्राधिकारी नौतनवा जय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि नौतनवा कस्बे में हुई लूट में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से तीन लाख रुपये बरामद किया गया। आरोपी को न्यायालय चालान कर जेल भेज दिया गया। चौथे आरोपी विपुल सिंह उर्फ रणविजय सिंह मऊ जनपद निवासी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है।

दो आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर पुलिस भेज चुकी है जेल

हत्यारोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में हत्या कर मेघौली खुर्द में ईंट भट्ठे पर रिश्तेदार के पास छुपा था

निचलौल। छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति की हत्याकर फरार आरोपी को निचलौल और छत्तीसगढ़ की संयुक्त टीम ने बृहस्पतिवार को मेघौली खुर्द गांव स्थित एक ईंट भट्ठे से पकड़कर थाने लाई। जहां से छत्तीसगढ़ पुलिस ने देर शाम को आरोपी को लेकर लौट गई।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजेश लहरे निवासी नवाडिह थाना करतला जिला कोरवा छत्तीसगढ़ पर करीब एक सप्ताह पहले गांव के एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है। उसके बाद पुलिस को चकमा देकर वहां से भागकर निचलौल थाना क्षेत्र के मेघौली खुर्द गांव स्थित एक ईंट भट्ठे पर अपने रिश्तेदार के पास छिपा था। जिसकी तलाश करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस थाने पर डेरा डाली हुई थी।

मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी राजेश लहरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह के अनुसार, आरोपी से पूछताछ के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस साथ लेकर रवाना हो गई।

दबंगों ने ग्राम प्रधान को पीटा, केस दर्ज

महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवानीपुर के ग्राम प्रधान को गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मामले में प्रधान ने थाने पर तहरीर दी है। ग्राम प्रधान अछैबर ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने बुधवार की शाम साढ़े सात बजे चुनावी रंजिश को लेकर लाठी-डंडे से पीट दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने मामले में दो लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह के अनुसार केस दर्ज कर लिया गया है। संवाद

किशोरी को भगाने के मामले में केस

सिंदुरिया। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के अपहरण के मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर बृहस्पतिवार को सिंदुरिया पुलिस केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। सिंदुरिया प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार सिंह के अनुसार, थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक अपने ही गांव की लड़की को 20 फरवरी को घर से बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता के पिता ने आरोपी के विरुद्ध थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। संवाद

किशोरी को भगाने आरोप में तीन के खिलाफ केस दर्ज

मिठौरा। सिंदुरिया थानाक्षेत्र के एक ग्राम सभा निवासी व्यक्ति ने अपनी नबालिग पुत्री को भगाने का आरोप लगाकर सिंदुरिया थाने में शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। सिंदुरिया थाना क्षेत्र के एक ग्राम सभा निवासी व्यक्ति ने सिंदुरिया थाने में शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि नाबालिग पुत्री को ग्राम सभा निवासी व्यक्तियों पर बहला फुसला भगा ले गए, जिसका काफी खोज बिन किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। संवाद

BASTI POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 01-03-2024

12 का सीआरपीसी में चालान

बस्ती (एसएनबी)। रूधौली थाने की पुलिस ने 12 लोगो को जी सीआरपीसी के तहत चालान किया है।आरोपी राम केवल पुत्र दयाराम निवासी नहरूमवापुर, साहब पुत्र रामसवारे, चन्दु लोध पुत्र झिनक, कप्तान पुत्र साहब, रामफेर पुत्र जोखु निवासीगण पिपराकला थाना रूधौली, शिवा पुत्र रामसरन, रामशरण पुत्र जयंत्री प्रसाद, सुधीर पुत्र शीतलाल, शैलेन्द्र पुत्र राममूरत निवासीगण खम्भा थाना रूधौली, सुजीत, हृदयराम पुत्र नन्दु चौधरी, कनिकराम पुत्र नन्दू चौधरी निवासीगण बभनी मिश्र पर 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही किया गया है।

पत्नी को जलाकर मारने वाले को आजीवन कारावास

बस्ती (एसएनबी)। पत्नी का जलाकर मार देने के आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में थाना लालगंज पर पंजीकृत धारा 302, 498ए में पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करने व मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाकर मार देने के आरोप में अभियुक्त सिकन्दर पुत्र भोला निवासी हरैया थाना लालगंज को पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से न्यायालय एएसजे-6 बस्ती द्वारा आजीवन कारावास व 10,000 रुपये का अर्थदण्ड की सुनाई गई।

भानपुर को मिला 14 करोड़ की लागत का फायर स्टेशन

भानपुर (एसएनबी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 34 अग्निशमन केंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण एवं चार अग्निशमन केंद्रों का शिलान्यास कि या।। जिसमें 14 करोड़ 20 लाख बत्तीस हजार रुपये की लागत क ा अग्निशमन केंद्र भानपुर का भी लोकार्पण हुआ।

भानपुर तहसील क्षेत्र के 413 गांवों के साढ़े तीन लाख लोग होंगे लाभांवित

कम समय में सरकार की बड़ी उपलब्धि : नितेश

यहाँ भानपुर में फायर स्टेशन का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी तथा सांसद प्रतिनिधि नितेश शर्मा ने फीता काटकर किया। पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने कहा कि भानपुर अग्निशमन केंद्र का लाभ भानपुर तहसील क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले थाना क्षेत्र सोनहा तथा गौर, वाल्टरगंज एवं रुधौली आंशिक के कुल 413 गांव जिनकी आबादी 358572 है। इस फायर स्टेशन के शिलान्यास के कुछ दिनों बाद ही 4 अप्रैल 2022 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर क्रियाशील कर दिया गया था। भानपुर अगिशमन केंद्र के क्रियाशील होने के बाद से अब तक भानपुर तहसील क्षेत्र के कल 181 अगिकांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 मनुष्यो 53 पशु आन एवं लगभग 1 करोड़ 8 लाख 60 रुपए से अधिक की संपत्ति बचाई गई है। सांसद प्रतिनिधि नितेश शर्मा ने कहा कि पिछले 7 वर्षो में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए गये। कम समय में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह, एसडीएम आशुतोष त्रिपाठी, सीओ रुधौली सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी, सीएफओ यतीन्द्र नाथ, अग्निशमन अधिकारी रमेश चन्द्र यादव, प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र,फायर मैन अभिलाष चंद्र पांडेय, राम निवास यादव, भाजपा नेता अनूप शुक्ल, सुधाकर पांडेय नीरज, मंटू दूबे, अनिल मिश्र, रामभारत यादव, राजाराम तिवारी, संतोष पांडेय, राजू मिश्र, भगवंत गुप्ता, आकाश चौधरी, दीपक पांडेय सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

फायर स्टेशन का लोकार्पण करते पुलिस अधीक्षक व सांसद प्रतिनिधि

तीन लोगों को न्यायालय ने सुनाई सजा

बस्ती (एसएनबी)। मारपीट करने के मामले में तीन आरोपियों को न्यायालय ने कारावास तथा अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। कार्यवाही पैरवी सेल तथा थाना छावनी की पुलिस के प्रयास से हुआ है।

पैकोलिया थाने के केसरई गांव निवासी मानिकराम व रामलौट द्वारा एक व्यक्ति पर खतरनाक हथियार हमला कर उसे गम्भीर रूप से चोट पहुचाया गया था। जिसके तहत कलवारी पलिस ने पीड़ित की तहरीर पर वर्ष 1995 में धारा धारा 323, 324 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के बाद लगातार पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही थी। जिसके क्रम में पैरवी सेल के सशक्त व प्रभावी प्रयास से न्यायालय एसीजेएम प्रथम, बस्ती द्वारा आरोपी मानिकराम पुत्र जगलाल, रामलौट पुत्र सरजू प्रसाद निवासीगण केसरई थाना पैकोलिया को 3 माह के परिवीक्षा की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार से एक अन्य समाचार के अनुसार मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में थाना छावनी में पंजीकृत धारा 323, 504, 506 आईपीसी से संबंधित आरोपी राजकुमार पुत्र झुरई वर्मा निवासी बड़ेरिया कुवर थाना पैकोलिया को पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से न्यायालय एसीजेएम प्रथम, बस्ती द्वारा 600 रुपये का अर्थदण्ड व पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि के दण्ड की सजा सुनाई है।

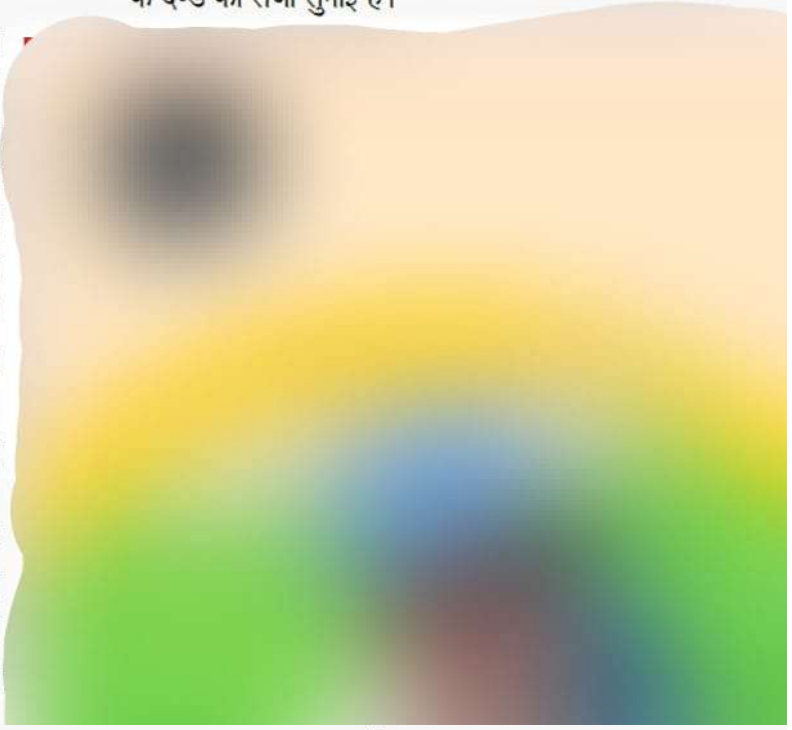

सम्मन व मानीटरिंग सेल के साथ आईजी ने की गोष्ठी

बस्ती (एसएनबी)। परिक्षेत्र के जनपदों के सम्मन सेल ,न्यायालय सम्मन सेल व मानीटरिंग सेल के प्रभारियों की आईजी बस्ती ने समीक्षा गोष्ठी किया। उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि न्यायालय द्वारा जो भी सम्मन जारी किया जाय उसका जिम्मेदारी पूर्वक अनुपाल करते हुए रजिस्टर में अंकन के साथ ही संबंधित का प्रेषित किया जाय।

पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र आरके भारद्वाज द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय के सभागार में परिक्षेत्रीय जनपदों के सम्मन सेल, न्यायालय सम्मन सेल व मानीटरिंग सेल के प्रभारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी की। समीक्षा गोष्ठी के दौरान तीनों जनपद के सम्मन सेल के प्रभारियों व उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया गया । आईजी आरके भारद्वाज ने जनपदीय सम्मन सेल को निर्देशित किया गया कि संबंधित थाने के न्यायालय पैरोकार द्वारा जो भी सम्मन न्यायालय से प्राप्त किया जाए। रजिस्टर में अंकन करते हुए प्रेषित किया जाये व पुनः सम्मन वापस करते समय भी रजिस्टर में अंकन किया जाये। सम्मन सेल द्वारा बजात खास ,जरिये वारिश के सापेक्ष अदम तामिला की संख्या अधिक होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि बजात खास, जरिये वारिस तामिला अधिक से अधिक संख्या में करायी जाये । प्रत्येक न्यायालय में प्रोसेस रजिस्टर तैयार कराया जाये एवं न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन का तामिला किया जाये । मानीटरिंग सेल के प्रभारी को निर्देशित किया गया कि टाप टेन चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध सभी केसों में प्रभावी पैरवी करते हुए उनके विरुद्ध चार्ज फ्रेम कराकर गवाही कराते हुए यथाशीघ्र सजा की कार्यवाही करायी जाये। गोष्ठी के दौरान सम्मन सेल, न्यायालय सम्मन सेल व मानीटरिंग सेल के प्रभारीगण व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा रेंज कार्यालय के वाचक उप निरीक्षक रमेश कुमार उपस्थित रहे।

गोष्ठी को सम्बोधित करते आईजी। फोटो : एसएनबी

बारात में दो पक्षों में मारपीट, केस

बस्ती (एसएनबी)। रूधौली थाना क्षेत्र के कस्बा रूधौली स्थित एक बारात में हुए विवाद के बाद वार्ड नम्बर 12 गांधीनगर निवासी आदित्य मोदनवाल को विपक्षी रवि मोदनवाल, विकास मोदनवाल सहित अन्य कई लोगो ने मिलकर गालियां देते हुए मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। मामले में पीड़ित आदित्य मोदनवाल पुत्र सियाराम मोदनवाल निवासी वार्ड नंबर 12 गाँधीनगर थाना रुधौली की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रवि मोदनवाल, विकास मोदनवाल पुत्रगण रमा शंकर मोदनवाल, महेन्द्र मोदनवाल, जितेन्द्र मोदनवाल, जोगिन्द्र मोदनवाल पुत्रगण उमा शंकर मोदनवाल निवासीगण वार्ड नंबर 12 मोहल्ला गांधीनगर थाना रुधौली व दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 147, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

वहीं दूसरे पक्ष के विकास पुत्र रमाशंकर मोदनवाल निवासी वार्ड नम्बर 12 गांधीनगर ने बताया कि मसकनवा बारात में नाचने के दौरान आदित्य कुमार मोदनवाल तथा उनके साथियों से विवाद हुआ था। जब बारात वापस रूधौली आयी तो कस्बे में अभियुक्तगणो द्वारा एक दुकान पर उसे घेर लिया और जाति सूचक गालियां देते हुए मारापीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उसकी स्कार्पियों वाहन को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले में रूधौली पुलिस ने आरोपी आदित्य कुमार मोदनवाल पुत्र सियाराम, श्रवण उर्फ गोलु पुत्र काशीराम, सजय पुत्र काशीराम, शुभम, हिमाशु पुत्रगण सियाराम व सौरभ पुत्र श्याममिलन निवासीगण वार्ड नंबर 12 मोहल्लाह गाधीनगर थाना रुधौली के विरुद्ध धारा 147, 323, 504, 506 , 427 आईपीसी एवं 3(1)द व ध एससी एसटी एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

रंजिश में युवक की पिटाई, एससी एसटी दर्ज

■ बस्ती ।

सहारा न्यूज ब्यूरो।

पुरानी बस्ती थानान्तर्गत मनौजी ब्रिज के पहले बनरही निवासी दीपू को विपक्षी शनि गोसाई, मनी, राहुल व गुल्ली ने मिलकर जाति सूचक गालियां देते हुए मारा पीटा व जान से मारने की धमकी दी। मामले में पीड़ित दीपू पुत्र दरगाही निवासी बनरही थाना पुरानी बस्ती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शनि गोसाई पुत्र हूतूर , मनी , राहुल गोसाई पुत्रगण मिठाई व गुल्ली पुत्र दुर्गा गोसाई के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 आईपीसी व 3 (1)द, 3 (1)ध, 3 (2)(5ए) एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

गोसैसीपुर हत्याकाण्ड से जुड़ा एक और आरोपी गिरफ्तार

बस्ती (एसएनबी)। कलवारी थाना क्षेत्र के गोसैसीपुर गांव में हुए बहुचर्चित हत्याकाण्ड मामले में वांछित आरोपियों की धर पकड़ जारी है। जिसके क्रम में कलवारी थाना तथा स्वाट टीम के संयुक्त प्रयास से एक और आरोपी की गिरफ्तारी करते हुए न्यायालय भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कलवारी आशोक कुमार मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कलवारी भानु प्रताप सिंह तथा स्वाट टीम प्रभारी उमाशंकर त्रिपाठी द्वारा अपनी टीम के साथ स्थानीय थाना में दर्ज मुकदमा धारा 147, 148, 149, 302, 307, 452, 323, 504, 326, 325 आईपीसी एवं 7 सीएलए से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामदास पुत्र टिकोरी ग्राम गोसैसीपुर थाना कलवारी को ग्राम कनैला खास थाना कलवारी से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष कलवारी भानुप्रताप सिंह तथा प्रभारी स्वाट टीम उप निरीक्षक उमाशंकर त्रिपाठी के साथ ही मुख्य आरक्षी विकास सिंह, आरक्षी अखिलेश यादव थाना कलवारी, मुख्य आरक्षी रमेश यादव, मुख्य आरक्षी पवन तिवारी, मुख्य आरक्षी अवनीश सिंह, मुख्य आरक्षी रमेश कुमार व मुख्य आरक्षी धर्मेंद्र कुमार स्वाट टीम, आरक्षी किशन सिंह, आरक्षी अभिलाष सिंह व आरक्षी सुभेंद्र तिवारी स्वाट टीम, आरक्षी संतोष यादव सर्विलांस सेल षामिल रहे।

अवैध कब्जेधारियों पर केस दर्ज

बस्ती (एसएनबी)। मुण्डेरवा थानान्तर्गत एकमा गांव के कोरऊ में स्थित संक्रमणीन भूमिघर की जमीन है । उक्त जमीन राजस्व अभिलेखो में बंजर के नाम अंकित है । परन्तु उसपर गांव की पूजा त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद व गुलाब तिवारी द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था। मामले में हल्का लेखपाल दीपक यादव पुत्र विकास चन्द निवासी सुल्तानपुर थाना किसनी जनपद जौनपुर हालमुकाम तहसील सदर थाना कोतवाली की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पूजा त्रिपाठी पत्नी विकाश त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद तिवारी पुत्र सुमिरन, गुलाब तिवारी पुत्र सुमिरन निवासीगण एकमा थाना मुण्डेरवा के विरुद्ध धारा 447 आईपीसी व 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

रिश्वत देने के आरोप में दो पर केस

बस्ती (एसएनबी)। विकास खण्ड बनकटी के पास चाय की दुकान पर कच्चे काम के लिए सूरापार निवासी रोजगार सेवक अब्दुल रहीम एक व्यक्ति से 50 हजार की रिश्वत ले रहा था। जिसे ट्रैप टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया। पकड़े गये अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो रिश्वतखोरी में ब्लाक के जेई अरविन्द कुमार पाठक का नाम भी प्रकाश में आया। मामले में विनोद कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक ट्रैप टीम बस्ती मण्डल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहीम पुत्र बेचन निवासी ग्राम सूरापार पोस्ट नेवारी थाना लालगंज व ब्लाक के जेई अरविन्द कुमार पाठक के विरुद्ध धारा 7/13(1) बी सपठित धारा व 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 व 120 बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस अधिकारियों के नाम पर की 35 हजार की ठगी

- लालगंज थानाक्षेत्र के निपनिया गांव का रहने वाला है पीड़ित
- दोषियों के विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की

बस्ती। जालसाजों ने पुलिस अधिकारियों के नाम पर 35 हजार रुपये के ठगी कर ली। यह मामला लालगंज थाना क्षेत्र के निपनिया के रमेश कुमार के साथ घटित हुआ है। रमेश ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में लिखा है कुछ व्यक्तियों ने पुलिस अधिकारियों के नाम पर उससे 35 हजार रुपये ले लिए। जब तक उसे माजरा समझ में आया वह ठगी का शिकार हो चुका था। इस मामले में दोषियों के विरूद्ध केस दर्ज कर उसके रकम वापस कराने की मांग की है।

पीड़ित रमेश ने बताया कि उसके जान-पहचान के कुछ लोगों ने कहा कि एसपी साहब का फोन आया था 35 हजार रुपये सीओ साहब को देना है। रमेश उनके बहकावे में आ गया और भारतीय स्टेट बैंक से खाते से 35 हजार रुपये निकालकर जालसाजों को दे दिया। रुपये लेकर जालसाज पुलिस ऑफिस आए कहाकि जिसको पैसा देना है वे नहीं है, तुम बाहर खड़े रहो, मैं सीओ साहब को पैसा देकर आता हूं। पीड़ित रमेश ने बताया कि सभी आरोपी गांव के बगल के रहने वाले हैं। रमेश ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में एएसपी ओपी सिंह ने बताया घटना की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास

बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ओझा ने अदालत को बताया कि लालगंज थानाक्षेत्र के अमोढ़वा निवासी इंद्रपाल ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसने अपनी बेटी राजमति का विवाह घटना के आठ वर्ष पूर्व सिकंदर पुत्र भोला, ग्राम हरैया, थाना लालगंज के साथ किया था। इसके तीन बच्चे हैं।

सास अतवारी देवी, ससुर भोला, नदद अंगूरी व पति आए दिन पैसे की मांग करते हुए प्रताड़ित करते रहते थे। छह नवम्बर 2019 को सूचना मिली की बेटी को ससुराल वालों ने केरोसिन डालकर जला दिया है। उसे पीएचसी बनकटी ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया जहां उसकी मौत हो गई।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ से किया वर्चुअल उद्घाटन, चार अग्निशमन केंद्रों का शिलान्यास

भानपुर में 14 करोड़ से निर्मित फायर स्टेशन का लोकार्पण

सौगात

भानपुर, हिन्दुस्तान संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 34 अग्निशमन केंद्रों का गुरुवार को वर्चुअल लोकार्पण एवं चार अग्निशमन केंद्रों का शिलान्यास किया। जिसमें 14 करोड़ 20 लाख 32 हजार रुपये की लागत का अग्निशमन केंद्र भानपुर (जोगिया एवं छपिया) का भी लोकार्पण हुआ। यहां भानपुर में फायर स्टेशन का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक कृष्ण गोपाल चौधरी और भाजपा नेता नितेश शर्मा ने फीता काटकर किया।

एसपी कृष्ण गोपाल चौधरी ने कहा कि इसका लाभ क्षेत्र के गांवों को मिलेगा। भाजपा नेता नितेश शर्मा ने कहा कि अब आने वाले दिनों में स्थानीय लोगों को आग लगने पर त्वरित मदद मिल सकेगी। कार्यक्रम में एएसपी ओपी सिंह, एसडीएम आशुतोष त्रिपाठी, सीओ रुधौली सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी, सीएफओ यतींद्र नाथ, अग्निशमन अधिकारी रमेश चंद्र यादव, प्रभारी निरीक्षक विनोद मिश्र, फायरमैन अभिलाष चंद्र पांडेय, रामनिवास यादव, अनूप शुक्ल, सुधाकर पांडेय नीरज सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

गुरुवार को फायर स्टेशन भानपुर के ऑनलाइन लोकार्पण के मौके पर मौजूद एसपी गोपालकृष्ण चौधरी, एएसपी ओपी सिंह व अन्य गणमान्य लोग।

413 गांवों लोगों का होगा आग से बचाव: भानपुर तहसील अन्तर्गत आने वाले थाने सोनहा, गौर (आंशिक), वाल्टरगंज (आंशिक), एवं रुधौली (आंशिक) के कुल 413 गांव शामिल हैं। इसकी आबादी 358572 है। सभी नागरिकों पूर्ण रूप से निर्मित व कार्यशील अग्निशमन केंद्र की सुविधा अब प्राप्त होगी। कोई भी अग्नि दुर्घटना होने पर क्षेत्रीय लोगों को स्थानीय स्तर पर त्वरित कार्यवाई की जा सकेगी। अग्निशमन अधिकारी रामखेलावन ने बताया कि नवनिर्मित फायर स्टेशन पर वर्तमान समय में एक अग्निशमन अधिकारी समेत नौ लोगों की फायर ब्रिगेड टीम तैनात की गई है।

4 अप्रैल 2022 से क्रियाशील है फायर स्टेशन

फायर स्टेशन के शिलान्यास के कुछ दिनों बाद ही 4 अप्रैल 2022 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर क्रियाशील कर दिया गया था। भानपुर अग्निशमन केंद्र के क्रियाशील होने के बाद से अब तक भानपुर तहसील क्षेत्र के कल 181 अग्निकांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 मनुष्यों, 53 पशु और करीब एक करोड़ आठ लाख 60 रुपये से अधिक की संपत्ति बचाई गई।

टैक्स बकाए में हाईवे पर बस सीज, यात्री हलकान

बस्ती। परिवहन विभाग ने जांच के दौरान स्लीपर बस को गुरुवार सुबह सीज कर दिया। एआरटीओ पंकज कुमार सिंह ने बस्ती टोल प्लाजा के पास कार्रवाई की। बस पर लगभग 1.5 लाख रुपये का बकाया था। बस सीज होने के बाद चालक ने आरटीओ कार्यालय जाकर बकाया रकम जमा कराया। दोपहर बाद बस को जाने की अनुमति दी गई। इस दौरान सड़क पर ही बस के यात्री घंटों हलकान रहे। इसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल रहे।

टूरिस्ट परमिट लेकर निजी स्लीपर बसों का संचालन दिल्ली से सोनौली बॉर्डर तक धड़ल्ले से हो रहा है। जानकारों का कहना है कि इनमें से ज्यादातर पर लाखों रुपये का टैक्स बकाया रहता है। यातायात नियमों के उल्लंघन में दर्जनों बार चालान हो चुका रहता है, इसके बाद भी इनका संचालन बिना रोकटोक के होता है।

टोल प्लाजा के पास बस सीज किए जाने के बाद परेशान यात्री।

गरीब मजदूर बनते हैं निजी बसों का शिकार: दिल्ली व उसके आस-पास के महानगरों में मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब तबके के लोग अवैध रूप से संचालित स्लीपर बसों का शिकार बनते हैं। ट्रेनों में आरक्षण की समस्या का लाभ यह बस संचालक उठा रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार व नेपाल तक यह बसें धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। कार्रवाई होने पर इसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ता है। गुरुवार सुबह को एआरटीओ ने बस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे खड़ा करवा दिया। यात्रियों से पूरा किराया वसूला जा चुका था, इसलिए उनके पास बस के रिलीज होने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लगभग पांच घंटे बाद बकाया रकम जमा कराने के बाद बस को आगे जाने की इजाजत दी गई।

गुरुवार को जिला कारागार का निरीक्षण करते अपर जिला जज शिवचंद व एडीजे रजनीश कुमार मिश्र, साथ में जेल अधिकारी।

न्यायिक अफसरों ने किया जिला जेल का मुआयना

बस्ती, निज संवाददाता। डीजे कुलदीप सक्सेना के निर्देशानुसार एडीजे प्रथम शिवचंद, एडीजे व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रजनीश मिश्र ने गुरुवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान पाकशाला, लीगल एड क्लीनिक, महिला बैरक, जेल चिकित्सालय, जुवेनाइल सेल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ऐसे बन्दी जिनके पास अधिवक्ता नहीं है, उनको निःशुल्क अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा।

न्यायिक अफसरों ने जांची बाल कारागार की हकीकत: जिला जज कुलदीप सक्सेना, एडीजे प्रथम शिवचंद, एडीजे रजनीश कुमार मिश्र ने बाल सम्प्रेक्षण गृह पचपेड़िया का निरीक्षण किया। अधीक्षक बाल संप्रेक्षण गृह (किशोर) को संप्रेक्षण गृह के अंदर एवं मुख्य गेट पर समुचित साफ-सफाई कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के समय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सोनाली मिश्रा, एसडीएम सदर शत्रुहन पाठक एवं सीओ सिटी विनय सिंह चौहान मौजूद रहे।

अमरमणि की संपत्ति कुर्की के लिए कोतवाल ने मांगी मोहलत

बस्ती। बहुचर्चित राहुल मद्धेशिया अपहरण केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चंदन कुमार ने अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया कि फरार अभियुक्त की दो संपत्तियों की कुर्की के लिए एसआई रमेश यादव को लखनऊ भेजा गया है। वहां 83 की कार्रवाई के लिए एक मजिस्ट्रेट, रिसीवर नियुक्त करने व लोकल पुलिस बल के लिए डीएम व कमिश्नरेट लखनऊ को पत्राचार किया गया है। अन्य संपत्तियों की जानकारी के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

महराजगंज, लखनऊ में ही खाज पाई संपत्ति : अभी तक लखनऊ और महराजगंज में ही अमरमणि की अचल संपत्ति पुलिस ज्ञात कर पाई है। इनमें महराजगंज के नौतनवा में एक मकान और लखनऊ के विक्रांतखंड में 450 वर्गमीटर भूखंड है, जिसकी कीमत एक करोड़ 18 लाख 80 हजार रुपये कीमत की आकी गई है।

23 साल पुराना है अपहरण का मुकदमा

छह दिसंबर वर्ष 2001 में बस्ती कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर के धर्मराज गुप्ता के बेटे का अपहरण हो गया था। तत्कालीन विधायक अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित आवास से पुलिस ने धर्मराज के बेटे को बरामद किया था। इस मामले में पूर्व विधायक समेत नौ लोग आरोपित रहे हैं।

बंजर भूमि कब्जा करने पर केस

बस्ती। मुंडेरवा थानाक्षेत्र के एकमा गांव में बंजर भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई की है। हल्का लेखपाल दीपक यादव ने थाने में तहरीर देकर गांव के ही हनुमान, गुलाब और पूजा के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरु कर दी है।

दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न

बस्ती। महिला थाना में कोतवाली क्षेत्र के भैंसहिया निवासनी जूही पाण्डेय ने तहरीर देकर ससुराल वालों पर केस दर्ज कराया है। उन्होंने अपने पति रवि पाण्डेय, सास सुभाषिनी, ससुर राधेश्याम, देवर ऋषभ निवासी भैंसहिया, ननद सारिका, ननदोई नपेन्द्र, ननद गुंजा, श्रद्धा व बड्डू समेत नौ लोगों पर प्रताड़ित करने का केस दर्ज कराया है।

सीओ रुधौली ने किया थाने का औचक निरीक्षण

सल्टौआ। नवागत सीओ रुधौली सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने गुरुवार को सोनहा थाने का औचक निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान कार्यालय, मालखाना, सीसीटीएनएस, महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर अपराध रजिस्टर,ग्राम रजिस्टर,गुंडा एक्ट, एचएस में वांछित चल रहे आरोपितो के फाइल को देखा और मुकदमें से संबधित लंबित विवेचना की जानकारी ली।

हर्रैया सर्किल के विवेचना अधिकारियों व थानेदारों के साथ बैठक कर एएसपी ओपी सिंह ने लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। ● हिन्दुस्तान

एएसपी ने हर्रैया सर्किल की समीक्षा की

बस्ती। हर्रैया सर्किल के थानों के विवेचको की मीटिंग कर एएसपी ओपी सिंह ने कहा कि प्रचलित विवेचनाओं के गुण-दोषों के बारे में जानकारी करके जल्द से जल्द उनके निस्तारण करें। इस मौके पर हर्रैया, परसरामपुर, छावनी, पैकोलिया व गौर थाने के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष व प्रभारी चौकी, उप निरीक्षकों और विवेचकों से उनकी राय भी ली। एएसपी ने अपराध नियंत्रण और लोकसभा चुनाव को लेकर अनुशासित रहने का पाठ पढ़ाया।

कारागार में पसीना बहा कर बंदी चला रहे परिवार

बस्ती, निज संवाददाता। जिला कारागार में बड़े अपराधी बंद हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो परिस्थितिवश सलाखों में कैद हैं। ऐसे बंदी बाहर मेहनत-मजदूरी कर परिवार की गाड़ी चलाते थे। जिला कारागार में कृषि फार्म के साथ ही भंडारा, साफ-सफाई से लेकर अन्य सभी काम बंदियों से ही कराए जाते हैं। काम के बदले बंदियों को पारिश्रमिक भी मिलता है।

जिला कारागार में 642 बंदी हैं, जिसमें 42 महिलाएं हैं। यहां काम करने वाले 156 बंदी अकुशल श्रमिक की श्रेणी में हैं जो जेल के दैनिक कार्य करते हैं। इन्हें काम के बदले हर दिन पचास रुपये पारिश्रमिक दी जाती है। कुल 7800 रुपये की मजूदरी प्रतिदिन इन श्रमिकों की बनती है। इनका मेहनताना कारागार में ही जमा होता रहता है। बंदी अगर छूटने के पहले बीच में रुपयों को घर भेजना चाहता है तो मुलाकात के दौरान घरवालों को सूचना दे देता है। अपने आश्रित या किसी नजदीकी रिश्तेदार को भुगतान के लिए जेल में प्रार्थना-पत्र देता है। बंदी पारिश्रमिक के रूप में धनराशि अर्जित कर घर भेज रहे हैं। कई बंदी तो ऐसे हैं, जो रुपयों को जमा कराते रहे और जमानत पर छूटने के बाद कारागार से चेक लेकर जाते हैं। इस बाबत प्रभारी जेल अधीक्षक अपूर्वव्रत पाठक ने बताया कि मार्च 2023 से 29 फरवरी तक 13 बंदियों को पारिश्रमिक का चेक दिया गया। हाल ही में बंदी कुलदीप सोनी को 4200, सूरज को 5900 और बंदी सिकंदर पाण्डेय को 11800 का चेक जेल से दिया गया है।

अभिलेखों के रखरखाव पर ध्यान दें अफसर

- एएसपी ने परशुरामपुर थाने का किया निरीक्षण
- लोस चुनाव के दृष्टिगत निरोधात्मक कार्यवाही की ली जानकारी

जागरण संवाददाता, बस्ती: अपर पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश सिंह ने बुधवार की रात थाना परशुरामपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना कार्यालय, भोजनालय, मालखाना, हवालात, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। उन्होंने अभिलेखों के उचित रख-रखाव व अपडेट करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। थाना परिसर की साफ-सफाई के लिए प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों व रात्रि ड्यूटी की समीक्षा की समीक्षा की। चुनाव के दृष्टिगत की गई निरोधात्मक कार्यवाही की जानकारी ली। कहा कि ऐसे अराजक तत्वों को पहले ही चिन्हित कर लें, जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं। इन लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक के साथ ही अन्य कार्यवाही कर ली जाए। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

परशुरामपुर में निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मी को अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में निर्देश देते अपर पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश सिंह • सौ. स्वयं

गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष तरीके से करें विवेचना : एएसपी ने गुरुवार को हर्रैया सर्किल के सभी थानों का अर्दली रूम (विवेचकों की बैठक) किया। इसमें सर्किल हर्रैया के समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, उप निरीक्षक शामिल हुए।एएसपी ने प्रचलित विवेचनाओं की जानकारी ली। उनके अविलंब निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहा कि मुकदमों की विवेचना गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष तरीके से की जाए। इस दौरान वादी के हितों का ध्यान रखते हुए मुकदमे में कार्रवाई की जाए।

बालकों से संबंधित अपराधों व कार्यवाहियों पर चर्चा

पुलिस लाइन सभागार में एएचटीयू एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई की बैठक • जागरण

जागरण संवाददाता, बस्ती: पुलिस लाइन सभागार में गुरुवार को एएचटीयू (एंटी ह्यूमेन ट्रैफकिंग यूनिट) एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें बालकों से संबंधित अपराधों व कार्यवाहियों पर चर्चा की गई।

बैठक में मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बालकों के संरक्षण व देखभाल पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यवाहियों के दौरान आने वाली चुनौतियों को लेकर भी चर्चा हुई। एंटी ह्यूमेन ट्रैफकिंग यूनिट के प्रभारी विनय कुमार पाठक, डीसीआरबी प्रभारी भगवान सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी नागेंद्र त्रिपाठी, बाल कल्याण अधिकारी वीना सिंह, बाल कल्याण समिति के डा. एसके श्रीवास्तव, यूनीसेफ अनिल कुमार, किशोर न्याय बोर्ड के रमेश कुमार दूबे, आरपीएफ के एएसआइ रवींद्र प्रसाद यादव सहित सभी भी थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे।

बाल संप्रेक्षण गृह के किशोरों के कार्यों की सराहना

पचपेड़िया स्थित गृह का जिला जज ने किया निरीक्षण, किशोरों के बनाए चित्रों को देखकर हुए प्रसन्न

जागरण संवाददाता, बस्ती: जिला जज कुलदीप सक्सेना ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बाल संप्रेक्षण गृह पचपेड़िया का निरीक्षण किया। बाल अपचारियों की देखरेख का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध किशोरों के द्वारा बनाए गए चित्र का अवलोकन किया गया। उनके सृजनात्मक कार्यों की सराहना की गई। उन्हें कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया। नौ मार्च को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें किशोरों द्वारा बनाए गए चित्रों एवं कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। बाल संप्रेक्षण गृह बहुत ही छोटा है, उसमें किशोर की संख्या क्षमता से अधिक है। इसके संबंध में पूर्व में भी अधीक्षक को सक्षम अधिकारी से पत्राचार कर बाल संप्रेक्षण गृह को किसी अन्य, उचित, वृहद स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित किया गया था, परन्तु अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।

बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण करने पहुंचे जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना व अन्य • सौ.जिला

अधीक्षक को संप्रेक्षण गृह के अंदर एवं मुख्य गेट के पास साफ सफाई कराने का निर्देश दिया गया।

इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश रजनीश कुमार मिश्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सौनाली मिश्र, एसडीएम सदर शत्रुघ्न पाठक, सीओ सदर विनय चौहान भी उपस्थित रहे।

अपर जिला जज ने किया जेल का निरीक्षण : अपर जिला जज प्रथम शिवचंद एवं अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजनीश कुमार मिश्र ने गुरुवार को जनपद कारागार का निरीक्षण किया।

इस पाकशाला, लीगल एड क्लीनिक, महिला बैरक, जेल चिकित्सालय, जुवेनाइल सेल में पहुंचकर बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच की। जिला कारागार में बंदियों को बताया गया कि ऐसे दौफसिंह बन्दी जो अपनी सजा काट चुके हैं परन्तु अर्थदंड जमा न कर पाने के कारण निरुद्ध हैं उन बंदियों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रयास से जेल से रिहा किया जा सकता है।

बताया गया कि एक सिद्धदीप बंदी जो ऐसे ही कारणों से सजा काट रहा था, उसका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती द्वारा रिपोर्ट करने पर, जिलाधिकारी के आदेशानुसार, संबंधित न्यायालय में, अर्थदंड जमा कर रिहा किया गया है। ऐसे बंदी जो अपराध के समय किशोर थे उनसे प्रार्थना पत्र लेकर अधीक्षक जिला कारागार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया।

सरकारी भूमि पर कब्जा करने के आरोप में मुकदमा

वस्ती : मुंडेरवा पुलिस ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने के आरोप में तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। बस्ती सदर तहसील के लेखपाल दीपक यादव ने मुंडेरवा थाने पर तहरीर देकर बताया कि थाना क्षेत्र के एकमा गांव में सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। कब्जेदारों को कई बार कब्जा हटाने के लिए कहा गया, मगर उन्होंने कब्जा नहीं हटाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पूजा त्रिपाठी पत्नी विकास त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद तिवारी व गुलाब तिवारी के विरुद्ध भादवि व लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। (जासं)

वंटवारे के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट

वस्ती : पैकोलिया थाने के मदरहवा गांव में जमीन बंटवारे को लेकर दो पक्षों में हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने क्रास केस दर्ज किया है। एक पक्ष के हैदर अली ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि मोहर अली, अनवर अली सहित तीन लोगों ने उन्हें अपशब्द कहते हुए मारा पीटा व जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष की राजिया बानो पत्नी मो .रफीक का आरोप है कि जमीन के बंटवारे को लेकर हैदर अली, उनकी पत्नी नजमा खातून व जोखू ने अपशब्द कहते हुए मारा पीटा और जानमाल की धमकी दी। (जासं)

दहेज हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष की सजा

जासं, वस्तीः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे 10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ओझा ने अदालत में कहा कि लालगंज थाना क्षेत्र के अमोढ़वा निवासी इंद्रपाल ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी पुत्री राजमति का विवाह घटना से आठ वर्ष पूर्व सिकंदर निवासी ग्राम हरैया, थाना लालगंज के साथ किया था। इसके तीन बच्चे भी हैं। सास अतवारी देवी, ससुर भोला, ननद अंगूरी व पति आए दिन दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे। छह नवंबर 2019 को किसी माध्यम से सूचना मिली की बेटी को ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया है।

सीएम ने वर्चुअल किया अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण

- 14.28 करोड़ रुपये से भानपुर में बना है अग्निशमन केंद्र
- 413 गावों के 3,58,572 लोगों को मिलेगी सुविधा

अग्निशमन केंद्र भानपुर के लोकार्पण शिलापट का अनावरण करते पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी साथ में भाजपा नेता नितेश शर्मा व अन्य ● जागरण

जासं, भानपुर, बस्ती: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भानपुर में 14.28 करोड़ की लागत से बने नव निर्मित फायर स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण किया। इसका निर्माण यूपी सिडको (यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड) द्वारा कराया गया है।

सीएम ने कहा कि आज 34 जनपदों में 35 नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण किया गया है। 1944 में पुलिस विभाग के गठन से वर्ष 2017 तक प्रदेश में 230 अग्निशमन केंद्र थे। पिछले सात वर्ष में 71 नए अग्निशमन केंद्र का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2017 से 18 के बीच पुलिस को फायर स्टेशन निर्माण, आधुनिकीकरण, वाहन व फायर टेंडर खरीद के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। समयबद्ध तरीके से अग्निशमन केंद्र के कर्मियों की तैनाती भी कराई गई है। प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर एक अग्निशमन केंद्र स्थापित कराया जा रहा है। जन धन की हानि रोकना हमारी प्राथमिकता है। कहा कि अग्निशमन कर्मियों की सक्रियता से 33 हजार घटनाओं में 3780 जन हानि और डेढ़ सौ करोड़ की धन हानि रोका गया है।

पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने फीता काटकर विधि विधान से अग्निशमन केंद्र भानपुर का शुभारंभ किया। कहा कि इस अग्निशमन केंद्र से भानपुर तहसील अन्तर्गत आने वाले थानों सोनहा, गौर (आंशिक), वाल्टरगंज (आंशिक), एवं रुधौली (आंशिक) के कुल 413 गावों की 3,58,572 (तीन लाख अठ्ठावन हजार पांच सौ बहत्तर) लोगों को अग्निशमन केंद्र की सुविधा प्राप्त होगी। कोई अग्नि दुर्घटना होने पर त्वरित कारंवाई की जा सकेगी।

इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी यतींद्र नाथ उमराव, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार राय, भाजपा नेता नितेश शर्मा, राजाराम तिवारी, दुर्गा प्रसाद सिंह, प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र, अनूप शुक्ल, पवन कुमार द्विवेदी, राजू मिश्र, दीपचंद यादव, जयराम चौधरी, दया शंकर पांडेय, अंकित सिंह आदि मौजूद रहे।

यह और अन्य खबरें देखें-
https://www.jagran.com/local/uttar-pradesh_gorakhpur-city-news-hindi.html

हर्रैया सर्किल के अपराध की समीक्षा

बस्ती। अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने क्षेत्राधिकारी हर्रैया की मौजूदगी में सर्किल के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, उप निरीक्षकों, विवेचकों के साथ अपराध की समीक्षा की। विवेचनाओं के बारे में जानकारी कर जल्द से जल्द उनके निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। केस को उनके गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष, त्वरित निस्तारण करने एवं वादी के हितों का ध्यान रखते हुए कार्रवाई करने की बात कही। विवेचकों से उनकी राय भी ली गई। संवाद

बंजर कब्जा करने में तीन लोगों पर केस

बस्ती। मुडेरवा क्षेत्र के एकमा गांव में बंजर जमीन कब्जा करने के मामले में लेखपाल ने तीन आरोपियों पर केस दर्ज कराया है। इस संबंध में हल्का लेखपाल दीपक यादव ने तहरीर देकर बताया कि सम्मिलित बंजर की जमीन पर आरोपी अवैध कब्जा किए हुए हैं। लेखपाल के मुताबिक कई बार मौके पर जाकर इन लोगों को मौखिक रूप से कब्जा करने से रोका गया। मगर, मानने को तैयार नहीं हैं। पुलिस ने पूजा त्रिपाठी पत्नी विकाश त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद तिवारी और गुलाब तिवारी पर लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। संवाद

विवाहिता को प्रताड़ित करने में नौ नामजद

संवाद न्यूज एजेंसी

महिला ने जबदस्ती गर्भपात कराने का आरोप भी लगाया पुलिस कर रही हैं जांच

बस्ती। महिला थाना पुलिस ने दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में नौ ससुरालियों पर केस दर्ज किया है। इस संबंध में कोतवाली क्षेत्र के भैंसहिया निवासी जूही पांडेय ने तहरीर देकर बताया कि दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर पति रवि पांडेय सहित अन्य ससुराली मारते-पीटते हैं। जबरदस्ती गर्भपात भी करा दिया।

विवाहिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति रवि पांडेय, शुभाषिनी पांडेय (सास), राधेश्याम पांडेय (ससुर), ऋषभ पांडेय (देवर) निवासी ग्राम भैंसहिया थाना कोतवाली, सारिका (ननद), नपेंद्र पांडेय (ननदोई) निवासी बेलवाडाड़ी थाना कोतवाली, गुंजा पांडेय (ननद), बड्डू पांडेय निवासी केशवपुर थाना हर्रैया और श्रद्धा शुक्ला (ननद) पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है।

पेड़ काटने पर मारपीट चार लोग नामजद

बस्ती। पेड़ काटने के विवाद में परशुरामपुर क्षेत्र के मझगवां पाठक गांव में मारपीट हो गई। इस संबंध में शिव कुमार ने तहरीर देकर कहा है कि पेड़ काटने की बात पर गांव के विपक्षियों ने अपशब्द कहा। पूछने पर मारापीटा और जान माल की धमकी दी। बीच बचाव करने आए पति को भी मारापीटा। पुलिस ने नंद कुमार, अशोक कुमार, गीता पत्नी नंदकुमार और खुश्बू पुत्री नंद कुमार पर केस दर्ज किया है। संवाद

एडीजे प्रथम ने रिहाई के लिए बंदियों की सूची तलब की

जिला कारागार का जजों ने किया निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने के निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी

बस्ती। जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना के निर्देश पर अपर जिला जज प्रथम शिव चंद और अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजनीश कुमार मिश्र ने बृहस्पतिवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया।

इस दौरान एडीजे प्रथम ने संपूर्ण रिहाई के लिए पात्र बंदियों की सूची तलब की है।

जजों ने पाकशाला, लीगल एंड क्लीनिक, महिला बैरक, जेल अस्पताल, जुवेनाइल सेल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ऐसे दोष सिद्ध बंदी जो अपनी सजा काट चुके हैं, लेकिन अर्थदंड जमा नहीं कर पाने के कारण बंद हैं, उन्हें डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रयास से जेल से रिहा किया जा सकता है।

उन्होंने बंदियों को बताया कि इसी तरह से सजा काट रहे एक सिद्ध दोष कैदी की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रिपोर्ट करने पर डीएम के आदेश पर संबंधित न्यायालय में अर्थदंड जमा कराकर रिहा किया गया है।

उन्होंने ऐसे बंदी जो अपराध के समय किशोर थे, उनसे प्रार्थनापत्र लेकर अधीक्षक जिला कारागार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करने के निर्देश दिए। भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि ऐसे बंदी जिनके पास अधिवक्ता नहीं है, उन्हें निशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। जिनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन जमानतदार दाखिल नहीं कर पा रहे, उनकी सूची मांगी गई है।

जिला जज ने बाल संप्रेक्षण गृह का किया निरीक्षण

बस्ती। जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने बाल संप्रेक्षण गृह पचपेड़िया का निरीक्षण किया। उन्होंने अधीक्षक बाल संप्रेक्षण गृह के अंदर एवं मुख्य गेट पर सफाई करने के निर्देश। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि बाल संप्रेषण गृह बहुत ही छोटा है। यहां क्षमता से अधिक किशोर हैं। पूर्व में अधीक्षक को सक्षम अधिकारी से पत्राचार कर बाल संप्रेषण गृह को किसी अन्य, उचित एवं वृहद स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने किशोरों के बनाए चित्र आदि का अवलोकन किया। उनके सृजनात्मक कार्यों की सराहना की। उन्हें कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित किया। अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजनीश कुमार मिश्र ने बताया कि 9 मार्च को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा। इसमें किशोरों के बनाए चित्रों एवं कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सोनाली मिश्रा, एसडीएम शत्रुहन पाठक, सीओ सदर विनय चौहान आदि मौजूद रहे। संवाद

मारपीट में एससी-एसटी का केस दर्ज

बस्ती। पुरानी बस्ती क्षेत्र के मनौरी ओवरब्रिज के पास पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। दीपू ने तहरीर देकर बताया कि शनि गोसाई, मनी, खख्राहुल गोसाई और गुल्ली पता अज्ञात ने मनौरी ब्रिज के पहले पुरानी रंजिश को लेकर उसे जातिसूचक अपशब्द कहते हुए मारापीटा। जान से मारने की धमकी दी। चारों पर एससी-एसटी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। संवाद

हत्या में पति को उम्रकैद की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दिया आदेश

बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ओझा ने अदालत को बताया कि लालगंज क्षेत्र के अमोढ़वा निवासी इंद्रपाल ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसने बेटी राजमति का विवाह घटना के आठ वर्ष पहले सिकंदर पुत्र भोला, ग्राम हरैया, थाना लालगंज के साथ किया था। बेटी के तीन बच्चे हैं। सास अतवारी देवी, ससुर भोला, नदद अंगूरी व पति आए दिन रुपये की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करते रहते थे।

अदालत से

छह नवंबर 2019 को किसी दूसरे के माध्यम से सूचना मिली की बेटी को ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया है।

एंबुलेंस से पीएचसी बनकटी ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। देर रात में उसकी मौत हो गई थी।

जाब्ता फौजदारी में 27 आरोपी पाबंद

बस्ती। हर्रैया व रुधौली की पुलिस ने अलग-अलग गांव के 27 आरोपियों को जाब्ता फौजदारी के तहत पावंद किया है।

हर्रैया पुलिस ने विनोद कुमार, निरहू, रामधीन निवासी पनेराभारी, बसडीला निवासी परमात्मा, रामसुख, राजेश कुमार, उमरिया गुप्तार निवासी सूरतराम चौधरी, संतोषा, शोभा राम, कृष्ण गोपाल निवासी समौढ़ाकला, विनोद, ज्ञानचन्द्र निवासी करनपुर, विकास राज पटेल निवासी बिहरा, विजय निवासी पिनेसर, मनमोहन , राम केवल पर कार्रवाई की गई है।

रुधौली पुलिस ने साहब, चंदू लोध, कप्तान निवासी पिपराकला खंभा निवासी शिवा, रामशरण, सुधीर, शैलेंद्र, बभनी मिश्र निवासी सुजीत, कनिकराम, हृदयराम और रामफेर पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से शांति भंग की भी आशंका थी।

पुलिस का कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई। सर्किल में सक्रिय अपराधियों की सूची तैयार की गई है। उनकी धरपकड़ तेज कर दी गई है। संवाद

गोसैसीपुर कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

संवाद न्यूज एजेंसी

बस्ती। गोसैसीपुर के राम मिलन हत्याकांड का एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गांव में तनाव भरी शांति कायम है। परिवार के लोग पैमाइश की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इसमें टाल-मटोल किया जा रहा है।

हालांकि, परिवार के लोग पुलिस व प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। वह कहते हैं कि जिस जमीन को लेकर इतना बड़ा कांड हुआ, उसकी पैमाइश तक नहीं हो पाई है।

परिवार के लोगों का कहना है कि घटना में शामिल आरोपियों पर एसडीएम सदर ने एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, गुंडा एक्ट व गैंगेस्टर की संस्तुति दी थी। यही नहीं पूरे गांव के बंजर की पैमाइश व घायलों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता की संस्तुति देते हुए इलाज का एस्टीमेट मांगा था। मगर, अब तक कुछ भी नहीं हो सका।

उधर, एसओ भानु प्रताप सिंह ने बताया कि हत्याकांड के 12वें आरोपी गोसैसीपुर निवासी राम दास को बुधवार रात 11 बजे कनैलाखास गांव के पास से गिरफ्तार किया गया।

यह थी घटना

राम मिलन चौधरी का गांव के ही हरिशंकर उर्फ रावण आदि से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उस घर का प्लास्टर हो रहा था। 10 फरवरी को दोपहर मजदूरों के खाना खाने की छुट्टी होने पर राम मिलन, उनका बेटा विशाल और बहन माला घर पर मौजूद थीं। दोपहर करीब 1:30 बजे गांव के ही 20-22 लोग कुल्हाड़ी, लाठी-डंडा, फरसा आदि लेकर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि उन लोगों ने विशाल को दौड़ा लिया। फरसे से वार करके उसके पैर का हिस्सा कट गया। शोर सुनकर विशाल के पिता राम मिलन और बुआ माला दौड़कर पहुंचे। हमलावरों ने उन दोनों पर भी वार कर दिया। 56 वर्षीय राम मिलन और विशाल के पैर, पेट, कंधे व शरीर के अन्य हिस्से पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। तीनों घायलों को सीएचसी कुदरहा ले जाया गया, जहां राम मिलन को मृत घोषित कर दिया।

SIDDHARTH NAGAR POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 01-03-2024

हर्षोल्लास से मना 43वीं वाहिनी एसएसबी का स्थापना दिवस

सिद्धार्थनगर। 43वीं वाहिनी एसएसबी सिद्धार्थनगर के मुख्यालय परिसर में हर्षोल्लास के साथ 12वा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कमान्डेंट, 43वीं वाहिनी उज्जल दत्ता ने बताया कि वर्ष 2013 में ज्योलीकोट, जिला नैनीताल, उत्तराखंड में 43वी वाहिनी का स्थापना किया गया था तथा वर्ष 2017 से 43वी वाहिनी जनपद सिद्धार्थनगर में स्थानांतरित हुई, तभी से 43वी वाहिनी सिद्धार्थनगर जिले के भारत-नेपाल सीमा के लगभग 40 किलोमीटर क्षेत्र के निगरानी का दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। भारत-नेपाल सीमा के सुरक्षा के साथ साथ 43वी वहिनी अपने कार्यक्षेत्र के कुल 684 गांवो के नागरिकों के उत्थान हेतु निरंतर प्रयासरत है। वाहिनी द्वारा प्रति वर्ष 28 फरवरी को वाहिनी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में आज वाहिनी के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक , सीडीओ जयेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी उमा शंकर सिंह, उपजिलाधिकारी ललित मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी, मुख्य शाखा प्रबंधक एसबीआई एवं एस एस बी के कमान्डेंट सहित ड नरेश कुमार, कमान्डेंट (चिकित्सा), उप कमान्डेंट शक्ति सिंह, कमान्डेंट (संचार)एनहोकिप सहायक, सहायक कमान्डेंट अंकुश डांगे सुभाष एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारीगण व कार्मिक उपस्थित रहें।

स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सर्वप्रथम सीमान्त मुख्यालय एसएसवी लखनऊ के अधीन राष्ट्र सेवा में शहीद हुए आरक्षी अमित कुमार तिवारी, आरक्षी अनिल कुमार, मुख्य आरक्षी रामप्रवेश यादव और आरक्षी विजय कुमार को नमन कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। तत्पश्चात, कबड्डी प्रतियोगिता तथा वाहिनी मुख्यालय और सीमा चौकी धनौरा के बीच वालीबाल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता में सीमा चौकी अलीगढ़वा 28-17 से तथा वलीबल में वाहिनी मुख्यालय 2-1 से विजयी रही। विजयी रही टीमों को कमाण्डेन्ट द्वारा पुरस्त कर हौसला अफजाई किया गया। तत्पश्चात संध्या बेला में एसएसवी अधिकारीगण व कार्मिकों और जिला प्रशासन के अधिकारीयों के उपस्थिति में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और कमान्डेंट द्वारा दीप प्रज्वलित एवं केक काटकर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सांस्तिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया।

पुलिस भर्ती परीक्षा : बैंक खातों से कहां रुपये हुए ट्रांसफर, एसपी की निगरानी में पुलिस टीम जांच में जुटी

फर्जीवाड़े में शामिल आरोपितों के बैंक खातों की जांच शुरू

जास, सिद्धार्थनगर : पुलिस भर्ती के लिए जिले में 17 व 18 फरवरी को हुई परीक्षा में 10 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। इन्हें मदद पहुंचाने में दो दिन में पांच और लोग पकड़े गए हैं। इसके बाद यह संख्या 15 तक पहुंच गई है। मामले की जांच एसटीएफ के अलावा एसओजी, सर्विलांस व पुलिस की टीम कर रही है। इस मामले में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने वाले चार लोगों को पुलिस टीम ने शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के चेतिया के पास से गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति बहनी में पकड़ा गया है। मामले में चल रही जांच की निगरानी एसपी प्राची सिंह स्वयं कर रही हैं। उन्होंने पुलिस टीम को फर्जीवाड़े में शामिल सभी आरोपितों के बैंक खातों की जांच के भी निर्देश दिये हैं। खातों की जांच से पुलिस यह पता लगाएगी कि उन्हें दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने और पेपर आउट करने कितने रुपये मिले हैं।

पुलिस की जांच टीम पुलिस भर्ती के फर्जीवाड़े में शामिल पूरे गैंग को पकड़ने में लगी हुई है। दूसरों के नाम

साल्वर गैंग का एक और सदस्य बढ़नी से गिरफ्तार

जागरण टीम, सिद्धार्थनगर : पिछले दिनों प्रदेश में आयोजित उप आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में साल्वर गैंग के एक और सदस्य को पुलिस टीम ने गुरुवार बढ़नी कस्बे से गिरफ्तार किया है। आरोपित का नाम बिहार राज्य के सीवान जिले थाना भगवानपुर के ग्राम नौवा रामपुर निवासी अनूप कुमार पाण्डेय उर्फ अनूप पुत्र बैजनाथ पाण्डेय है। वह नेपाल भागने के प्रयास में था, तभी पुलिस ने उसे घर दबोच लिया। जिस प्रकार से पुलिस जांच में जुटी हुई है, उसमें आने वाले समय में कुछ गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं। इटवा प्रतिनिधि के अनुसार जिले में सर्वाधिक गिरफ्तारी

पुलिस गिरफ्त में आरोपित • जागरण

इटवा थाना क्षेत्र से हुई है। यहां से कुल 10 लोग गिरफ्तार किये गए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान 17 फरवरी को इटवा के दो परीक्षा केंद्रों पर तीन साल्वर, दो परीक्षार्थी समेत कुल पांच सदस्य पकड़े गए थे। चार आरोपित बुधवार को गिरफ्तार हुए हैं। मामले की जांच एसटीएफ गोरखपुर, एसओजी व सर्विलांस व इटवा थाना पुलिस की टीम कर रही है। जांच में गैंग के अन्य सदस्यों का भी पता चला। इसके बाद पुलिस ने धरपकड़ हुई।

गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक इटवा संतोष कुमार तिवारी, उप निरीक्षक रमेश कुमार सहनी व प्रदीप कुमार चौहान, मुख्य आरक्षी सत्य प्रकाश गौतम, आरक्षी मनीष यादव व पप्पू गुप्ता शामिल रहे।

परीक्षा दे रहे लोगों ने पूछताछ में बताया था कि उसे परीक्षा में बैठने के बदले 50 हजार रुपये मिले थे। असली अभ्यर्थियों से उनकी कोई पहचान नहीं थी। इस मामले में मध्यस्थता का काम संजय नामक व्यक्ति ने किया। पुलिस टीम ने जब संजय की तलाश शुरू की तो पता चला कि जिस मोबाइल से बात होती थी वह संजय नाम के व्यक्ति का नहीं है। मोबाइल के आधार पर पता किया गया तो वह बिहार राज्य के सीवान जिले थाना भगवानपुर के ग्राम नौवा रामपुर निवासी अनूप कुमार पाण्डेय उर्फ अनूप निकला। टीम ने उसे भी गुरुवार को गिरफ्तार किया। अब टीम फर्जीवाड़े में शामिल सभी आरोपितों के बैंक खातों को खंगालेगी। एसपी से मिले निर्देश के बाद टीम के सदस्य संबंधित के खातों से जुड़े बैंक शाखाओं से सम्पर्क करने में जुट गए हैं। संभावना जतायी जा रही है कि खाता की जांच से यह पता लगाने में आसानी होगी कि फर्जीवाड़ा के बदले उन्हें कितनी रकम मिली है। और इस रकम को और किसको भेजते थे जो इस फर्जीवाड़ा में शामिल हैं।

देवरिया से लेकर पश्चिम बंगाल तक के लोग हैं शामिल: जिले में भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़ा में देवरिया से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक के लोग शामिल हैं। अभी तक पुलिस की पकड़ में आए खदमाशों में यूपी, बिहार और बंगाल के लोग शामिल हैं। जांच टीम में शामिल एक पुलिस अधिकारी के अनुसार इस फर्जीवाड़े में कुछ सफेदपोशों का भी नाम आ रहा है। संभावना जतायी जा रही है कि वह भी जल्द पुलिस की पकड़ में होंगे।

इस संबंध में एसपी प्राची सिंह ने बताया कि पुलिस परीक्षा के फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। पिछले दो दिन में पांच आरोपित पकड़े गए हैं। पुलिस टीम पूरी गहराई तक पता लगाने में जुटी हुई है।

भनवापुर क्षेत्र के हटवा पटना गांव में समय माता के स्थान पर नौ दिवसीय रुद्र महायज्ञ को लेकर गुरुवार को कलश शोभायात्रा निकाली गई।

कलश यात्रा संग रुद्र महायज्ञ हुआ शुरू

सोहना। भनवापुर क्षेत्र के हटवा पटना गांव में समय माता के स्थान पर नौ दिवसीय रुद्र महायज्ञ को लेकर गुरुवार को कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर पंडित राम धीरज ने बताया कि यज्ञ आठ मार्च तक चलेगा। यज्ञ के दौरान मार्कण्डेय तपोवन जालौन से आ रही कथावाचक साक्षी प्रभु श्रीराम के कथा का रसापान कराएंगी। कलश यात्रा में संजय मिश्र, पारस चौधरी, राजेंद्र वर्मा, हृदय राम, बब्बू गुप्त, भगवानदीन, धर्मपाल, घनश्याम आदि मौजूद रहे।

सेवानिवृत्त छह पुलिसकर्मियों को दी विदाई

सिद्धार्थनगर। एसपी प्राची सिंह ने गुरुवार को पुलिस लाइंस सभागार में सेवानिवृत्त हुए छह पुलिस कर्मियों को विदाई दी। उन्होंने सेवानिवृत कर्मियों को सम्मानित किया। सेवानिवृत होने वालों में सीओ देवी गुलाम, एसआई हरी गोविंद, एसआई नूर आलम, एसआई रामनिवास, उर्दू अनुवादक मुर्सरत हुसेन सिद्दीकी व वाटर मैन करोड़पति को विदाई दी गई।

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष एससी-एसटी एक्ट चन्द्रमणि ने दुष्कर्म के आरोपित को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

खेसरहा पुलिस ने क्षेत्र के कुड़जा गांव निवासी हजरत अली उर्फ सुभाष पुत्र बशारत पर धारा 376,452, 504, 506 भादवि व 3(2) श एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष एससी/एसटी एक्ट ने आरोपित हजरत अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बढ़नी बॉर्डर से इटवा पुलिस ने गुरुवार को की गिरफ्तारी

पेपर लीक मामले से जुड़ा एक और आरोपी गिरफ्तार

पुलिस भर्ती परीक्षा

इटवा (सिद्धार्थनगर), हिन्दुस्तान संवाद। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले से जुड़े एक और आरोपी को सिद्धार्थनगर जिले की इटवा पुलिस ने गुरुवार को बढ़नी बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपित बिहार के सीवान जिले का रहने वाला है और नेपाल भागने की फिराक में था।

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान गत 17 व 18 फरवरी को इटवा समेत जिलेभर में 10 सॉल्वर, अभ्यर्थी और मीडिएटर पकड़े गए थे। मामले में केस दर्ज करने के बाद से पुलिस टीम सॉल्वर गैंग के गुर्गों की तलाश में जुटी थी। बुधवार को एसओजी, सर्विलांस सेल, एसटीएफ गोरखपुर व इटवा पुलिस की संयुक्त टीम ने कोटिया बाजार से गैंग से जुड़े चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को इटवा पुलिस ने इसी मामले से जुड़े एक और आरोपी को बढ़नी से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वह नेपाल भागने की फिराक में था।

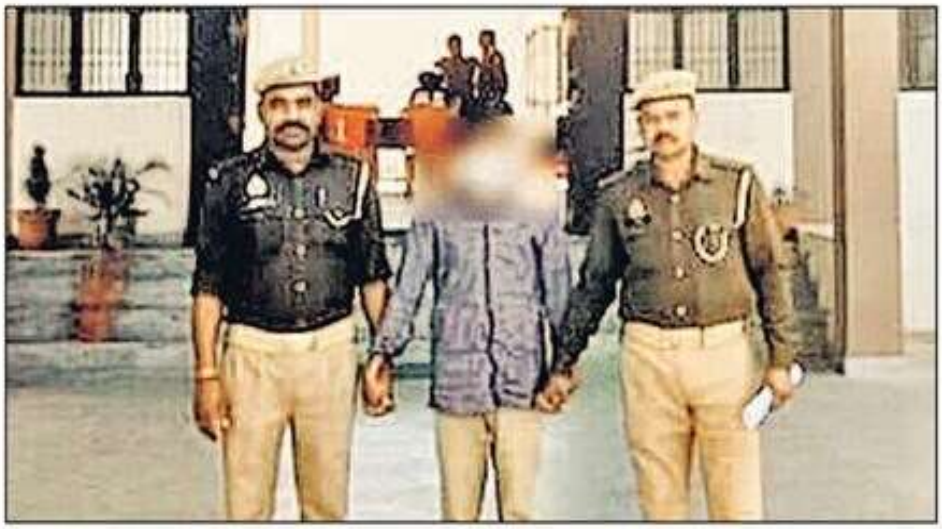

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले से जुड़े एक और आरोपी को इटवा पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। ● हिन्दुस्तान

थानाध्यक्ष इटवा संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि पूछताछ में पकड़े गए आरोपित की पहचान अनूप कुमार पाण्डेय उर्फ अनूप पुत्र बैजनाथ पाण्डेय निवासी लौवा रामपुर, थाना भगवानपुर, जनपद सीवान, बिहार के रूप में हुई है। आरोपित को पकड़ने वाली पुलिस टीम में उनके साथ एसआई रमेश कुमार साहनी, हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश गौतम, कांस्टेबल मनीष यादव, पप्पू गुप्त शामिल रहे।

लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम ने सभी अधिकारियों का मास्टर ट्रेनर से प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए

2178 पोलिंग बूथों पर होगा लोकसभा चुनाव

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर कार्मिक व्यवस्था, निर्वाचन व्यय, ईवीएम व वीवीपैट व्यवस्था, डाक मतपत्र, यातायात व्यवस्था, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम व मतदान केंद्रों से जुड़े बिंदुओं पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिले में इस बार 2178 पोलिंग बूथों पर लोकसभा चुनाव होगा।

लोकसभा चुनाव को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाने के लिए नियुक्त नोडल व सहायक नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। डीएम पवन कुमार ने कार्मिक व्यवस्था, निर्वाचन व्यय, ईवीएम व वीवीपैट व्यवस्था, डाक मतपत्र, यातायात व्यवस्था, लेखन सामग्री, कंट्रोल रूम, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रेक्षक व्यवस्था, जुलूस व जनसभा संबंधी अनुमति, प्रोटोकॉल कार्य में लगे नोडल व सहायक नोडल अधिकारियों को अभी से सभी तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया।

डीएम ने सभी अधिकारियों का मास्टर ट्रेनर के माध्यम से अच्छी तरह से प्रशिक्षण कराए जाने का निर्देश भी दिया है।

पोलिंग बूथों पर हों मूलभूत सुविधाएं: जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी एसडीएम, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी समेत जिला स्तरीय अफसरों को पोलिंग बूथ बने विद्यालयों की गहनता से निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथों में शौचालय, बिजली, रैंप, फर्नीचर, पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। यदि कोई कमी है तो उसे समय से दूर कर लें। मतदान केंद्रों तक बड़े व छोटे वाहन आसानी से पहुंच सकें, इसे सुनिश्चित कराएं।

इटवा ब्लॉक सभागार में गुरुवार को एसडीएम ने सेक्टर ऑफिसरों व थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। • हिन्दुस्तान

2019 में 18.85 लाख, इस बार 19.40 लाख वोटर

जिले में लोकसभा चुनाव के लिए इस बार 1940059 मतदाता शामिल हैं। इनमें 1033584 पुरुष और 906289 महिला मतदाता शामिल हैं। अन्य मतदाताओं की संख्या 186 है। पिछली बार प्रकाशित सूची में मतदाताओं की संख्या 188591 थी। इस बार शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 356417 मतदाताओं के नाम शामिल हैं। 188688 पुरुष और 167693 महिला वोटर शामिल हैं, अन्य की संख्या 36 है। कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र में 451823 वोटर हैं। इनमें 241388 पुरुष और 210393 महिला वोटर व अन्य की संख्या 42 है। बांसी विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 3285266 है। इसमें 203878 पुरुष व 181350 महिला वोटर व अन्य की संख्या 38 है। इटवा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 336769 हैं। इनमें 179893 पुरुष, 156831 महिला मतदाता हैं वअन्य वोटरों की संख्या 45 है। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में कुल 409784 मतदाता हैं। इनमें 210737 पुरुष और 190022 महिला मतदाता शामिल हैं। अन्य वोटरों की संख्या 25 है।

वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथों की तैयार करें रिपोर्ट

तैयारी

- लोस चुनाव का मतदान निष्पक्ष व शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध
- ब्लॉक सभागार में सेक्टर ऑफिसरों व थानाध्यक्षों संग एसडीएम ने की बैठक
- अगर कहीं पर कोई कमी है तो उससे जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध करा दें

इटवा, हिन्दुस्तान संवाद। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को एसडीएम इटवा राहुल सिंह ने ब्लॉक सभागार में सेक्टर ऑफिसरों व थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें इटवा विधानसभा क्षेत्र के वर्नेबुल व क्रिटिकल मतदेय स्थलों की जांच करने के बाबत सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिया।

एसडीएम ने कहा कि लोकसभा का चुनाव बहुत करीब है। सभी लोग अपने प्रभार वाले क्षेत्रों के वर्नेबुल व क्रिटिकल मतदेय स्थलों की विधिवत जांच कर लें। पोलिंग पार्टियों के मतदेय स्थल पर पहुंचने के मार्ग, शौचालय, रैम्प, फर्नीचर, प्रकाश, बाउंड्रीवाल व एएमएफ को देख लें।

अगर कहीं पर कोई कमी है तो उससे जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर समय से उपलब्ध करा दें ताकि समय रहते व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सके। लोकसभा चुनाव का मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो तैयारियां करनी हैं उसे समय से पूरा कर लें।

इस मौके पर सीओ जयराम, तहसीलदार रवि कुमार यादव, नायब तहसीलदार अमित कुमार सिंह, बीडीओ राजकुमार, इंस्पेक्टर संतोष कुमार तिवारी, त्रिलोकपुर चन्दन कुमार, गोल्हौरा अरविन्द कुमार गुप्त, ईओ इटवा संदीप कुमार आदि मौजूद रहे।

संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथों को करें चिह्नित : एसडीएम

इटवा ब्लॉक सभागार में सेक्टर प्रभारियों की हुई बैठक

संवाद न्यूज एजेंसी

इटवा। लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के लिए इटवा ब्लॉक सभागार में बृहस्पतिवार को सेक्टर प्रभारियों की बैठक हुई। इसमें चुनाव से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

विधानसभा क्षेत्र इटवा के संवेदनशील व अतिसंवेदनशील केंद्रों को चिन्हित करने व अराजक तत्वों को चिन्हित कर पाबंद करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी बूथों पर पेयजल, रैंप, बाउंड्रीवॉल तथा आने-जाने के रास्तों का निरीक्षण करके उन्हें सुधारने के लिए कहा गया।

एसडीएम राहुल सिंह ने कहा कि बूथों से संबंधित सभी कार्य आचार संहिता लागू होने के पहले पूर्ण कर लिए जाए। इसमें शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथों को चिन्हित करके उसकी सूचना दी जाए तथा संदिग्ध अराजक तत्वों को शांतिभंग में पाबंद करने की कार्रवाई शुरू करें।

इटवा ब्लॉक सभागार में बैठक करते एसडीएम। संवाद

इस दौरान बीडीओ खुनियांव राकेश कुमार शुक्ल पर उनके गैरहाजिर रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम ने कहा कि आप यदि नहीं आ सकते तो अपनी जगह पर किसी एडीओ को भेज देते।

इस अवसर पर सीओ जयराम, नायब तहसीलदार अमित कुमार सिंह, एसओ इटवा संतोष कुमार तिवारी, एसओ गोल्हौरा अरविंद कुमार, एसओ त्रिलोकपुर सज्जन कुमार, एसओ कठेला समय माता संतोष कुमार सिंह, मिश्रौलिया सत्येन्द्र कुंवर, जेई प्रभात पांडेय आदि मौजूद रहे।

बूथों पर मतदान बढ़ाने के लिए लोगों को करें जागरूक : एसडीएम

सिद्धार्थनगर। एसडीएम नौगढ़ डॉ. ललित कुमार मिश्रा ने तहसील नौगढ़ सभागार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों संबंधी बैठक की। उन्होंने कपिलवस्तु विधानसभा के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर ऑफिसर्स (पुलिस) को जरूरी निर्देश दिए। कहा कि कम मतदान वाले बूथों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करें। एसडीएम ने वर्नेबुल बूथों, क्रिटिकल बूथों का भौतिक सत्यपान करने, 2019 लोकसभा निर्वाचन में वोटर टर्नआउट के संबंध में जिस बूथ पर कम मतदान हुआ था उसमें सुधार किए जाने के निर्देश दिए। संवाद

पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक में एक और आरोपी दबोचा

इटवा (सिद्धार्थनगर)। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले से जुड़े एक और आरोपी को सिद्धार्थनगर जिले की इटवा पुलिस ने गुरुवार को बढ़नी बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपित बिहार के सीवान जिले का रहने वाला है और नेपाल भागने की फिराक में था।

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान गत 17 व 18 फरवरी को इटवा समेत जिलेभर में 10 सॉल्वर, अभ्यर्थी और मीडिएटर पकड़े गए थे। केस दर्ज करने के बाद से पुलिस गैंग के गुर्गों की तलाश में जुटी थी। > ब्योरा P05

धूमधाम से मनाया एसएसबी का स्थापना दिवस

एसएसबी के स्थापना दिवस पर देशभक्ति कार्यक्रम की प्रस्तुति करते कलाकार– एसएसबी

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर : 43वीं वाहिनी एसएसबी का स्थापना दिवस गुरुवार को करौदा मसिना स्थित मुख्यालय परिसर में बनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सीमांत मुख्यालय एसएसबी लखनऊ के बलिदानी आरक्षियों को श्रद्धासुमन देने के साथ किया गया। मुख्य अतिथि डीएम पवन अग्रवाल ने कहा कि एसएसबी नेपाल सीमा की सुरक्षा में रात दिन काम कर रही है। कलाकारों ने भी प्रस्तुति से मौजूद लोगों का मन मोह लिया। वालीबाल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

डीएम ने कहा कि जनपद स्थित नेपाल बार्डर की 68 किमी लंबी सीमा खुली हुई है। जवान हर पल बार्डर की सुरक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं। सीडीओ जयेंद्र कुमार ने कहा कि एसएसबी बेहतर कार्य कर रही है।

इसके मनोबल को बनाए रखने के लिए सभी को इसका सहयोग करना चाहिये। एसएसबी कमांडेंट उज्जल दत्ता ने कहा कि सन् 2001 से भारत-नेपाल एवं सन 2004 से भारत-भूटान सीमा पर तैनाती के बाद एसएसबी ने कम समय में ही नेपाल तथा भूटान के साथ निर्धारित सीमाओं पर प्रभावी ढंग से अपनी जड़ जमा ली है।

हम बार्डर पर सुरक्षा के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवान बार्डर क्षेत्र में पुलिस के साथ मिलकर समाज के हित में भी कार्य कर रहे हैं। एसपी प्राची सिंह ने कहा कि एसएसबी बेहतर कार्य कर रही है। इसके मनोबल को बनाए रखने के लिए सभी को इसका सहयोग करना चाहिये। इस मौके पर एडीएम उमा शंकर, एसडीएम सदर डा. ललित मिश्रा, सीओ सदर सुजीत राय, एसबीआई के मुख्य शाखा प्रबंधक राजेश कुमार, कमांडेंट चिकित्सा डा. नरेश कुमार, शक्ति सिंह, उप कमांडेंट शक्ति सिंह, सहायक कमांडेंट एन होकिप, सहायक कमांडेंट संचार अंकुश डांगे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

एक नजर

दो बच्चों को पुलिस ने किया बरामद

सिद्धार्थनगरः कपिलवस्तु थाना पुलिस ने गुरुवार को आटो से गायब हुए दो बच्चों को ढूंढकर उनके स्वजन को सौंप दिया। विजय बहादुर निवासी पकडी चौराहा नेपाल, ने पुलिस को बताया कि एक आटो बर्डपुर से कस्बा अलीगढ़वा के लिए आया था। उसमें उनके दो बच्चे तीन वर्षीय रुद्र व चार वर्षीय जीवन बर्डपुर से अलीगढ़वा कस्बे में आए। आटो चालक बिना बताए ही बच्चों को लेकर कहीं चला गया है। पुलिस टीम ने खोजकर दोनों बच्चों को बरामद करने में सफलता हासिल की।

नशीली दवा के साथ एक गिरफ्तार

सिद्धार्थनगरः कपिलवस्तु थाना पुलिस ने गुरुवार को 56 टेबलेट नशीली दवाओं के साथ बजहां पुलिया के पास से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसका नाम शिवराज पुत्र सुकई निवासी डंगरी थाना तौलिहवा जिला कपिलवस्तु राष्ट्र नेपाल है। गिरफ्तारी टीम में चौकी प्रभारी बजहां विश्वमोहन राय, आरक्षी धर्मेंद्र कुमार शामिल रहे।

रास्ते से हटने को कहने पर बुजुर्ग को मारा-पीटा

खेसरहाः खेसरहा थाना क्षेत्र के मिरवापुर गांव में आपसी विवाद को लेकर मनबढ़ों ने बुधवार की शाम सेवानिवृत शिक्षक मिरवापुर गांव निवासी राकेश शुक्ला को पीट दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये। शिक्षक का लखनऊ में इलाज चल रहा है। वह मरवटिया बाजार से अपने घर लौट रहे थे कि रास्ते में बसडीला गांव निवासी कुछ लोग रास्ते में खड़े मिले। उन्होंने बाइक रोककर खड़े लोगों से रास्ता खाली करने को कहा तो सभी ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बसडीला निवासी राजू पुत्र रामचंद्र, अजय पुत्र अवधेश, सनी देओल पुत्र राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

जासं, सिद्धार्थनगरः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि की कोर्ट ने गुरुवार को दुष्कर्म के आरोपित को दोषी करार दिया। कोर्ट ने हजरत अली उर्फ सुभाष पुत्र बशारत निवासी कुड़जा थाना खेसरहा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

खेसरहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि वह 21 जुलाई 2021 को अपने घर पर अकेली थी। हजरत अली उसके घर आया और उसके मां के बारे में पूछा। यह बताने पर कि वह मजदूरी करने बाहर गई है।युवक उसके घर में घुस आया और कमरे को बंद कर दिया। विरोध के बाद भी उसने चाकू के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपित पर केस दर्ज किया। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने आरोपित को उक्त सजा से दंडित किया। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक बेचन राम लोधिया ने की।

बूथों से संबंधित सभी तैयारियां जल्द कर लें पूर्ण : एसडीएम

इटवा ब्लाक सभागार में लोकसभा चुनाव तैयारी की दृष्टिगत सेक्टर अधिकारियों के साथ बैठक करते एसडीएम राहुल सिंह बाएं, सीओ जयराम दाएं ● जागरण

जागरण संवाददाता, इटवा : लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज हो गई है। गुरुवार इटवा ब्लाक सभागार में एसडीएम राहुल सिंह ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। निर्देश दिए गए कि जिनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, वे अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर लें। पिछले चुनाव में जिस बूथ पर मतदान कम हुआ है, वहां पर जन-जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाए। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदेय स्थलों की गहनता पूर्वक जांच कर लें

एसडीएम ने कहा कि सभी अपने-अपने क्षेत्र के मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर लें और बूथों पर पानी पीने की व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत व्यवस्था, शौचालय, रैम्प, बाउंड्रीवाल आदि सुविधाओं को देख लें। पोलिंग पार्टियों के मतदेय स्थल पर पहुंचने की सुगमतापूर्वक मार्ग की भी जांच कर लें और आवश्यकतानुसार जांच रिपोर्ट कार्यालय को प्राप्त करा दें। सभी थानाध्यक्ष व सेक्टर आफिसर्स एक-दूसरे के प्रति अवगत हो लें, जिससे समन्वय बनाकर लोकसभा चुनाव 2024 सकुशल संपन्न कराया जा सके। नगर पंचायत के ईओ को निर्देश दिए गए कि नगर स्थित सभी मतदेय स्थलों की विधिवत जांच कर लें, कहीं समस्या कमियां मिले तो उसे अविलंब दूर करा लिया जाए। पुलिस क्षेत्राधिकारी जयराम, तहसीलदार रवि कुमार यादव, नायब तहसीलदार अमित सिंह, बीडीओ राजकुमार, ईओ संदीप कुमार, प्रभारी निरीक्षक इटवा संतोष तिवारी, त्रिलोकपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार, अखिलेश कुमार चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

31 बोरी प्याज व चार बोरी चावल बरामद, पांच पकड़ाए

जासं, सिद्धार्थनगरः 43वीं वाहिनी एसएसबी जवानों ने गुरुवार को ककरहवा और खुनुवा में जांच के दौरान 31 बोरी प्याज व चार बोरी चावल बरामद किया है। इसे लेकर जा रहे पांच आरोपितों को पकड़ा गया। पूछताछ में सभी ने बताया कि वह इसे नेपाल ले जाने की फिराक में थे। सीमा चौकी ककरहवा से सहायक उप निरीक्षक एच सुरचंद्र सिंह के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी भजन ढिबर और आरक्षी विकेश कुमार गश्ती पर थे। जवानों ने नेपाल सीमा के पास देखा कि कुछ व्यक्ति मोटरसाइकल पर बोरी में भरकर कुछ सामान लेकर नेपाल की तरफ जा रहे हैं। टीम ने संदेश के आधार पर सभी को रोककर तलाशी ली तो तीन बाइक पर 12 बोरी प्याज और चार बोरी चावल मौजूद मिला। आरोपितों का नाम सवारा, अजय, रमेश कलवार निवासी आमा जिला रुपनदेही नेपाल है। इसी प्रकार खुनुवा सीमा के निकट सीमा चौकी के उपनिरीक्षक ओम प्रकाश की अगुवाई में एसएसबी टीम ने दो ई-रिक्शा पर सामान लादकर रमवापुर तिवारी गांव से होकर नेपाल की ओर जाते समय पकड़ा। रिक्शा पर 19 बोरी प्याज लदा मिला। आरोपितों का नाम मोहम्मद अकरम निवासी शोहरतगढ़ वार्ड संख्या 10, गांधीनगर तथा दूसरा घिसियावन निवासी खुनुवा थाना शोहरतगढ़ है। सभी को कस्टम दफ्तर को कार्रवाई के लिए सिपुर्द कर दिया गया।

सेवानिवृत्त सीओ समेत छह पुलिसकर्मियों को दी गई विदाई

सिद्धार्थनगर : सीओ क्षेत्राधिकारी कार्यालय सिद्धार्थनगर देवी गुलाम सहित छह पुलिसकर्मी गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। सभी को पुलिस लाइन सभागार में विदाई दी गई। एसपी प्राची सिंह व एएसपी सिद्धार्थ ने सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को अंगवस्त्र देकर विदा किया। एसपी प्राची सिंह ने कहा कि वह शेष समय परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। सेवानिवृत्त सीओ, हरी गोविन्द, नूर आलम, रामनिवास, मुर्सरत हुसेन सिद्दीकी व वाटर मैन शामिल रहे।

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी

दुष्कर्म, एससी, एसटी एक्ट सहित अन्य मामले में पुलिस ने दर्ज किया था केस

सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल व खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से बृहस्पतिवार को दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

दुष्कर्म, एससी, एसटी एक्ट सहित अन्य मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। थाना खेसरहा में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश चन्द्रमणि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी, एसटी एक्ट की ओर से हजरत आली उर्फ सुभाष निवासी कुडजा थाना खेसरहा को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्धदंड से दंडित कराया गया।

सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बेचन राम लोधिया और न्यायालय पैरोकार आरक्षी राजेश्वर चंद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा।

वाहन की चपेट में आने से पेट्रोल पंप के सेल्समैन की मौत

कोल्हुई। उपनगर कोल्हुई बाजार के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोल्ड स्टोरेज के पास बुधवार देर रात वाहन की चपेट में आने से 55 वर्षीय सेल्समैन की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थनगर के थाना लोटन फुलवरिया निवासी दुखी प्रसाद कस्बे के एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। देर शाम खाने का सामान लेकर पैदल पेट्रोल पंप लौट रहे थे जैसे ही कोल्ड स्टोरेज के पास पहुंचे थे तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। घटना की जानकारी होते ही आगल-बगल के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया, जहां रास्ते में ही मौत हो गई। थानाध्यक्ष कोल्हुई दिनेश गौंड के अनुसार, घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई है। संवाद

एसएसबी के स्थापना दिवस पर सम्मानित किए गए खिलाड़ी

सिद्धार्थनगर। एसएसबी 43वीं वाहिनी सीमा मुख्यालय कटया दुबे परिसर में बुधवार को हर्षोल्लास के साथ 12वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पूर्व में हुए खेल के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।

कमांडेंट 43वीं वाहिनी उज्जल दत्ता ने बताया कि वर्ष 2013 में ज्योलीकोट, जिला नैनीताल, उत्तराखंड में 43वीं वाहिनी का स्थापना किया गया था।

मुख्य अतिथि जिलाधिकारी पवन अग्रवाल के साथ पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह, मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी उमाशंकर सिंह, एसडीएम डॉ. ललित मिश्र, सीओ सुजीत राय, मुख्य शाखा प्रबंधक एसबीआई राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। **कबड्डी में अलीगढ़वा व वॉलीबाल में वाहिनी मुख्यालय विजयी** : सीमा चौकी ककरहवा और अलीगढ़वा के बीच कबड्डी तथा वाहिनी मुख्यालय और सीमा चौकी धनौरा के बीच वॉलीबाल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। जिसमें कबड्डी में अलीगढ़वा तथा वॉलीबाल में वाहिनी मुख्यालय विजयी रहा। संवाद

शहीदों को किया गया नमन

स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सर्वप्रथम सीमांत मुख्यालय एसएसबी लखनऊ के अधीन राष्ट्र सेवा में शहीद हुए आरक्षी अमित कुमार तिवारी, आरक्षी अनिल कुमार, मुख्य आरक्षी रामप्रवेश यादव और आरक्षी विजय कुमार को नमन कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।

56 गोली नशीली दवा के साथ एक गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर। कपिलवस्तु कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को क्षेत्र के रामनगर बजहा पुलिया के पास से एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके कब्जे से 56 गोली नशीली दवा बरामद की गई। पकड़े गए आरोपी की पहचान शिवराज निवासी डंगरी थाना तौलिहवा जिला कपिलवस्तु राष्ट्र नेपाल के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। पूछताछ करने के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया,जहां से उसे जेल भेज दिया गया। संवाद

पुलिस भर्ती : पर्चा लीक मामले में एक और गिरफ्तार

नेपाल जाने की कोशिश में बढ़नी बॉर्डर से पुलिस ने दबोचा, बिहार के सिवान जनपद का निवासी पकड़ा गया आरोपी

संवाद न्यूज एजेंसी

सिद्धार्थनगर। पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इटवा पुलिस नेपाल सीमा से सटे बढ़नी बॉर्डर से बृहस्पतिवार सुबह आरोपी को दबोच लिया।

पुलिस का दावा है कि आरोपी नेपाल जाने की ताक में था, तभी उसे दबोच लिया गया। पकड़ा गया आरोपी बिहार के सिवान जनपद का निवासी है। पूछताछ करने के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

प्रभारी निरीक्षक इटवा संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि 17 और 18 फरवरी को आयोजित पुलिस भर्ती की परीक्षा में सॉल्वर और उसका सहयोगी पकड़ा गया था। इस मामले में परीक्षा अधिनियम, धोखाधड़ी सहित अन्य धारा में केस दर्ज करके मामले में छानबीन की जा रही है।

सॉल्वरों के नेटवर्क की जांच शुरू हुई तो पता चला कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने में गिरोह शामिल है। जांच में चार पेपर लीक से जुड़े चार आरोपियों को 28 फरवरी को शोहरतगढ़ के चेतिया के पास से संयुक्त टीम ने पकड़ा था।

मामले की छानबीन चल रही था कि बृहस्पतिवार सुबह सूचना मिली की पेपर लीक करने वाले गिरोह से जुड़ा एक संदिग्ध ढेबरुआ थाना क्षेत्र के बढ़नी बार्डर पर मौजूद है। सूचना को संज्ञान में लेते हुए टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। बताए हुए स्थान पर एक व्यक्ति दिखा। पुलिस आगे बढ़ी तो वह हड़बड़ा गया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान अनूप कुमार पांडेय उर्फ अनूप निवासी लौवा रामपुर थाना भगवानपुर जनपद सिवान राज्य बिहार बताया। जो पेपर लीक करने वाले गिरोह का सदस्य है। क्योंकि एक दिन पहले पकड़े गए आरोपियों ने उसका नाम बताया था।

पूछताछ करने के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पकड़ने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक इटवा संतोष कुमार तिवारी, एसआई रमेश कुमार साहनी, प्रदीप कुमार चौहान, आरक्षी सत्यप्रकाश गौतम, मनीष यादव, पप्पू गुप्ता आदि शामिल रहे।

परीक्षा अधिनियम, धोखाधड़ी सहित अन्य धारा में केस दर्ज करके की जा रही छानबीन

पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीनों का अपराध से पुराना नाता

भटनी-मझौल। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम के हत्थे चढ़े देवरिया के तीन सॉल्वर गिरोह के सदस्यों का कारनामों पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। महुल थाना क्षेत्र के कैलाशी निवासी आरोपी वर्ष 2019 में भी जेल जा चुका है। उस समय भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं, भटनी के बिंदवलिया निवासी आरोपी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने व नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर पैसे लेने का खेल लंबे समय से खेलते हुए करोड़ों रुपये की संपत्ति बना ली है। इसी तरह सलेमपुर के धनरुड़ा निवासी आरोपी ने तो पहले एक विद्यालय में खुद को नौकरी के लिए पैसे दिए और बाद में खुद ही दूसरे को नौकरी दिलवाने लगा। संवाद

पेपर लीक मामले में बड़े नेटवर्क तक पहुंचे पुलिस के हाथ

संवाद न्यूज एजेंसी

सिद्धार्थनगर। पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जल्द ही बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। जांच में लगी पुलिस की स्पेशल यूनिट के हाथ कई अहम सुराग और नंबर लगे हैं। जिसके जरिए वह कड़ी से कड़ी को जोड़ रही है। इसी का नतीजा रहा कि लीक मामले से जुड़े पांच आरोपियों को दबोच पाई है।

पुलिस अब इस नतीजे पर पहुंचने वाली है कि पेपर कहां से और कैसे लीक हुआ और किसने लीक किया। सूत्रों की माने तो इसमें सफेदपोश के संलिप्त होने के संकेत मिले हैं। हालांकि खुलासा होने तक यह पुख्ता नहीं किया जा सकता है। टीम बिहार और बिहार बॉर्डर से लगे यूपी के कुछ जनपदों में दौड़भाग कर रही है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी। इसमें 10 सॉल्वर, अभ्यर्थी और सहयोगी पकड़े गए थे। केस दर्ज करके सॉल्वरों के नेटवर्क तोड़ने के लिए पुलिस ने जांच शुरू किया। इसी बीच पेपर लीक होने की बात सामने आई और रद्द कर दिया गया।

जांच में जुटी पुलिस को पकड़े गए सॉल्वर के जरिए कुछ सुराग मिले थे। जिसके आधार पर जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस को चौंकाने वाले सच का पता चला। जांच में सामने आया कि यह गिरोह केवल सॉल्वर भेजकर परीक्षा के नाम पर रुपये नहीं लेता है। बल्कि यह लोग पेपर भी लीक करते हैं।

जांच में संजय गौड़ निवासी देवरिया जब हाथ लगा तो पता चला कि वह पेपर लीक मामले में लखनऊ एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुका था और जेल जा चुका था। इसके बाद यह पुख्ता हो गया कि यह बड़ा नेटवर्क है। संजय से पूछताछ में पेपर लीक करने की बात को बल मिला।

नतीजा हाई सर्विलांस काम किया और दो दिन में पांच आरोपी पकड़ लिए गए। लेकिन इस पर यहीं विराम लगने वाला नहीं है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। इसमें स्पेशल टीम के हाथ कई अहम सुराग और नंबर लगे हैं। जिसे वह खंगाल रही है। जल्द ही टीम नतीजे पर पहुंच जाएगी और बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। जो शायद सोचा भी नहीं गया होगा।

पुलिस की स्पेशल टीम के हाथ लगे कई सुराग, जल्द कई लोग आ सकते हैं गिरफ्त में

दुस्साहस : बिहार का सॉल्वर गैंग आंख में धूल झोंककर घुसा

18 फरवरी को प्रकाशित खबर।

सॉल्वरों को पकड़ने में हाथ लगा पेपर लीक करने वालों का नेटवर्क

29 फरवरी को प्रकाशित खबर।

बिहार और सीमावर्ती जिलों में पुलिस का डेरा

पेपर लीक गिरोह के जड़ तक जाने के लिए पुलिस टीम बिहार के कुछ जनपदों के अलावा बिहार बॉर्डर से लगे यूपी के कुछ जनपदो में डेरा डाले हुई है। लगातार भागदौड़ जारी है। नेटवर्क से नेटवर्क तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा ले रही है। हाई सर्विलांस के जरिए पुलिस कड़ी से कड़ी को जोड़कर संलिप्त लोगों तक पहुंचने में जुटी हुई है। जल्द ही खुलासा होने की उम्मीद है।

पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा लीक मामले में पुलिस की कई टीमें जांच कर रही हैं। कुछ लोगों के और शामिल होने की बात सामने आई है। जल्द ही इसमें शामिल लोग पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

- प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक

सफेदपोश के शामिल होने के मिले हैं संकेत

सूत्रों की माने तो जांच में जुटी पुलिस टीम के हाथ कई अहम जानकारी लगी है। पेपर लीक मामले में कुछ सफेदपोश के भी संलिप्त होने के संकेत मिले हैं। जिनका गिरोह से जुड़े लोगों पर आशीर्वाद था। अगर सफेदपोश के शामिल होने की बात में सच्चाई है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की छवि को धूमिल करने की कोई बड़ी साजिश है। फिलहाल यह पुख्ता नहीं है, पुलिस के खुलासे के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी

दुष्कर्म, एससी, एसटी एक्ट सहित अन्य मामले में पुलिस ने दर्ज किया था केस

सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल व खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से बृहस्पतिवार को दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

दुष्कर्म, एससी, एसटी एक्ट सहित अन्य मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। थाना खेसरहा में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश चन्द्रमणि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी, एसटी एक्ट की ओर से हजरत आली उर्फ सुभाष निवासी कुडजा थाना खेसरहा को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्धदंड से दंडित कराया गया।

सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बेचन राम लोधिया और न्यायालय पैरोकार आरक्षी राजेश्वर चंद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा।

वाहन की चपेट में आने से पेट्रोल पंप के सेल्समैन की मौत

कोल्हुई। उपनगर कोल्हुई बाजार के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोल्ड स्टोरेज के पास बुधवार देर रात वाहन की चपेट में आने से 55 वर्षीय सेल्समैन की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थनगर के थाना लोटन फुलवरिया निवासी दुखी प्रसाद कस्बे के एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। देर शाम खाने का सामान लेकर पैदल पेट्रोल पंप लौट रहे थे जैसे ही कोल्ड स्टोरेज के पास पहुंचे थे तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। घटना की जानकारी होते ही अगल-बगल के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया, जहां रास्ते में ही मौत हो गई। थानाध्यक्ष कोल्हुई दिनेश गौंड के अनुसार, घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई है। संवाद

SANT KABEER NAGAR POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 01-03-2024

यातायात नियमों का पालन करें एम्बुलेंस चालक

संतकबीरनगर। सड़क सुरक्षा के प्रति आमजनमानस में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के दृष्टिगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नाथनगर पर अयोजित प्रशिक्षण में प्रभारी यातायात परमहंस ने 102 एवं 108 चालकों यातायात नियमों का पालन हेतु जागरूक किया। साथ ही चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। इस प्रशिक्षण में बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर व महराजगंज के एम्बुलेंस चालक शामिल हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप कुमार ने बताया कि जोन के एंबुलेंस चालकों के कार्य में सुगमता तथा बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन के बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर तथा महाराजगंज के एंबुलेंस चालकों का प्रशिक्षण दस दिनों चलेगा। इस प्रशिक्षण शिविर में 40 एंबुलेंस चालकों का समूह बनाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक दिन 40 नए एंबुलेंस चालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रकार 10 दिनों में कुल 400 एंबुलेंस चालकों को प्रशिक्षित की जाने की योजना है। इस दौरान चौकी प्रभारी काली जगदीशपुर धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, ट्रेनर आलोक कुमार त्रिपाठी, आदित्य शुक्ला सुधीर कुमार सहित एम्बुलेंस चालक मौजूद रहे।

परिवारिक विवाद में महिला की पिटाई,तीन नामजद

नाथनगर । महुली थाना क्षेत्र के बेल्डूहा गांव में बुधवार की देर शाम परिवारिक विवाद को लेकर एक महिला को उसके दो देवर और एक देवरानी ने मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के संबंध में पुलिस को दी गई तहरीर में थाना क्षेत्र के बेल्डूहा गांव निवासी संवारी देवी पत्नी नेबूलाल राजभर ने बताया कि उसके पति परदेश में रहकर मेहनत-मजदूरी करते हैं। घर पर वह बच्चों के साथ रहती है। बुधवार की शाम घर के बिजली बिल की धनराशि के बटवारे को लेकर उसके देवर सुरेन्द्र व रविन्द्र पुत्रगण रामराज तथा देवरानी रुक्मिणी पत्नी सुरेन्द्र से कहासुनी हो रही थी उसी बीच देवर और देवरानी उसे भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। गाली देने का विरोध करने पर उसे जान से मार देने की धमकी देते हुए उक्त सभी ने उसके उपर हमला कर दिया और लाठी-डंडा तथा लात-घूसों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों हमलावर देवर व देवरानी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 323,504,506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक महुली सतीश कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही नामजद हमलावरों को गिरफ्त में लेकर कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी।

फरार चल रहे दस अभियुक्त गिरफ्तार

धनघटा (एसएनबी)। धनघटा थाना क्षेत्र में अलग-अलग अपराधिक घटनाओं में नामजद होने के बाद लगातार कोर्ट से फरार चल रहे थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांव के निवासी कुल 10 अभियुक्तों को छापेमारी कर धनघटा पुलिस ने गुरूवार को गिरफ्तार कर लिया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया।

न्यायालय के निर्देश पर अभियान के तहत छापेमारी कर धनघटा पुलिस ने फरार चल रहे सभी अभियुक्तों को किया है गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार धनघटा थाना क्षेत्र के मुण्डेराशुक्ल गांव निवासी लक्ष्मण बेलदार पुत्र स्व.रामसूरत, रसिक शिरोमणी शुक्ला पुत्र स्व.मदन मोहन, शंकर यादव पुत्र लाला यादव, हरिशचन्द्र यादव पुत्र लाला यादव, अंकित मिश्रा पुत्र सुरेश मिश्रा, सोनू यादव पुत्र धूपे यादव तथा रामबूझ बेलदार पुत्र पराग और थाना क्षेत्र के चकिया गांव निवासी फुद्दन हरिजन पुत्र सोमन,मोती हरिजन पुत्र झिन्नू हरिजन तथा थाना क्षेत्र के बभनौली गांव निवासी दिलीप कुमार पुत्र सुदर्शन के विरूद्ध पूर्व में धनघटा थाने में अलग-अलग अपराधिक घटनाओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत मुकदमे की विवेचना पूरी कर पुलिस ने उक्त सभी अभियुक्तों के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र भी पूर्व में भेज चुकी है जिसके आधार पर संबंधित न्यायालय में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज मुकदमे का ट्रायल चल रहा है। बार-बार समन भेजने के बावजूद उक्त अभियुक्त तारिख पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो रहे थे तो न्यायालय ने उक्त सभी अभियुक्तों के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी करते हुए सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश धनघटा पुलिस को दिया था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में धनघटा पुलिस ने अभियान चलाकर उक्त सभी अभियुक्तों के घर गुरूवार को छापेमारी करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया और संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया।

लूट के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम (कठोर) कारावास

संतकबीरनगर । लूट के मामले में के एक अभियुक्त को तीन वर्ष के सश्रम (कठोर) कारावास व 2500 ₹ के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप न्यायालय सीजेएम जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु.अ.सं. 268/1998 धारा 392, 411 भादवि के मामले में अभियुक्त लहरीढाढ़ी पुत्र बुद्धिराम ढाढ़ी निवासी बनकटिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 392 भादवि में 03 वर्ष सश्रम (कठोर) कारावास व 1500रु0 के अर्थदण्ड तथा धारा 411 भादवि के अपराध में 03 वर्ष सश्रम (कठोर) कारावास व एक हजार ₹ के अर्थदण्ड (कुल 2500 ₹) के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

कैदियों से जानी समस्याएं, जेल कर्मियों को दिया निर्देश

संतकबीरनगर (एसएनबी)। जिलाधिकारी महेन्द्र तंवर व पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने संयुक्त रूप से गुरुवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला कारागार के हॉस्पिटल, बैरक, मेस, जेल परिसर आदि की सघन चेकिंग की। तत्पश्चात कैदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं/सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए मौजूद सभी कारागार कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाने पाये और समस्त कार्यवाहियों का निर्वहन पूर्ण व सही तरीके से करें। जेल परिसर की साफ-सफाई आदि के संबंध में कारागार कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इस दौरान जिला कारागार के अधीक्षक राजेश कुमार राय, चिकित्साधिकारी डॉ. निधि गुप्ता, उप कारापाल गीता रानी, राज कुमार गौतम, हरिकेश कुमार गौड़, वरिष्ठ सहायक कृष्ण कुमार पाण्डेय मौजूद रहे।

जिला कारागार के हॉस्पिटल, बैरक व मेस की डीएम व एसपी ने की जांच

जिला कारागार का गुरुवार को जिलाधिकारी महेन्द्र तंवर व पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैरकों की तलाशी तथा परिसर, कार्यालय, हॉस्पिटल व मेस आदि की साफ-सफाई का जायजा लिया। जेल परिसर के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाने व साफ-सफाई आदि के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

जिला कारागार के हॉस्पिटल में कैदी से बात करते डीएम व एसपी। फोटो : एसएनबी

एनडीपीएस का अभियुक्त अर्थदंड से दंडित

संतकबीरनगर। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एनडीपीएस अधिनियम के एक अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व 2500₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपी अब्दुल करीम उर्फ विल्लर पुत्र अब्दुल मजीद निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार दण्डादेश पारित किया गया है।

शस्त्र अधिनियम में दो आरोपी दंडित

संतकबीरनगर । शस्त्र अधिनियम के दो आरोपी अलग-अलग अर्थदंड से दंडित किए गए हैं। न्यायालय एसीजेएम ने थाना बखिरा पर पंजीकृत शस्त्र अधिनियम के मामले में अभियुक्त निजामुद्दीन उर्फ निजाम पुत्र बोदर निवासी जमुहट थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती हा.मु. जंगल बिहुली टोला बेलौहा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर शस्त्र अधिनियम के तहत जेल में बिताई गयी अवधि (03 माह साधारण कारावास) व दो हजार ₹ का अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी क्रम में थाना बखिरा पर पंजीकृत शस्त्र अधिनियम के मामले में अभियुक्त अकबर अली पुत्र नबी निबासी दुर्गजोत थाना बखिरा को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर शस्त्र अधिनियम के तहत जेल में बिताई गयी अवधि (07 माह साधारण कारावास) व दो हजार ₹ के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

घर में घुसकर मारपीट और तोड़-फोड़ करने के आरोप में चार नामजद

धनघटा । धनघटा थाना क्षेत्र के सेंवईपार गांव में बीते दिनों घर में घुसकर मारपीट और तोड़-फोड़ करने के आरोप में पीड़ित परिवार की तहरीर पर गुरूवार को धनघटा पुलिस ने 4 लोगो के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर घटना में घायल हुए लोगों को पुलिस अभिरक्षा में चिकित्सीय परीक्षण के लिए सीएचसी हैंसर बाजार भेज दिया है। घटना के संबंध में पुलिस को दी गई तहरीर में थाना क्षेत्र के सेंवईपार गांव निवासी अनीता देवी पत्नी रामजी यादव ने बताया कि पट्टीदारी की रंजिश को लेकर बीते 2 फरवरी की शाम 5.30 बजे गांव निवासी सुनील यादव पुत्र कृष्णचन्द्र यादव, बबलू उर्फ रंलेश यादव पुत्र कृष्णचन्द्र यादव, राहुल यादव व संदीप यादव पुत्रगण सन्तराम यादव उसके बेटे नन्हें को दरवाजे पर लाठी-डंडा से मारने लगे। शोर सुनकर उसकी बेटी अंशिका बीचबचाव करने की कोशिश की तो उक्त हमलावर बेटी को भी मारने लगे तो बेटी जान बचाने के लिए घर के भीतर भागी। उक्त हमलावर भद्दी-भद्दी गालियां और जान से मार देने की धमकी देते हुए उसके घर में घुस गए और बेटे और बेटी को मारपीट कर घायल कर दिया और घर में तोड़फोड़ करते हुए तमाम कीमती सामनों को नष्ट कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने उक्त हमलावरों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 323, 427, 452, 504,506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक धनघटा अनिल कुमार ने कहा कि जल्द ही नामजद हमलावरों को गिरफ्त में लेकर कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी।

बूथ पर टूटी दीवारों व छत को सही करायें

डीएम व एसपी ने मतदान केन्द्रों का किया स्थलीय निरीक्षण

संतकबीरनगर (एसएनबी)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जिले के खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र हीरालाल इंटर कालेज एवं प्रह्लाद राय इंटर कालेज का जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने बूथों पर जरुरी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द पूरा कराये जाने का निर्देश संबंधित को दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आॅयोग की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाय और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने पाये।

दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान टूटी हुई दीवारों और छत को सही करते हुए सभी बूथों पर आवश्यक सुविधाएं जैसे- बिजली, पानी, रैंप एवं साफ-सफाई व्यवस्था आदि को दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया। अधिकारीद्वय द्वारा सभी बूथों का निरीक्षण कर समस्त आवश्यक सुविधाओं को व्यवस्थित करने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र में यदि कोई विवाद हो तो उसे समय से निस्तारित कर लें और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पूर्व निष्पक्षता के साथ कार्य करें। मतदान केन्द्रों और मतदेय स्थलों की व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लें। मतदात केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाओं को सही कर लिया जाय जिससे मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी खलीलाबाद शैलेश दूबे, ओएसडी बलदाऊ शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मतदान बूथ का निरीक्षण करते जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर। फोटो : एसएनबी

रामजानकी मार्ग जाम करने के आरोप में

19 नामजद समेत दर्जनों अज्ञात के विरूद्ध केस

धनघटा (एसएनबी)। राम-जानकी मार्ग के चौड़ीकरण कार्य में देरी होने तथा लोहरैया-बनकटा मार्ग की बदहाल स्थिति से आक्रोशित होकर बुधवार को धनघटा थाना क्षेत्र के लोहरैया चौराहे पर राम-जानकी मार्ग को जाम करने के आरोप में धनघटा पुलिस ने गुरूवार को 19 नामजद सहित 50-60 अज्ञात महिला-पुरूष ग्रामीणों के विरूद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया पुलिस ने धनघटा थानान्तर्गत लोहरैया पुलिस चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक रजनीश राय की तहरीर पर पूरी की है।

> राम-जानकी मार्ग के निर्माण में देरी तथा लोहरैया-बनकटा मार्ग की बदहाल स्थिति से आक्रोशित होकर बुधवार को धनघटा थाना क्षेत्र के लोहरैया चौराहे पर ग्रामीणों ने राम-जानकी मार्ग को किया था जाम

विदित हो कि राम-जानकी मार्ग के चौड़ीकरण कार्य में देरी होने तथा बार-बार मांग के बावजूद बदहाल हो चुके लोहरैया-बनकटा मार्ग की मरम्मत न कराए जाने पर बुधवार को आसपास के ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया था और भारी संख्या में ग्रामीण लोहरैया चौराहे पर एकत्र होकर राम-जानकी मार्ग को जाम कर दिया था। राम-जानकी मार्ग के जाम होने से दोनों तरफ जहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई तो वहीं लोहरैया कस्बे में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया था। मार्ग के जाम होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। बाद में सूचना पर पहुंचे तहसीलदार धनघटा योगेन्द्र पांडेय तथा प्रभारी निरीक्षक धनघटा अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शान्त कराने के बाद उनकी मांगों के संबंध में ज्ञापन लिया था तब जाकर ग्रामीणों ने राम-जानकी मार्ग से जाम हटाया था और किसी तरह उसके बाद मार्ग पर आवागमन की स्थिति बहाल हुई थी।

पूरे मामले को लेकर लोहरैया पुलिस चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक रजनीश राय की तहरीर के आधार पर थाना क्षेत्र के डड़वा गांव निवासी हरिशचन्द्र यादव पुत्र राजाराम यादव, खजूर टिकरा गांव निवासी नकुल पुत्र श्रीबरन, बन्तवार गांव निवासी हौसिला दूबे पुत्र बशिष्ठ दूबे, अजय दूबे पुत्र राघव दूबे, बृजेश पुत्र रामसरन, उदयप्रताप पुत्र रामधनी कन्नौजिया, श्याम मौर्या पुत्र रामकरन, अंकित पुत्र श्रवण, वेदप्रकाश पुत्र बलिराम, गुड्डू मौर्या पुत्र रामदौड़, अजय शर्मा पुत्र रामलौट, अंकित प्रजापति पुत्र श्रवण, अनन्त मौर्या पुत्र रामचन्द्र मौर्या, कमलेश मौर्या पुत्र रामहरख मौर्या, दीपक पुत्र सुरेश मौर्या, अमरजीत कन्नौजिया पुत्र श्रीराम,सोनू पुत्र भगौती, भोला कन्नौजिया पुत्र दयाराम, जगन्नाथ पुत्र तीरथ मौर्य समेत 50-60 अज्ञात के विरूद्ध आईपीसी की धारा 143, 341 तथा अपराधिक कानून (संसोधन) अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक धनघटा अनिल कुमार ने बताया कि नामजद आरोपियों को जल्द ही गिरफ्त में लेकर कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी साथ ही अज्ञात आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है जल्द ही उनकी पहचान कर उन्हें भी गिरफ्त में लेते हुए कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी।

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एसीजे/पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 55 हजार ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एसीजे/पाक्सो कोर्ट जनपद संतकबीरनगर ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु.अ.सं. 829/2013 धारा 363, 366, 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त गुड्डू पुत्र दीनानाथ निवासी बेलवनिया थाना कोतवाली खलीलाबाद को दोषसिद्ध के आधार पर धारा 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार ₹ के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 363 भादवि के अन्तर्गत 04 वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

किशोरी से रेप के आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कैद

- पाक्सो कोर्ट ने सजा के साथ लगाया 55 हजार का अर्थदण्ड
- नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत 2 लाख 45 हजार भुगतान का आदेश

संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अवयस्क किशोरी के साथ अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी गुड्डू पर सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में कुल 55 हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी निर्णय दिया है। अर्थदण्ड की धनराशि जमा न करने की स्थिति में आरोपी को छः माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदण्ड की धनराशि ज़मा होने पर कोर्ट ने संम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रुप में प्रदान करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने नालसा की प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 2 लाख 45 हजार रुपये के भुगतान का भी आदेश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक अभिमन्यु पाल, सत्येन्द्र शुक्ल एवं सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के एक ग्राम का था। प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया था। वादी का आरोप था कि उसकी पुत्री की उम्र 15 वर्ष है और कक्षा 11 की छात्रा है। दिनांक 29 अगस्त 2013 को पढ़ने के लिए स्कूल गई थी।

काफी समय बीत जाने के बाद घर वापस नहीं आई। काफी खोजबीन किया। कहीं पता नहीं चला। कुछ लोगों ने बताया कि उसकी पुत्री को गुड्डू पुत्र दीनानाथ व अंशोक कुमार पुत्र नन्दलाल ग्राम बेलवनिया थाना कोतवाली खलीलाबाद के साथ जाते देखा है। वह गुड्डू के घर पता किया तो मालूम हुआ कि वह मुंबई में रहता है। इधर कुछ दिन पहले एक दिन के लिए गांव आया था। मेरी पुत्री को गुड्डू कुछ लोगों के सहयोग से वादी के गरीबी का फायदा उठाकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने दुष्कर्म की धारा की बढ़ोत्तरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

सजा के साथ कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में कुल 55 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया। इसके साथ पाक्सो कोर्ट ने नालसा की प्रति कर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को दो लाख 45 हजार रुपये के भुगतान का आदेश भी दिया है। प्रति कर की धनराशि 30 दिन के अंदर भुगतान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिलाधिकारी को पत्र जारी करने का भी आदेश दिया है।

प्राइवेट मुंशी से भिड़ा युवक, मची अफरातफरी

धनघटा। धनघटा तहसील परिसर में गुरुवार को एक युवक एक प्राइवेट मुंशी से भिड़ गया। उस समय वह अपना काम निपटा रहे थे। उसके हाथापाई शुरू करने पर तहसील में हंगामा मच गया। हालांकि कुछ देर बाद लोगों ने समझा-बुझाकर उसे हटाया। लोगों का कहना है कि वह युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तहसील परिसर में एक प्राइवेट मुंशी कार्य करते हैं।

जेल की व्यवस्थाओं का डीएम-एसपी ने जाना हाल

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर और एसपी सत्यजीत गुप्ता ने गुरुवार को संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान हास्पिटल, बैरक, मेस, जेल परिसर आदि की सघन जांच करते हुए सुविधाओं, व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन के संबंध में जेल अधिकारियों, कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला कारागार के निरीक्षण के दौरान डीएम, एसपी ने कैदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं, सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। उन्होंने उपस्थित सभी कारागार कर्मियों को निर्देशित किया कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाने पाए इसका सख्ती से अनुपालन करें। समस्त कार्यवाहियों का निर्वहन सही तरीके से करें। जेल परिसर की साफ-सफाई आदि के सम्बन्ध में कारागार कर्मियों को निर्देशित किया गया। इसके अलावा जेल में बन रही गौशाला का भी जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूर्ण करा लिया जाएगा। इसके बाद जेल में गौशाला संचालित होगी। निरीक्षण के दौरान कारागार अधीक्षक राजेश कुमार राय, चिकित्साधिकारी डॉ. निधि गुप्ता, उप कारापाल गीता रानी, राजकुमार गौतम, वरिष्ठ सहायक कृष्ण कुमार पाण्डेय आदि मौजूद रहे।

दो गैंगस्टर पर हुई कुर्की की कार्रवाई

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो मामलों में कुर्की की कार्रवाई की है। एक मामले में बाइक और दूसरे में मकान कुर्क किया है। बाइक की कीमत 54,300 रुपए और मकान की कीमत सात लाख बारह हजार रुपए बताई जा रही है।

आरोपी शेषमणि के मकान की कुर्की की कार्रवाई करती पुलिस व अधिकारी।

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध एक आरोपी के मोटरसाइकिल को कुर्क किया है। दुधारा थाना पर केस दर्ज है। अभियुक्त कमल कुमार वर्मा निवासी बाघनगर पर कुर्की की कार्रवाई की। आपराधिक क्रिया कलापों से अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति से अपने नाम पंजीकृत बाइक अनुमानित मूल्य 54 हजार 300 रुपए को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क किया गया। वही खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के शेषमणि पाण्डेय निवासी उतरौलिया पर कोतवाली में केस दर्ज है। इनके नाम से पंजीकृत मकान की लम्बाई 30 फीट, चौड़ाई 15 फीट है। इस मकान का अनुमानित मूल्य सात लाख बारह हजार रुपए बताया जा रहा है। इसको भी डीएम के निर्देश पर पुलिस ने कुर्क किया है।

डीएम और एसपी ने बूथों का किया निरीक्षण, मातहतों को खामियां दूर करने के निर्देश दिए

बूथों पर सभी व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त करें

लोकसभा चुनाव

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। लोक सभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक अमला सक्रिय होना शुरू हो गया है। धीरे-धीरे अधिकारी चुनावी मोड में आ रहे हैं। उसी कड़ी में गुरुवार को जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर और एसपी सत्यजीत गुप्ता ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। वहां की व्यवस्था देखने के साथ ही जरूरी निर्देश दिए। बिजली व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाओं को समय से तैयार करने का निर्देश दिया।

डीएम, एसपी ने गुरुवार को मतदान केंद्र हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद एवं प्रह्लाद राय बालिक इंटर कॉलेज खलीलाबाद में बने बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टूटी हुई दीवारों और छत को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। साथ ही सभी बूथों पर बिजली, पानी, रैंप एवं साफ-सफाई व्यवस्था आदि आवश्यक सुविधाएं को दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।

प्रह्लाद राय बालिक इंटर कॉलेज खलीलाबाद में बनने वाले बूथों का गुरुवार को निरीक्षण कर हाल जानते डीएम व एसपी।

अधिकारीद्वय ने सभी बूथों का निरीक्षण कर समस्त आवश्यक सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी बूथों का निरीक्षण कर सारी तैयारियों को समय से पूरा कराएं।

उन्होंने कहा कि जहां बिजली और पेयजल की व्यवस्था नहीं है उसे एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करा लिया जाए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी खलीलाबाद शैलेश दुबे, ओएसडी बलदाऊ जी शर्मा आदि मौजूद रहे।

लोकसभा चुनाव में निगरानी के लिए गठित हुईं टीमें

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने लोक सभा चुनाव की निगरानी को लेकर टीमों का गठन कर उनके प्रभारी अधिकारी को नामित कर दिया है। इसके साथ ही सभी का प्रशिक्षण भी शुक्रवार से शुरू हो रहा है। सभी को उनके दायित्वों के प्रति प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। जिससे आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ टीमें अपने दायित्वों के निर्वहन को लेकर सक्रिय हो जाएं।

जिला निर्वाचन अधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय, सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो निगरानी टीम, लेखा टीम, मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति, उड़नदस्ता टीम, स्थायी निगरानी टीम तथा व्यय अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष एवं काल सेन्टर टीमों का गठन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय (नोडल अधिकारी) द्वारा उक्त समस्त टीमों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसमें लेखा टीम का प्रशिक्षण एक मार्च को वरिष्ठ कोषाधिकारी के कक्ष में 11 बजे से दिया जाएगा। इसी प्रकार सहायक व्यय प्रेक्षक का प्रशिक्षण दो मार्च को सुबह 11 बजे से वरिष्ठ कोषाधिकारी कक्ष में आयोजित किया गया है। उड़नदस्ता टीम, वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, स्थाई निगरानी टीम एवं सहायक व्यय प्रेक्षक का प्रशिक्षण पांच मार्च को तीन बजे से कलक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। डीएम ने समस्त टीमों के सदस्यों को प्रशिक्षण में ससमय प्रतिभाग करने का निर्देश दिया।

गोवध व फायरिंग के दो आरोपी दोषमुक्त

फैसला

- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनाया फैसला
- बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क था कि मौके पर कोई खोखा बरामद नहीं

संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। गोवध एवं फायर करने के दो आरोपियों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। आरोपी सुबराती व रज्जाक पर अपने एक अन्य साथी के सहयोग से गोवध करने की नीयत से पशुओं को ले जाने तथा जान से मारने की नीयत से फायर करने का आरोप लगाया गया था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार मिश्र व मोहम्मद असलम ने बताया कि प्रकरण में बुद्धिसागर मिश्र पुत्र विन्ध्याचल मिश्र ग्राम व थाना धनघटा ने अभियोग पंजीकृत कराया था। वादी का आरोप था कि 27 अक्टूबर 2002 को भोर में करीब तीन बजे सूचना मिली कि कुछ कसाई गोवंशीय पशुओं को चहोड़ा घाट से नाव द्वारा नदी पार करके उस पार ले जाने वाले हैं। इस सूचना पर मैं अपने साथियों ओमप्रकाश यादव, कौशल व दुर्गा प्रसाद के साथ चहोड़ा घाट पंहुचा। कुछ कसाई बैलों को घाट पर खड़ा करके नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनसें बैलों के बारे में पूछा गया।

जाफर पुत्र इसहाक, सुबरातीं पुत्र यूसुफ व रज्जाक़ पुत्र इसहाक ग्राम छपरा मगर्वी थाना धनघटा के रहने वाले हैं। यह लोग जानवरों को छोड़ने की बात करने लगे। जब हम लोग तैयार नहीं हुए तो जाफर ने मेरे साथी ओम प्रकाश यादव पर फायर कर दिया और जानवर छोड़कर भाग गए। पांच बैल जो वध के लिए ले जा रहे थे, उनको लेकर थाने आए हैं। शेष पन्द्रह बैल माझा में भाग गए।

तीनों आरोपियों के विरुद्ध गोवध अधिनियम एवं जानलेवा हमले का अभियोग पंजीकृत करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान आरोपी जाफर की मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क था कि मौके पर कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है। पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।

10 वारंटियों को पुलिस ने भेजा जेल

धनघटा। धनघटा थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांव के वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार फिर उन्हें जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र के मुंडेरा शुक्ला निवासी लक्ष्मण, रसिक शिरोमणि शुक्ला, शंकर यादव, हरिश्चंद्र यादव, अंकित मिश्रा, राम भजन बेलदार, चकिया निवासी फुद्दन, मोती हरिजन तथा बभनौली निवासी दिलीप कुमार को विभिन्न धाराओं में आरोपी होने के कारण काफी दिनों से उनका गैर जमानती वारंट जारी था।

कोर्ट के निर्देश पर प्रधान पर गबन का केस दर्ज

- पूर्व प्रधान के कार्यों समेत अन्य भुगतान कर धन के गबन का आरोप
- फरारी व अवकाश काल के दौरान भुगतान लेने का आरोप

बखिरा, हिन्दुस्तान संवाद। बखिरा थाना क्षेत्र के बघौली ब्लाक के एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत मे खयानत का मुकदमा दर्ज किया है। प्रधान पर फरारी व अवकाश काल का मानदेय लेने का आरोप है। साथ ही पूर्व प्रधान के द्वारा कराए गए विकास कार्यों का पुनः भुगतान लेने समेत अन्य भुगतान लेने का आरोप है। गांव के ही राधेश्याम राय ने सरकारी धन के गबन का आरोप लगाते हुए न्यायालय से कार्रवाई की गुहार लगाई थी। न्यायालय के आदेश पर बखिरा पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

बौरव्यास निवासी राधेश्याम राय का आरोप है कि वर्तमान ग्राम प्रधान जोखन राय उर्फ अखिलेश पुत्र राजमंगल राय निवासी बौरव्यास मौजूदा ग्राम प्रधान हैं। एक मामले में ग्राम प्रधान फरार चल रहे थे। इसी दौरान पूर्व प्रधान कामिनी राय द्वारा कराए गए खड़ंजा कार्य का भुगतान लेने के साथ ही मजदूरी की रकम वर्तमान प्रधान जोखन राय ने मजदूरी की रकम अपने निजी खाते में भुगतान करा लिया। वर्तमान ग्राम प्रधान के खिलाफ पूर्व में एनबीडब्ल्यू व 82, 83 की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जा चुकी थी। विवेचक द्वारा इनके विरुद्ध मफरूरी में आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका था। जिससे स्पष्ट है उपरोक्त ग्राम प्रधान फरार थे। 18 अगस्त 2022 से 5 सितंबर 2022 तक पंजीकृत डाक से अवकाश की सूचना दिया था। जबकि 2 सितंबर 2022 से 18 दिसम्बर 2022 तक जिला कारागार में निरुद्ध थे। इस तथ्य को छिपाकर ग्राम प्रधान ने फरारी व अवकाश काल का भी मानदेय प्राप्त कर लिया।

पुलिस ने दो वारंटियों को किया गिरफ्तार

संतकबीरनगर। वारंटियों के विरुद्ध चल रहे अभियान गुरुवार को अलग-अलग थाना क्षेत्र में 2 वारंटी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने सभी को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दुधारा पुलिस ने दो और धनघटा पुलिस ने कुल 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया। दुधारा पुलिस ने सिकन्दर पुत्र राजकरन निवासी नेदुला थाना कोतवाली खलीलाबाद, महफूज पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी पकड़ी आराजी थाना दुधारा को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया।

मारपीट की सूचना पर पहुंची पीआरवी

संत्तकबीरनगर। पीआरवी 3314 को थाना बेलहरकला के जब्बार से कालर ने दो पक्षों के विवाद की सूचना मिली। सूचना पर पर तत्काल टीम मौके पर पहुंची। विवाद को शांत कराते हुए घायल किशलावती पत्नी जितेन्द्र को तत्काल अस्पताल भेजवाया। इसके अलावा इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दिया।

बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय व रैंप की सुविधा हो

हीरालाल रामनिवास इंटर कालेज-खलीलाबाद स्थित बूथ की जांच करते डीएम महेंद्र सिंह तंवर(बाएं से तीसरे), एसपी सत्यजीत गुप्ता(बाएं से दूसरे)।

जासं, संतकबीर नगरः आगामी लोकसभा चुनाव को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेजी से चल रही है। डीएम महेंद्र सिंह तंवर व एसपी सत्यजीत गुप्ता ने इस चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को खलीलाबाद शहर स्थित हीरालाल रामनिवास इंटर कालेज व पीबी गर्ल्स इंटर कालेज के मतदेय स्थलों की जांच की।

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने मतदेय स्थलों पर बिजली, चहारदीवारी, पीने के लिए पानी, शौचालय, रैंप आदि व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तिथि तय होने के बाद मतदान के दिन इसके लिए मतदाताओं को कोई परेशानी न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी बूथों पर यह जरूरी सुविधा जल्द प्रदान कर दी जाए। एसपी ने मतदेय स्थल पर किए गए सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इनके निरीक्षण के दौरान खलीलाबाद के एसडीएम शैलेश दूबे, कोतवाली प्रभारी ब्रजेंद्र पटेल, एसपी के पीआरओ जितेंद्र यादव के अलावा अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

लोस चुनाव के लिए गठित की गई टीमों को करेंगे प्रशिक्षित

जासं, संतकबीर नगरः आगामी लोकसभा चुनाव कराने के लिए जल्द अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इन सबके बीच प्रशासनिक और पुलिस महकमा इसे शांतिपूर्ण माहौल में सकुशलपूर्वक संपन्न कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस चुनाव के लिए गठित की गयी टीमों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए तिथि और स्थान निर्धारित कर लिया गया है।

कलेक्ट्रेट स्थित वरिष्ठ कोषाधिकारी वैभव कुमार के कक्ष में एक मार्च यानी शुक्रवार को सुबह ग्यारह बजे से लेखा टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी कक्ष में दो मार्च यानी शनिवार को सुबह ग्यारह बजे सहायक व्यय प्रेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा आगामी पांच मार्च को कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर के तीन बजे से उड़नदस्ता टीम, वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, स्थायी निगरानी टीम व सहायक व्यय प्रेक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए तेजी से तैयारियां चल रही हैं।

जाम करने पर 19 ज्ञात 60-65 अज्ञात पर केस

फॉलोअप

धनघटा, हिन्दुस्तान संवाद। धनघटा पुलिस ने सड़क जाम करने के आरोप में 19 ज्ञात 60-65 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। लोहरैया-बनकटा मार्ग की बदहाली को लेकर बुधवार को आसपास के गांव के लोगों ने रामजानकी मार्ग पर जाम लगाकर आवागमन में व्यवधान डालने का आरोप है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

लोहरैया पुलिस चौकी के कांस्टेबल आनंद प्रकाश गुप्ता द्वारा दर्ज कराए मुकदमे में कहा कहा है कि वे और चौकी प्रभारी रजनीश राय बुधवार को क्षेत्र के भ्रमण पर निकले थे। इसी दौरान कांस्टेबल शैलेश ने दूरभाष पर सूचना दिया कि पुलिस चौकी के 100 मीटर पूरब सैकड़ों की संख्या में महिला-पुरुष ने सड़क को जाम कर दिया है। जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। बिना परमीशन के रास्ता जाम करने के कारण आनंद प्रकाश गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने डंड़वा निवासी हरिश्चंद्र यादव, खजूर टिकरा निवासी नकुल, बंतवार निवासी हौसला दुबे तथा भोला कनौजिया सहित 19 ज्ञात तथा 60-65 अज्ञात के विरुद्ध धारा 147, 341 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

जनपद में फरार 12 वारंटियों को भेजा जेल

संतकबीर नगर : पुलिस ने गुरुवार को फरार चल रहे 12 वारंटियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। इसमें दुधारा पुलिस ने दो, धनघटा पुलिस ने दस वारंटियों को गिरफ्तार किया है। वारंट जारी होने के बाद भी ये आरोपित कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे।

शांति भंग की आशंका में आठ लोगों को दबोचा

संतकबीर नगर : पुलिस ने शांति भंग की आशंका में गुरुवार को आठ लोगों को पकड़कर थाने पर लाई। इनसे विवाद के बारे में पूछताछ की। इसमें मेंहदावल पुलिस ने पांच, बेलहरकला पुलिस ने एक तथा धनघटा पुलिस ने दो लोगों को दबोचा। ये लोग पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करने पर उतारू थें। सूचना मिलने पर पुलिस इनके गांव में पहुंची। (जासं)

59 वाहनों से वसूले 92 हजार रुपये समन शुल्क

संतकबीर नगर : जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस व यातायात पुलिस कर्मियों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की जांच की। इस दौरान मांगने पर ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य जरूरी कागजात न दिखा सकने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 59 वाहनों से 92 हजार रुपये समन शुल्क की वसूली की। (जासं)

मां, बेटी समेत तीन की पिटाई, मुकदमा दर्ज

बखिरा : थाना क्षेत्र के बजहा गांव में गुरुवार को मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गयी। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बखिरा थाने में दी गयी तहरीर में बजहा गांव निवासी चंद्रकला ने यह उल्लेख किया है कि गुरुवार को को सुबह करीब दस बजे वह अपनी बहन व मां शीला के साथ अपने गेहूं, सरसों की फसल को देखने गयी थी। इसी दौरान उनके गांव के प्रशांत, सत्यप्रिय व आदर्श बिना किसी वजह के अपशब्द कहने लगे। उनके विरोध करने पर ये लोग उन्हें मारने-पीटने लगे। बचाने के लिए बहन व मां को भी मारे-पीटे। जिससे हम लोगों को काफी चोट लगी है। थानाध्यक्ष श्याम मोहन ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच की जा रही है।

अस्पताल में भर्ती कैदियों की नियमित जांच करें : डीएम

जासं, संतकबीर नगर: डीएम महेंद्र सिंह तंवर व एसपी सत्यजीत गुप्ता ने गुरुवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया। इसके अंदर और बाहर साफ-सफाई की स्थिति देखी। बैरकों, कार्यालय, हास्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिए। भोजन कक्ष में खाद्य वस्तुओं के रख-रखाव के साथ ही उसकी गुणवत्ता देखी।

डीएम ने ज़िला कारागार के कैदियों से बातचीत करके यहां पर मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा यहां पर स्थित हास्पिटल में भर्ती किए गए बीमार कैदियों से उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। डीएम ने कहा कि चिकित्सक नियमित रूप से समय से इनका उपचार करते रहे। ये जल्द ठीक हो जाएं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस कार्य में किसी तरह की कोई कोताही न की जाए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने कहा कि कारागार कर्मियों से कहा कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाने पाये, इस पर हमेशा ध्यान दें। अपने दायित्वों का सही से निर्वहन करें। जेल परिसर की नियमित रूप से साफ-सफाई कराएं।

सात आरोपितों को सात-सात वर्ष का कारावास, 70 हजार जुर्माना

जासं, संतकबीर नगरः कोर्ट ने पारिवारिक विवाद के मामले में निर्णय देते हुए कोतवाली खलीलाबाद के नकहां गांव निवासी सात आरोपितों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही 70 हजार रुपये जुर्माना से भी दंडित किया है। इसे जमा न करने पर अतिरिक्ति कारावास की सजा भुगतनी होगी।

कोतवाली खलीलाबाद थाना के नकहां गांव निवासी रामनरेश यादव, इनके बेटे चंद्रशेखर यादव, पत्नी गुलाबी देवी, बेटी गीता, कालिंदी व अनीता तथा इनके भाई सुभाष यादव के खिलाफ मुकामी थाने में वर्ष 2009 में मारने-पीटने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पारिवारिक विवाद में मारपीट हुई थी। इस घटना में परिवार के ही एक युवक की मृत्यु हो गयी थी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल इसकी पैरवी कर रहे थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनका दोष सिद्ध हो गया है। इस पर कोर्ट ने प्रत्येक आरोपित को सात-सात वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही इन पर 70 हजार रुपये अर्थ दंड लगाकर दंडित किया है। इसे जमा न करने पर आरोपितों को एक-एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

गैंगस्टर का 7.12 लाख का मकान कुर्क

जासं, संतकबीर नगरः दुधारा पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित किए गए पैसे से बने 7.12 लाख रुपये अनुमानित मूल्य के मकान को कुर्क कर दिया। क्षेत्राधिकारी यातायात व नायब तहसीलदार, कोतवाली प्रभारी, दुधारा थानाध्यक्ष की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गयी है। इस कार्रवाई से जनपद के बदमाशों, भू-माफियाओं सहित अन्य लोगों में खलबली मच गयी है।

कोतवाली खलीलाबाद के उतरौलिया गांव निवासी शेषमणि पाण्डेय पर थाने में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी

- दो थाने की पुलिस के साथ सीओ व नायब तहसीलदार ने की कार्रवाई
- कार्रवाई से बदमाशों, भू-माफियाओं सहित अन्य में मची खलबली

क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गैंगस्टर के इस आरोपित ने अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से अपने नाम से प्रंजीकृत सात लाख 12 हजार रुपये अनुमानित मूल्य का मकान बनवाया था। डीएम ने 30 फीट लंबे व 15 फीट चौड़े इस मकान को कुर्क करने का आदेश दिया था। इस पर खलीलाबाद तहसील के नायब तहसीलदार राजेश कुमार मिश्र व क्षेत्राधिकारी यातायात दीपांशी राठौर, कोतवाली प्रभारी ब्रजेंद्र पटेल, दुधारा थानाध्यक्ष पंकज कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रमोद यादव, आरक्षी नवतेज सिंह, प्रमोद सिंह, महिला आरक्षी अनामिका सिंह आदि पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में इस मकान को कुर्क कर दिया गया। इस आरोपित पर कोतवाली खलीलाबाद में वर्ष 2023 में गैंगस्टर एक्ट के अलावा वर्ष 2021 व 2023 में कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं।

ग्राम प्रधान के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा

जासं,बखिरा: कोर्ट के आदेश पर बखिरा पुलिस ने बघौली ब्लाक के ग्राम पंचायत-बौरव्यास के प्रधान के खिलाफ जालसाजी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूर्व प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों को नया कार्य दर्शाकर सरकारी धन गबन करने का आरोप है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने कोर्ट का शरण लिया था।

कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में इस ग्राम पंचायत के निवासी राधेश्याम राय पुत्र जगदंबा ने यह उल्लेख किया है कि उनके यहां के प्रधान के जोखन उर्फ अखिलेश राय हैं। इसके पूर्व यहां की प्रधान कामिनी राय थी। पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में पुलिया से दक्षिण दिग्विजय नाथ के घर तक, जसई यादव के घर से पिचरोड तक तथा पिचरोड से दयाराम यादव के घर के पास तक खड़ंजा मरम्मत कार्य करायी थी। उन्होंने मजदूरी व सामग्री पर धनराशि खर्च की थी। इसी काम को वर्तमान प्रधान ने नया कार्य दर्शाकर, सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। मजदूरी का पैसा अपने निजी खाते में मंगवाए हैं। थानाध्यक्ष श्याम मोहन ने बताया प्रधान जोखन राय उर्फ अखिलेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

पुलिस ने लहन नष्ट किया

रोसयाबाजार। होली व लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसपी के निर्देश पर पुलिस चौकी प्रभारी पौली अमित कुमार चतुर्वेदी ने पुलिसकर्मियों के साथ सरयू नदी के माझा क्षेत्र नकहा, परड़िया, तेजपुर, खरबुजहिया, रामपुर, बबुरहनिया आदि जगहों पर बृहस्पतिवार को छापा मारा। इस दौरान लहन और कच्ची शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया।

इस दौरान शराब बनाने वाले फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अवैध शराब में लिप्त लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। छापे के दौरान पुलिसकर्मी लवकेश यादव, धनंजय कुमार, मनोज यादव, विनोद यादव मौजूद रहे। संवाद

जनसहयोग से आठ सीसीटीवी कैमरे लगवाए

संतकबीरनगर। पुलिस ने आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से एक स्थान पर आठ सीसीटीवी कैमरे लगवाए। एसपी सत्यजीत गुप्त ने बताया कि कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने एक स्थान पर आठ कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया है। इसके साथ ही पुलिस ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील कर रही है कि वे घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं। संवाद

शांतिभंग करने वाले आठ लोग गिरफ्तार

संतकबीरनगर। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान में पुलिस ने आठ लोगों को शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार किया है। मेंहदावल थाने की पुलिस ने पांच, बेलहर पुलिस ने एक और धनघटा पुलिस ने दो लोगों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया है। एसपी सत्यजीत गुप्त ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। संवाद

लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन

शहर में बने बूथों का डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया

संवाद न्यूज एजेंसी

संतकबीरनगर। लोक सभा चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। इसके लिए शहर में बने पोलिंग बूथों को दुरूस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। डीएम महेंद्र सिंह तंवर और एसपी सत्यजीत गुप्त ने बृहस्पतिवार को बूथों का निरीक्षण किया और व्यवस्था दुरूस्त करने का निर्देश दिया।

डीएम सबसे पहले पोलिंग बूथ एचआर इंटर कॉलेज पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने रैंप, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था को देखा जो सही मिला। इसके बाद पीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज में बने बूथ को देखा। उन्होंने यहां पर पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था दुरूस्त करने का निर्देश दिया।

उन्होंने दोनों केंद्रों पर मतदान के दृष्टिगत बूथों पर की गई व्यवस्था जिसमे विद्युतीकरण, बाउंड्रीवाल, पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि का हाल जाना। डीएम ने कहाकि लोक सभा चुनाव संभावित है। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। जिले में जितने भी बूथ बने है उसका अधिकारी निरीक्षण कर रहे और व्यवस्था चुस्त दुरूस्त कर रहे है। इसमे कही से कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए।

पीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज में बने बूथ का निरीक्षण करते डीएम और एसपी। संवाद

बूथों पर बिजली, पानी की व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश

इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बूथों पर रैंप, शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था बेहतर बनाया जा रहा है। इस दौरान कोतवाल ब्रजेन्द्र पटेल, पीआरओ जितेंद्र यादव समेत अन्य मौजूद रहे।

किशोरी के अपहरण करने वाले को दस साल का सश्रम कारावास

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाया फैसला

संवाद न्यूज एजेंसी

संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर 33 वर्षीय आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 55000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 12 माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अदालत से

विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र शुक्ला, अभिमन्यु पाल एवं सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि कोतवाली थाना खलीलाबाद क्षेत्र के रहने वाले किशोरी के पिता ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि 29 अगस्त 2013 को उसकी पुत्री कक्षा 11 की छात्रा है। वह स्कूल पढ़ने के लिए घर से गई और काफी समय हो जाने के बाद भी वापस नहीं आई।

खोजबीन में पता चला कि पुत्री को गांव के ही दो आरोपियों के साथ जाते देखा है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दो आरोपियों के विरुद्ध किशोरी को बहला-फुसला कर अपहरण करने व पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई।

विवेचना के बाद एक आरोपी के विरुद्ध अपहरण व दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने उक्त आरोप से इन्कार करते हुए विचरण की मांग किया। कोर्ट ने अभियोजन साक्षी के गवाहों मेडिकल रिपोर्ट अभिलेखीय साक्ष्य तथा पक्षों की बहस को सुनने के बाद 10 वर्ष सश्रम कारावास और 55000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

जेल में प्रतिबंधित सामग्री न जाने पाए

संतकबीरनगर। डीएम महेंद्र सिंह तंवर व एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बृहस्पतिवार को संयुक्त रुप से जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान हास्पिटल, बैरक, मेस, जेल परिसर में सुविधाओं व व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए।

जिला कारागार के निरीक्षण के दौरान डीएम व एसपी ने कैदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं व सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। कारागार कर्मियों को निर्देशित किया कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाने पाए। सभी कार्रवाईयों का निर्वहन सही तरीके से करें। जेल परिसर की साफ-सफाई आदि को ठीक रखें।

कारागार अधीक्षक राजेश कुमार राय, चिकित्साधिकारी डॉ. निधि गुप्ता, उप कारापाल गीता रानी, राजकुमार गौतम, हरिकेश गौड़ आदि रहे। संवाद

92 हजार का लगाया जुर्माना, कार्रवाई

संतकबीरनगर। पुलिस टीम ने संदिग्धों की धर-पकड़ के लिए किए गए वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 59 वाहन चालकों पर नियमानुसार कार्रवाई की। इस दौरान सभी एसओ व प्रभारी यातायात की संयुक्त पुलिस टीम ने यातायात नियम का उल्लंघन करने के मामले में 92000 रुपये शमन शुल्क वसूल किए। संवाद

ग्राम प्रधान के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज

बखिरा। क्षेत्र के बौरव्यास गांव में शामिल एक मामले में फरार चल रहे ग्राम प्रधान पर फरारी व अवकाश काल का मानदेय लेने व पूर्व प्रधान के कराए कार्यों का पुर्न भुगतान लेने का आरोप लगाते हुए गांव के ही राधेश्याम राय ने सरकारी धन के गबन का आरोप लगाते हुए न्यायालय से कार्रवाई की गुहार लगाई थी। न्यायालय के निर्देश पर एसओ बखिरा ने ग्राम प्रधान के खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक विश्वासघात का केस दर्ज किया है। संवाद

प्रधान, पूर्व प्रधान समेत 79 के खिलाफ केस दर्ज

रामजानकी मार्ग जाम करने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी

धनघटा। बुधवार को लोहरैया-बनकटा घाट सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर रामजानकी मार्ग जाम करने वालों के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रधान, पूर्व प्रधान समेत 19 नामजद समेत 60 अज्ञात लोगों के विरूद्ध केस दर्ज किया है।

पुलिस की इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों में हड़कंप मच गया है। लोहरैया से रामजानकी मार्ग से कटकर गोरखपुर जनपद की सीमा तक जाने वाला बनकटा घाट मार्ग काफी जर्जर हो चुका है। इस सड़क से होकर वाहन की बात तो दूर पैदल चलना मुश्किल हो गया है।

इस रास्ते रोजाना आने-जाने वाले बतवार, शाहपटटी, फूलई, सेमरौना, सरायघाट, टांडा आदि गांव के लोग सड़क की मरम्मत की मांग करते चले आ रहे हैं। मरम्मत कार्य न होने से

बुधवार को लोहरैया-बनकटा घाट सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे थे लोग

रामजानकी मार्ग के निर्माण में सुस्ती पर नाराज लोगों ने लगाया जाम

29 फरवरी को प्रकाशित खबर।

नाराज लोगों ने बुधवार की सुबह रामजानकी मार्ग को लोहरैया में जाम कर दिया।

जाम की वजह से यात्रियों को करीब दो घंटे परेशानी का सामना करना पड़ा था। प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए तहसीलदार योगेंद्र पांडेय और एसओ अनिल कुमार मौके पर पहुंचे थे। काफी मशक्कत के बाद प्रशासनिक

सड़क जाम करने वाले 19 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। – केशवनाथ, सीओ, धनघटा

अमला रास्ता खाली कराने में सफल हो सका। जिसके बाद लोगों ने जाम समाप्त किया।

एसओ अनिल कुमार ने बताया कि इस मामले में हरिश्चंद्र यादव पूर्व प्रधान डडवा, नकुल यादव ग्राम प्रधान टांडा, हौसला दुबे, अजय दुबे, बृजेश, उदय प्रताप, श्याम मौर्य, अंकित, वेद प्रकाश, गुड्डू मौर्य, अजय शर्मा, अंकित प्रजापति, अन्नय मौर्य, कमलेश मौर्य, दीपक, अमरजीत कनौजिया, सोनू, जगन्नाथ व भोला कन्नौजिया निवासी बंतवार स 50 से 60 लोगों के विरुद्ध लोहरैया चौकी इंचार्ज रजनीश राय ने केस दर्ज कराया है।

शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में लगी आग, मवेशी समेत सामान जला

पलदहजोत रुक्मिना गांव में आग से जली झोपड़ी। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

शनिचरा चौबे के पलदहजोत रुक्मिना गांव में लगी आग

धनघटा। महुली क्षेत्र के ग्राम पंचायत शनिचरा चौबे के राजस्व गांव पलदह जोत रुक्मिना गांव में बुधवार की रात ढाई बजे शार्ट सर्किट से टीनशेड में आग लग गई। जिससे मवेशी समेत खाद्यान्न, बिस्तर, कपड़ा, चारपाई, पंखा, भूसा सहित करीब लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका।

महुली क्षेत्र के ग्राम पंचायत शनिचरा चौबे के राजस्व गांव पलदह जोत रुक्मिना निवासी कालीचरण त्रिपाठी पुत्र सहदेव के घर के सामने टीनशेड है। कालीचरण के मुताबिक बुधवार की रात्रि करीब ढाई बजे शार्ट सर्किट से आग लग गई थी। बताया कि बिजली के तार की सप्लाई उनके टीनशेड के बगल से गुजरा है। आग की जानकारी होते ही उसमें सो रहे लोग भाग निकले। लेकिन उसमें बंधी भैंस, कपड़ा, बिस्तर, भूसा, गेहूं, लकड़ी आदि जलकर राख हो गया।

b

GONDA POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 01-03-2024

हत्या कर शव छिपाने में दंपति को उम्रकैद की सजा

अदालत से

- देहात कोतवाली के मलारी गांव की घटना
- मामले में तीन लोग थे नामजद, एक अब मृत

गोण्डा, विधि संवाददाता। अपर जिला जज पूजा सिंह ने ग्रामीण की हत्या कर शव छुपाने के जुर्म में पति-पत्नी को उम्रकैद व 25-25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।

सहायक जिला शासकीय विनय कुमार सिंह के अनुसार थाना कोतवाली देहात के मलारी निवासी वादी मुकदमा झगरू ने बलराम वर्मा पुत्र राम मिलन वर्मा, उसकी पत्नी मीना देवी तथा राम मिलन पुत्र सुमिरन के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक आरोपीगण उसके भाई वंशराज के घर आया जाया करते थे। तीनों उसके भाई को घर से बुला ले गए और उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीसरे आरोपी की मृत्यु हो गई। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस व दलीलों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के पश्चात आरोपित अभियुक्तों को हत्या करने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।

मार्ग दुर्घटना में अधेड़ गंभीर रूप से घायल, रेफर

करनैलगंज। सड़क दुर्घटना में एक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। घटना कोतवाली क्षेत्र के बरगदी चौराहे के पास की है। गुरुवार की शाम ग्राम कटरा शहबाजपुर निवासी शिवदयाल उर्फ बल्लू गुप्ता 50 वर्ष अपने घर से बरगदी चौराहा जा रहे थे। इसी बीच अज्ञात बाइक सवार उन्हें काफी जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गया।

सार्वजनिक भूमि नहीं खाली करा पाए

गोण्डा। मनकापुर तहसील क्षेत्र के केशव नगर ग्रंट के हरैयाघाट में बंजर भूमि से छह माह बाद भी कब्जा नहीं हटाया जा सका है। इस मामले में एसडीएम ने नायब तहसीलदार अनु सिंह की अगुवाई टीम गठित की थी। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक टीम ने मौके पर मुआयना तक नहीं किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कब्जेदार से मिलीभगत करके राजस्वकर्मी इसमें आनाकानी कर रहे हैं।

शांतिभंग की आशंका में 25 गिरफ्तार

गोंडा। जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी ने बताया कि सभी का चालान किया गया है। साथ ही भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया है। वहीं, दो वारंटियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है।

चकमार्ग के किनारे कंटीले तार हटवाने के निर्देश

गोंडा। दिशा की बैठक में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के कड़े रुख के बाद सदर तहसील के एसडीएम सुशील कुमार ने चकमार्गो के किनारे लगे कंटील तार हटवाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी लेखपालों को निर्देश दिया है कि हलका सिपाही के साथ जांच करके कंटीले तार हटवाएं।

साइबर फ्रॉड की धनराशि मिलने पर पीड़ित ने पुलिस ने दिया धन्यवाद।

साइबर फ्रॉड की धनराशि वापस करवाई

गोण्डा। पुलिस साइबर सेल की तत्परता से साइबर फ्रॉड पीड़ित को 1,99,999 रुपये वापस मिली है। त्वरित कार्यवाही से फ्रॉड गई धनराशि मिलने पर पीड़ित ने एसपी विनीत जायसवाल को धन्यवाद दिया है। पीड़ित ओसबोर्न फ्रेडरिक निवासी पन्तनगर से लैप्स बीमा पॉलिसी के एक्टिवेशन के नाम पर रुपये ट्रांसफर कराए गए थे। इसकी शिकायत मिलने पर एसपी ने साइबर सेल को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया था। एसपी ने बताया साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है।

एसपी से की शिकायत

शिवदयालगंज : सिरसा निवासी विनय तिवारी, बसंत मिश्रा, दौलत राम, आनंद, संजय श्रीवास्तव, शशांक पांडे, अनुराधा, कुसुम, संगीता, मधु समेत 40 लोगों ने एक महिला की शिकायत एसपी विनीत जायसवाल से की है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि एक महिला पुलिस को फर्जी प्रार्थनापत्र देती है। अराजक तत्वों से कालोनीवासियों को धमकी दिलाती है। (संसू)

बुजुर्ग के हत्यारे दंपति को आजीवन कारावास

- जवरन जमीन का वैनामा करा वाद में कर दी वुजुर्ग की हत्या
- साक्ष्य छिपाने के लिए विना परिजन को वताए किया था शवदाह

संसू, गोंडा : संपत्ति के लालच में हुई बुजुर्ग की हत्या और शवदाह के मामले में 14 साल वाद न्यायालय ने दोषी मिले दंपति को सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह ने ग्राम मलारी थाना कोतवाली देहात निवासी बलराम वर्मा व उनकी पत्नी मीना देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषित दंपति को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की अदायगी पर पचास फीसद राशि मृतक के भाई को देने का आदेश दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार सिंह ने वताया कि ग्राम वरूईपारा थाना धानेपुर निवासी झगरू ने वर्ष 2011 में न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर दोषितों के विरुद्ध शिकायत की थी। वताया कि दोषितों ने उनके भाई वंशराज की संपत्ति हड़पने के लिए 17 दिसंवर 2010 को जवरन अपने साथ ले गए थे। 18 दिसंवर 2010 को संपत्ति का बैनामा करा लिया और वंशराज को छिपाकर रखा। वहीं 11 जनवरी 2011 को हत्या कर चुपके से शव का दाह कर दिया था। घटना की शिकायत कोतवाली देहात पुलिस से की गई तो पुलिस ने विना जांच के ही अंतिम रिपोर्ट लगाकर मामले को बंद कर दिया था। न्यायालय के आदेश पर दोवारा जांच हुई, जिसमें दोषित समेत तीन के विरुद्ध मुकदमा हुआ था। विचारण के दौरान ही आरोपित रहे राम मिलन की मौत हो चुकी है।

युवती से छेड़छाड़, विरोध पर भाई को पीटा

नवाबगंज। दो सगे भाइयों ने पड़ोस की युवती के साथ छेड़छाड़ की तथा विरोध करने पर उसके भाई को मारा-पीटा। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने थाने पर दी गई तहरीर में बताया कि सोमवार की दोपहर में करीब दो बजे गांव के दो सगे भाई उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने लगे। मौके पर पहुंचे उसके बेटे ने जब विरोध करना शुरू किया तो उसे भी मारा-पीटा।

रिश्वत लेने के मामले में वरिष्ठ सहायक का निलंबन, जांच शुरू

संसू, गोंडा : दो साल से चिकित्सा प्रतिपूर्ति का पटल देख रहे लिपिक धर्मेश राय के रंगे हाथों घूस लेते पकड़े जाने के बाद उसे निलंबित कर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। मंगलवार को सीएमओ कार्यालय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति पटल का देख रहे वरिष्ठ सहायक धर्मेश राय को रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तारी के बाद भले ही कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी हतप्रभ हैं,लेकिन इसके पहले भी बाबुओं की कारगुजारी ने सीएमओ को भी शर्मसार किया है। बावजूद इसके न तो वर्षों से जमे लिपिकों का पटल बदला गया और न ही उनकी कार्यशैली बदली।

सीएचओ व एएनएम समेत अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती व स्थानांतरण में वसूली का मामला हो या फिर चिकित्सीय सामग्री खरीद में अनियमितता का। यही नहीं जिला लेखा प्रबंधक की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में रही,जिस पर डीएम समेत कई अधिकारी बार-बार नाराजगी जताते रहे। अधिकारियों की फटकार के बावजूद भी सीएमओ कार्यालय में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पाई, जो घोटालेबाजों के लिए कवच बनता रहा। हालांकि घूस लेते हुए लिपिक की गिरफ्तारी के बाद अब उसे निलंबित कर मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। सीएमओ डा.रश्मि वर्मा का कहना है कि धर्मेश की गिरफ्तारी के बाद उसे निलंबित कर पूरी घटना की जानकारी निदेशक प्रशासन समेत अन्य उच्चाधिकारियों को भेज दी है। उच्चाधिकारियों का निर्देश मिलते ही अगली कार्रवाई की जाएगी।

- बाबुओं के कारनामे से पहले भी दागदार रहा सीएमओ कार्यालय

अधिक समय से पटल देख रहे बाबुओं की बदलेगी जिम्मेदारी

लंबे समय से एक ही दायित्व देख रहे लिपिकों की कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग इन पर शिकंजा कसने में जुट गया है। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डा.एचडी अग्रवाल ने बताया कि लिपिक के निलंबन के बाद विभागीय जांच चल रही है,लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई पत्र नही मिला है। चारों जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि वह अपने यहां एक साल से अधिक समय से पटल देख रहे लिपिकों का पटल बदल दें।

कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार

आर्यनगर : कच्ची शराब रखने के आरोप में कौड़िया के उड़िला पसियन पुरवा गांव निवासी झोथू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अंकुर वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपित के कब्जे से दस लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि यह बरामदगी पुलिस चौकी दुबहा बाजार के प्रभारी गोपाल सिंह की अगुवाई में गठित पुलिस कर्मियों की टीम ने की है। (संसू)

पीड़ित को मिले रुपये

गोंडा : पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के मुताबिक ओसबोर्न फ्रेडरिक निवासी पंतनगर कोतवाली नगर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि लैप्स बीमा पालिसी के एक्टिवेशन के नाम पर वह ठगी का शिकार हो गया। साइबर सेल की टीम ने पीड़ित से ठगी की धनराशि को बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए एक लाख 99 हजार रुपये खाते में वापस कराए। (जासं)

हड़प लिए पांच लाख

परसपुर (गोंडा) : उमरीबेगमगंज थाना के खडौरा गांव के खुशीराम यादव ने एसपी से की गई शिकायत में कहा कि परसपुर के बहुअन मदार मांझा गांव के रहने वाले सुनील यादव उनके रिश्तेदार है। उन्होंने खेत बैनामा करने की बात कहकर कई किस्तों में 5,35,000 रुपये ले लिए। रुपये मांगने पर जानमाल की धमकी दी जा रही है। आरोपित सुनील यादव के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा गया है। (संसू)

पति समेत चार पर मुकदमा

परसपुर (गोंडा) : नरायनपुर ललक गांव की रहने वाली प्रियंका दूबे ने एसपी से की गई शिकायत में कहा कि उसका विवाह वर्ष 2007 में गांव के कुलदीप दुबे के साथ हुई थी। जो वर्तमान में गोंडा डिपो में चालक के पद पर तैनात है। उसके दो बच्चे भी है। आरोप लगाया कि पति घर न आकर परसपुर नगर में किराये पर आवास लेकर रहता है। बीते 28 फरवरी 2023 को पिटाई करके बच्चों समेत घर से निकाल दिया। कुलदीप दुबे, ससुर रमाकांत दुबे, सास सुनीता व देवर दीपनरायन दुबे के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखा है। (संसू)

दहेज हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

मृत्यु पूर्व दिए बयान पर कोर्ट ने सास-ससुर व जेठ-जेठानी को माना दोषी

बलरामपुर। जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने हत्या के मामले में सास-ससुर व जेठ-जेठानी को दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 85-85 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में गवाहों के मुकर जाने के बावजूद मृतका के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को आधार मानते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी माना।

शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र प्रताप पांडेय ने बताया कि बलरामपुर नगर के मोहल्ला खलवा निवासी अमरेश तिवारी ने गैसड़ी कोतवाली में दो अक्तूबर 2016 को इस मामले में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि विवाह के बाद उनकी बेटी सुनीता को सास राधा, ससुर जग प्रसाद, जेठ पप्पू व जेठानी नीतू मिश्रा दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज न मिलने पर 23 सितंबर 2016 को आरोपियों ने बेटी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। इलाज के दौरान लखनऊ में मृत से पूर्व सुनीता ने एसडीएम के समक्ष बयान दिया था कि दहेज न मिलने पर उसके सास-ससुर व जेठ-जेठानी ने ही उसे जलाया है।

विवेचना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मृतका के परिजनों ने पहले तो थाने पर गवाही दी लेकिन न्यायालय में गवाही देने से वह मुकर गए। साक्ष्य के आधार पर जिला जज ने मृतका के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को सही मानते हुए चारों आरोपियों को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अवैध तमंचे से चली गोली, युवक गंभीर

तरबगंज (गोंडा)। तरबगंज थाना क्षेत्र के पकड़ी बाजार में एक दुकान पर आमलेट खा रहा युवक खुद के अवैध तमंचे से हुए फायर से घायल हो गया। युवक को सीएचसी से रेफर कर दिया गया है।

उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के सोनौली मोहम्मदपुर नए नगर निवासी सुरजीत (25) पुत्र बसंत बहादुर बृहस्पतिवार को एक दोस्त के साथ पकड़ी बाजार आया था। शाम पांच बजे जमथा मोड़ चौराहे के पास एक दुकान पर आमलेट खाने गया था, वहां पर उसके पास मौजूद अवैध तमंचे से अचानक फायर हो गया। गोली उसके कमर के नीचे आ लगी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आननफानन सीएचसी तरबगंज लाया गया, वहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सीएचसी के डॉक्टर सुहेल अहमद ने बताया कि युवक का प्राइवेट पार्ट भी चपेट में आ गया। प्रभारी निरीक्षक समशेर बहादुर सिंह ने बताया कि खुद के अवैध तमंचे से युवक घायल हुआ है। पड़ताल की जा रही है। (संवाद)

रिश्तेदार की हत्या के दोषी दंपती को उम्रकैद की सजा

नि:संतान चाचा की संपत्ति हड़पने के लिए पति व ससुर संग मिलकर अंजाम दी थी वारदात

संवाद न्यूज एजेंसी

गोंडा। कोतवाली देहात क्षेत्र में जमीन का बैनामा लिखाकर चाचा की हत्या के 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने मृतक की भतीजी व उसके पति दोषी ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह ने दोषी अभियुक्त बलराम वर्मा व मीना देवी को उम्रकैद व 25-25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की आधी राशि वादी मुकदमा को दी जाएगी। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने बताया कि थानेपुर ग्राम बरुईपारा निवासी झगरु वर्मा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें बताया था कि उसके भाई वंशराज की कोई संतान नहीं थी। पत्नी का भी निधन काफी पहले हो गया था।

17 दिसंबर 2010 को उसके एक अन्य भाई रामधीरज के दामाद बलराम वर्मा, उसके पिता राम मिलन व मां मीना देवी निवासी ग्राम मलारी कोतवाली देहात उसके घर आए। वंशराज को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। 11 जनवरी 2011 को पता चला कि वंशराज की मौत हो गई है। बिना सूचित दिए शव जला दिया।

अदालत से

25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया, आधी राशि पीड़ित को मिलेगी

यह भी पता चला कि बलराम वर्मा, राम मिलन व मीना देवी ने 18 दिसंबर 2010 को वंशराज से जबरन उनकी संपत्ति का बैनामा लिखा लिया है। साक्ष्य छिपाने की नीयत से उनकी हत्या कर दी व शव जला दिया। अदालत के आदेश पर पांच अगस्त 2011 को केस दर्ज कर कोतवाली देहात पुलिस ने एक दिन ही विवेचना की और छह अगस्त को अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी।

मुकदमे के दौरान आरोपी राम मिलन की मृत्यु हो गई। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने बलराम वर्मा व मीना देवी को दोषी करार दिया और बृहस्पतिवार को मामले में निर्णय सुनाया।

मारपीट के मामले में दो भाइयों को चार साल की जेल

बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम इफ्तेखार अहमद की कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में दो सगे भाईयों को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषियों को चार-चार वर्ष की जेल के साथ ही 60-60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। आधी राशि पीड़िता के घायल पति को दी जाएगी।

शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि बलरामपुर देहात क्षेत्र के ग्राम सिरसिया निवासिनी दीपा पाठक ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि खेत में हुए विवाद को लेकर कृष्ण कुमार व सुभाष पाठक ने पति राम सरन पाठक व लड़के अश्वनी पाठक को जान से मारने की नियत से लाठी-डंडों से मारा। इसमें राम सरन पाठक का हाथ टूट गया। कोर्ट के आदेश पर 9 जुलाई 2009 के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर इस मामले विवेचना की गई। साक्ष्य व गवाही के आधार पर दोनों भाइयों को मारपीट का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)

पुलिस ने वापस कराई ठगी की रकम

गोंडा। पुलिस ने साइबर जालसाजी के जरिए ठगी गई 1.99 लाख की रकम पीड़ित के खाते में वापस कराई है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि ओसबोर्न फ्रेडरिक के संचालक ने शिकायत की थी। कहा कि लैप्स बीमा पॉलिसी के एक्टिवेशन के नाम पर रकम फ्रॉड खाते में ट्रांसफर करा ली गई थी। (संवाद)

युवक की गुमशुदगी का मुकदमा

परसपुर (गोंडा)। परसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तरईपुरवा बसंतपुर निवासी शीतला प्रसाद कश्यप ने बेटे की गुमशुदगी का केस दर्ज कराया है। बताया कि बेटा कपूरचंद कश्यप (19) आठ जुलाई 2023 की दोपहर तकरीबन तीन बजे घर से निकला था। देर शाम जब नहीं लौटा तो उसकी तलाश की गई। पर पता नहीं चल सका। (संवाद)

दहेज हत्या में पति की जमानत याचिका खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी

गोंडा। दहेज उत्पीड़न व पत्नी नीलम की हत्या के मामले में आरोपी मुकेश कुमार कनौजिया का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने निरस्त कर दिया है।

शासकीय अधिवक्ता अवनीशधर द्विवेदी ने बताया कि मृतका के पिता व वादी रमेश कुमार कनौजिया ने थाना उमरीबेगमगंज में प्रार्थना पत्र दिया था।

अदालत से

हत्या के आरोपी की जमानत नामंजूर

गोंडा। कुकर्म के बाद मूक बधिर की हत्या के आरोपी संजय गौतम का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश मो. नियाज अहमद अंसारी (पॉक्सो एक्ट) ने निरस्त कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता मनमोहन मिश्र ने बताया कि करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के मृतक के भतीजे व वादी ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 15 जनवरी 2023 की रात में ग्राम गुरसड़ा (हाता) का संजय गौतम घर आया और उसके मूक बधिर व मंद बुद्धि चाचा छोटेलाल को घुमाने के बहाने लेकर चला गया। गांव के दक्षिण पीतांबर के खेत के निकट चाचा की लाश मिली थी। (संवाद)

आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

गोंडा। सीटीईटी की परीक्षा में पैसा देकर सॉल्वर के रूप में दूसरे व्यक्ति को बैठाने के मामले में आरोपी परीक्षार्थी उदय शंकर शर्मा का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीनानाथ ने निरस्त कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि 21 जनवरी 2024 को कोतवाली नगर क्षेत्र के एम्स इंटरनेशनल स्कूल में दूसरे पाली में सीटीईटी की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान खोड़ारे के ग्राम सगना निवासी उदय शंकर शर्मा के स्थान पर बिहार के का राहुल परीक्षा दे रहा था। (संवाद)

पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग

गोंडा। कोतवाली नगर के सुभाषनगर निवासी वैभव कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि विगत 22 मई को अपने रिश्तेदार के घर एक मांगलिक कार्यक्रम में सपरिवार गए थे।

दूसरे दिन जब घर लौटा तो पता चला कि कमरे का ताला खुला हुआ था। सोने व चांदी के जेवरात, 2500 रुपये नकद एवं मोबाइल फोन चोरी हो गया था। इसकी सूचना महराजगंज पुलिस चौकी को दी गई थी। तीन जून को कोतवाली नगर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन अभी तक चोरों का को पता नहीं चल है। (संवाद)

निरीक्षण करने गई टीम के सामने भिड़े दो पक्ष

संवाद न्यूज एजेंसी

गोंडा। नगर पालिका के बड़गांव वार्ड में नाला निर्माण की जांच करने गई टीम के सामने दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली नगर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई।

वार्ड नंबर छह बड़गांव की सभासद कमलेश कुमारी की ओर से नाला निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था। जिस पर वार्ड निवासी अरुण कुमार कौशल ने मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र को शिकायती पत्र देकर बताया था कि अमित वर्मा के मकान से रफीक के घर तक नाला निर्माण होना है, लेकिन उक्त भूमि रामजानकी मंदिर के नाम से है। मंदिर की भूमि पर नाला का निर्माण जन भावना का अपमान है।

बृहस्पतिवार को मामले की जांच करने कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार व राहुल आनंद की अगुवाई में टीम निरीक्षण करने पहुची। इसी दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। अरुण कुमार ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर बताया कि कमलेश, विशाल, प्रशांत व धर्मेद ने जांच टीम के सामने गाली देकर मारने की धमकी दी। दूसरी ओर विशाल कौशल ने तहरीर देकर अरुण कुमार व अन्य लोगों पर मारपीट करने व गाली देने का आरोप लगाया।

गांजा रखने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पष्टम राजवहादुर रामदेव यादव ने ने 45 किलो 461 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा वरामदगी के मामले में आरोपी पवन कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। विशेप लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ला ने वताया कि 25 जनवरी को करनैलगंज कोतवाली पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने ग्राम नगवाकला पांडेय पुरवा के पवन कुमार को गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। (संवाद)

BALRAMPUR POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 01-03-2024

फारेस्ट एक्ट के तहत तीन गिरफ्तार

बलरामपुर। थाना हरैया पुलिस ने फारेस्ट एक्ट व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि हरिश्चंद्र, हरखे व रुसे को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण मामले में न्यायालय से वांछित चल रहे थे। जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है।

सेवा निरीक्षक अनुचर कर्मी को दी विदाई

बलरामपुर। सेवा निरीक्षक अनुचर कर्मी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी व कृपानाथ मिश्र को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गयी। क्षेत्राधिकारी ज्योतिश्री ने बताया कि सेवानिवृत कर्मियों को अंग वस्त्र एवं उपहार देकर विदाई की गयी। पुलिस टीम ने उनके कार्यो की सराहना करते हुए उनका माल्यार्पण किया।

गुमशुदा महिला को पुलिस ने खोजा

बलरामपुर। थाना गैंड़ास बुजुर्ग पुलिस ने गुमशुदा महिला को खोज निकाला। पुलिस ने महिला को उनके परिवारीजनों से मिला दिया। थानाध्यक्ष दुर्विजय ने बताया कि कलुई अपने परिवारजनों से नाराज होकर कहीं चली गयी थी। उन्होंने बताया कि परिवारीजनों की शिकायत पर कलुई देवी को खोजकर उनके परिवारीजनों को सौप दिया गया है।

दहेज हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

फैसला

बलरामपुर, संवाददाता। न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। दोषियों पर न्यायालय ने 85-85 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र प्रताप पांडेय ने बताया कि वादी मुकदमा के तहरीर पर जग प्रसाद मिश्रा पुत्र शिवनारायण मिश्रा, पप्पू उर्फ दुर्गेश मिश्रा पुत्र जग प्रसाद मिश्रा, राधा मिश्रा पत्नी जग प्रसाद, नीतू मिश्रा पत्नी पप्पू उर्फ दुर्गेश के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न सहित अन्य मामले में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी जेआर गौतम ने करके आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया था।

उन्होंने बताया कि मानीटरिंग सेल प्रभारी के माध्यम से न्यायालय के समक्ष गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। जिसमें चारों अभियुक्त दोषी पाए गए। इस पर जनपद न्यायाधीश ने चारों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

तीन थानों की पुलिस ने शांतिभंग में आठ लोगों को किया गिरफ्तार

जासं, बलरामपुर : तीन थानों की पुलिस ने शांतिभंग में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि गौरा चौराहा थाना की पुलिस ने उदई यादव, मानखान, ढोढ़े उर्फ इबने, मोहम्मद इकबाल निवासीगण गनवरिया की गिरफ्तारी की है। हरैया थाना की पुलिस ने कोल्हुई गांव निवासी गोविंद कुमार, अशोक कुमार, गँड़ासबुजुर्ग पुलिस ने शरीफ व शोभाराम निवासीगण कटहरीबाग के विरुद्ध कार्रवाई की है।

दहेज हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास

संवादसूत्र, बलरामपुर : जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने दहेज हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली के मुहल्ला खलवा के अमरेश कुमार तिवारी पुत्र बद्री नारायन तिवारी ने 28 सितंबर 2016 को कोतवाली गँसड़ी में तहरीर दिया। आरोप लगाया कि उनकी पुत्री सुनीता से सास, ससुर, जेठ व जेठानी ने दहेज की मांग की। मांग पूरी न होने पर इन लोगों ने उनकी पुत्री पर पेट्रोल डालकर जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अभियोजन की ओर से मृतका के पिता सहित कई गवाहों का बयान अंकित कराया गया। बचाव पक्ष से कहा गया कि घटना गलत है। गवाहों के बयान में विरोधाभास है। खाना बनाते समय आग लग गई थी, जिसका उपचार कराया गया। अभियोजन की ओर से कहा गया कि घटना गंभीर है। लड़की को दहेज की मांग को लेकर पेट्रोल डालकर जला देने वाले को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 85-85 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए आदेश दिया कि अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि दंड की मात्रा में समायोजित की जाएगी।

गंभीर चोट पहुंचाने वाले दो सगे भाइयों को चार-चार साल की सजा, लगाया अर्थदंड

संसू, बलरामपुर: अपर जनपद न्यायाधीश इफ्तेकार अहमद ने गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दो सगे भाइयों को चार-चार साल व अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी ने बताया कि देहात कोतवाली के ग्राम सिरसिया की रीता पाठक पत्नी रामसरन पाठक ने 2009 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में मेढ़ के झगड़े को लेकर कृष्ण कुमार उर्फ झुनझुन, सुभाष पाठक ग्राम सिरसिया ने लाठी-डंडे से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में सात गवाहों का बयान अंकित कराया गया। बचाव पक्ष से कहा गया कि वादिनी ने घटना की कोई लिखित तहरीर नहीं दी थी। मौखिक बयान पर संज्ञान लिया गया। एफआइआर भी करीब साढ़े तीन घंटे देर से दर्ज कराई गई है। इसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। मौखिक साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अभियुक्तों को चार-चार वर्ष व 60-60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाते हुए निर्देश दिया कि आधी धनराशि रामसरन पाठक को दी जाए।

दो कर्मी सेवानिवृत्त

बलरामपुर : पुलिस लाइन में तैनात उर्दू अनुवादक अब्दुल जब्बार सिद्दीकी व अनुचर कृपानाथ मिश्र गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। क्षेत्राधिकारी लाइन ज्योतिश्री ने दोनों कर्मचारियों को अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र व उपहार भेंटकर सम्मानित किया। (संसू)

परीक्षा केंद्रों पर मिले चाइनीज डिजिटल वीडियो रिकार्डर तो दर्ज होगा मुकदमा

केंद्र व्यवस्थापकों को स्वदेशी डीवीआर लगाने का देना होगा शपथ पत्र

आलोक मिश्र • बलरामपुर

उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए बोर्ड ने इस बार सख्त गाइडलाइन जारी की है। जिला प्रशासन व माध्यमिक शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटा है। इन सबके बीच केंद्र व्यवस्थापकों के सामने नई चुनौती है। परीक्षा केंद्रों पर पल-पल की गतिविधियों पर सीसी कैमरे से नजर रखी जाएगी।

इसके लिए केंद्रों पर लगे डिजिटल वीडियो रिकार्डर (डीवीआर) चाइनीज नहीं होने चाहिए। वायस रिकार्डिंग मोड के साथ परीक्षा की सभी गतिविधियों का चलचित्र रिकार्ड करने के लिए केंद्र व्यवस्थापकों को मेड इन इंडिया (स्वदेशी) डीवीआर लगाने का शपथ पत्र देना होगा। जांच में चाइनीज डीवीआर मिलने पर संबंधित केंद्र व्यवस्थापक व प्रबंधक के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।

निदेशालय से जुड़े रहेंगे स्ट्रांग रूम के

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय • जागरण आर्काइव

बोर्ड परीक्षा के लिए शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर चाइनीज डीवीआर मिलने पर संबंधित प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों से शपथ पत्र मांगा गया है। 16 फरवरी को प्रश्नपत्र आ जाएंगे।

-गोविंदराम, डीआइओएस

तार : यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल माफिया किसी प्रकार की गड़बड़ी न करने पाएं, इसके लिए सभी केंद्रों के स्ट्रांग रूम की निगरानी सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज व निदेशालय लखनऊ से की जाएगी। सीसी कैमरे की निगरानी में सभी स्ट्रांग रूम 24 घंटे प्रयागराज व लखनऊ से कनेक्ट रहेंगे। इससे यहां की पल-पल की गतिविधियों पर पैनी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर संबंधित केंद्र डिबार किए जाएंगे।

16 को आएंगे प्रश्नपत्र : उप्र बोर्ड परीक्षा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस बार 64 केंद्रों पर 32394 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे। हाईस्कूल में 20988 व इंटरमीडिएट में 13406 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाएं पूर्व में ही आ चुकी हैं। 16 फरवरी को प्रश्नपत्र आने की संभावना है। प्रश्नपत्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच डबल लाक में रखा जाएगा।

प्रवेश पत्र वितरण कल से : -परीक्षा की तिथियां निकट होने से विद्यार्थियों की धुकधुकी बढ़ गई है। आठ फरवरी से विद्यार्थियों को प्रवेश पत्रों का वितरण किया जाएगा। ताकि यदि विद्यार्थियों के नाम, जन्मतिथि, विषय, वर्ग आदि में कोई त्रुटि हो, तो उसे समय रहते दुरुस्त करा लिया जाए।

महिलाओं को दी गई कानून की जानकारी

तुलसीपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत बृहस्पतिवार को बलरामपुर देहात सहित जिले के सार्वजनिक स्थानों पर चौपाल लगाकर महिलाओं को जागरूक किया गया। एएसपी नम्रिता श्रीवास्तव ने बताया कि एंटी रोमियो स्क्वाड दल, महिला बीट पुलिस अधिकारी व नारी सुरक्षा दल ने महिलाओं को 1090, 181, 108, 112 व 1098 आदि हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। इस दौरान महिलाओं को साइबर अपराध के प्रति जागरूक भी किया गया। (संवाद)

शवदाह स्थल पर अव्यवस्था से परेशानी

पेहर बाजार (बलरामपुर)। पेहर ग्रामसभा के शवदाह स्थल पर व्याप्त अव्यवस्था के कारण दाह संस्कार के लिए आने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण लोगों को पानी में घुसकर दाह स्थल तक जाना पड़ता है। इसके साथ ही घाट पर पानी व छाया का भी कोई इंतजाम नहीं है। रामू मौर्या, संतोष, तेज प्रकाश, नीरज इत्यादि ने शवदाह स्थल की व्यवस्था को दुरुस्त बनाने की मांग की है। संवाद

सुरक्षा के लिए लगवाएं सीसीटीवी

बलरामपुर। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी योगेश कुमार ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवाने पर जोर दिया है। वह बृहस्पतिवार को पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित एक बैठक में हिस्सेदारी कर रहे थे। उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने का भरोसा दिलाया। कहा कि सभी व्यवसायी अपने प्रतिष्ठान पर कम से कम से दो सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। जन सहयोग से अब तक जिले में करीब दस हजार सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा चुके हैं। (संवाद)

वाहन चलाते समय मोबाइल से न करें बात

बलरामपुर। एआरटीओ विभाग की तरफ से बृहस्पतिवार को हरिहरगंज बाजार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एआरटीओ अरविंद यादव ने वाहन चालकों को जागरूक करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय नशा कदापि न करें। वाहन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज अपने पास अवश्य रखें। सुरक्षित यात्रा के लिए निर्धारित गति पर ही वाहन चलाने के साथ ही दो पहिया चालक हेलमेट व चार पहिया वाहन चालक सीट्ल बेल्ट का प्रयोग भी अवश्य करें। (संवाद)

मारपीट के मामले में दो भाइयों को चार साल की जेल

बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम इफ्तेखार अहमद की कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में दो सगे भाईयों को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषियों को चार-चार वर्ष की जेल के साथ ही 60-60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। आधी राशि पीड़िता के घायल पति को दी जाएगी।

शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि बलरामपुर देहात क्षेत्र के ग्राम सिरसिया निवासिनी दीपा पाठक ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि खेत में हुए विवाद को लेकर कृष्ण कुमार व सुभाष पाठक ने पति राम सरन पाठक व लड़के अश्वनी पाठक को जान से मारने की नियत से लाठी-डंडों से मारा। इसमें राम सरन पाठक का हाथ टूट गया। कोर्ट के आदेश पर 9 जुलाई 2009 के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर इस मामले विवेचना की गई। साक्ष्य व गवाही के आधार पर दोनों भाइयों को मारपीट का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)

दहेज हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

मृत्यु पूर्व दिए बयान पर कोर्ट ने सास-ससुर व जेठ-जेठानी को माना दोषी

बलरामपुर। जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने हत्या के मामले में सास-ससुर व जेठ-जेठानी को दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 85-85 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में गवाहों के मुकर जाने के बावजूद मृतका के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को आधार मानते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी माना।

शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र प्रताप पांडेय ने बताया कि बलरामपुर नगर के मोहल्ला खलवा निवासी अमरेश तिवारी ने गैसड़ी कोतवाली में दो अक्तूबर 2016 को इस मामले में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि विवाह के बाद उनकी बेटी सुनीता को सास राधा, ससुर जग प्रसाद, जेठ पप्पू व जेठानी नीतू मिश्रा दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज न मिलने पर 23 सितंबर 2016 को आरोपियों ने बेटी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। इलाज के दौरान लखनऊ में मृत से पूर्व सुनीता ने एसडीएम के समक्ष बयान दिया था कि दहेज न मिलने पर उसके सास-ससुर व जेठ-जेठानी ने ही उसे जलाया है।

विवेचना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मृतका के परिजनों ने पहले तो थाने पर गवाही दी लेकिन न्यायालय में गवाही देने से वह मुकर गए। साक्ष्य के आधार पर जिला जज ने मृतका के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को सही मानते हुए चारों आरोपियों को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पुलिसिंग के अभिनव प्रयोग जगा रहे लोगों में सुरक्षा की भावना

विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस

रलोक मिश्र ● बलरामपुर

नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन नित नवीन प्रयोग कर रहा है। ग्राम प्रहरियों की सक्रियता बढ़ाने के साथ ही बीट पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए। सभी 13 थानों में महिला व साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। गैंड़ासबुजुर्ग में नया थाना बना है। मथुरा, चकवा, बहादुरपुर पुलिस चौकियां स्थापित की गईं।

साइबर क्राइम पर लगाम के लिए साइबर सेल सक्रिय है। रिजर्व पुलिस लाइन में साइबर क्राइम थाना स्थापित कर पीड़ितों को सहायता दी जा रही है। अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के लिए सभी थानों में क्रिमिनल मानीटर्स टीम गठित की गई है। इससे न सिर्फ दिनोंदिन बढ़ते अपराध पर नकेल कसी है, बल्कि जनता में भी खाकी का इकबाल बुलंद हो रहा है।

2,250 पुलिसकर्मी कस रहे अपराध पर नकेल: जिले में कुल 17 थाने हैं। इनमें कोतवाली नगर, देहात, गैंसड़ी, जरवा, उतरौला, थाना तुलसीपुर, रेहराबाजार, गौरा चौराहा, ललिया, हरैया सतघरवा, पचपेड़वा, महिला, गैंड़ासबुजुर्ग, माईन थाना श्रीदत्तगंज व साइब क्राइम थाना हैं। सभी थानों में करीब 2250 बल की तैनाती है, जिसमें निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी व महिला आरक्षी शामिल हैं। पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के लिए नवीन बीट प्रणाली का प्रयोग किया गया है। इसके तहत 14 थानों के अंतर्गत 137 बीट में दो-दो आरक्षियों को क्रिमिनल मानीटर्स टीम में शामिल किया गया है। इस तरह 274 सिपाहियों को बाइक के साथ पिस्टल की सुविधा दी गई है।

500 से अधिक मोबाइल व 42 लाख रुपये लौटाए: विभिन्न कारणों से अपना मोबाइल खोने के बाद वापस पाने की आस छोड़ चुके लोगों के लिए पुलिस वरदान साबित हुई। पुलिस ने सात मार्च को 25 लाख कीमत के 151 मोबाइल बरामद कर लोगों को लौटाए। दो माह बाद ही सात मई को 255 लोगों को करीब 55 लाख मूल्य के मोबाइल लौटाए। साथ ही साइबर सेल ने आनलाइन ठगी के शिकार लोगों को करीब 42 लाख रुपये वापस कराने के साथ कुल 500 मोबाइल लौटाएं हैं।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ● जागरण

- ला एंड आर्डर दुरुस्त करने के साथ मित्र की छवि में खाकी
- सभी 13 थानों में महिला व साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना

आमजन की सहायता के लिए पुलिस 24 घंटे तत्पर है। सभी थाना प्रभारियों को जनता के साथ मधुर व्यवहार करने की हिदायत दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में यूपी डायल 112 के माध्यम से पुलिस की मदद ली जा सकती है।

-केशव कुमार, एसपी

दो जोन में बांटी गई चार सर्किल

अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चार सर्किलों को दो जोन उत्तरी व दक्षिणी में बांटा गया। उत्तरी जोन में सर्किल तुलसीपुर व उतरौला को शामिल किया गया। यहां कानून व्यवस्था संभालने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार की तैनाती की गई है। वहीं, दक्षिणी जोन में शामिल नगर व उतरौला सर्किल में ला एंड आर्डर दुरुस्त करने का जिम्मा एएसपी नम्रिता श्रीवास्तव संभाल रहीं हैं।

BAHRAICH POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 01-03-2024

पत्नी पर हमले का आरोपी पति गिरफ्तार

जरवलरोड। जरवलरोड के ग्राम बंभौरा बगरेपुरवा निवासी 32 वर्षीय गुड़िया पुत्री राम कुमार मंगलवार को जरवलरोड के एचडीएफसी बैंक के बगल एक गली से गुजरते हुए घर जा रही थी। गली में सन्नाटा देखकर पीछे से अचानक पहुंचे पति ने पत्नी के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। एसओ बृजराज प्रसाद ने बताया कि नामजाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

हिन्दुस्त

महिला थाना परिसर में फैली गंदगी पर नाराज हुई एसपी

बहराइच, संवाददाता। पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला ने बुधवार की देर शाम महिला थाने का औचक निरीक्षण किया। परिसर में जगह-जगह उगी घास, उड़ रही धूल देखकर नाराज हुई। अभिलेखों के रख-रखाव को भी देखा। एसओ से तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। थाना परिसर के अंदर कई जगह बहुत बड़ी घास पाई गई, जिसको कटवाने को कहा।

आवासीय भवन जर्जर स्थिति में दिखा। उसकी मरम्मत के निर्देश दिए। आगंतुकों के लिए पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई। एसपी ने तत्काल मुकम्मल व्यवस्था कराने को कहा।

- थाना परिसर के अंदर कई जगह बहुत बड़ी घास पाई गई
- सामने आई खामियों को तत्काल दूर करने के लिए एसओ को निर्देश दिए

सीसी कैमरों की जांच में कई कैमरे सही दिशा में नहीं पाए गए, उसको भी सुधारने के निर्देश दिए। परिसर में मौजूद फरियादियों से भी एसपी ने संवाद किया। निरीक्षण में सामने आई खामियों को तत्काल दूर करने के लिए एसओ शीला यादव को निर्देश दिए।

हिन्दुस्तान

कार का पहिया निकला, लगा जाम

जाम का झाम

जरवल रोड, संवाददाता। बहराइच - लखनऊ हाईवे के घाघरा पुल के बीचों बीच कार का अगला चक्का निकल गया। इसके चलते पुल के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। खराब कार को निकालने के लिए जेसीबी लगाई गई है।

संजय सेतु घाघरा घाट पुल के बीचो-बीच एक कार का अगला चक्का निकलने से दोनों तरफ भयंकर जाम लग गया। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिसकर्मी जेसीबी की मदद से कार को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार देर शाम को अचानक लखनऊ की तरफ जाने वाली एक कार को दूसरी तरफ आ रही अन्य गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही गाड़ी का अगला चक्का टूट गया। बीच पुल पर गाड़ी खराब होने से दोनों तरफ काफी लम्बा जाम लग गया। इस जाम में कई बरातें भी फंसी हुई हैं। प्रभारी निरीक्षक जरवलरोड बृजराज प्रसाद ने बताया कि जेसीबी की मदद से खराब वाहन को हटाया जा रहा है, जल्द ही आवागमन बहाल करा दिया जाएगा।

बहराइच-लखनऊ हाईवे के घाघराघाट संजय सेतु पर लगा जाम

पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित तीन गिरफ्तार

बहराइच। रामगांव थाने में तैनात उपनिरीक्षक संजीव कुमार द्विवेदी, सिपाही प्रभात द्विवेदी, सूरज गौड़ ने बुधवार को अकबरपुर गांव में दबिश दी। पुलिस ने रेहुवा मंसूर के मजरे अकबरपुरवा निवासी निसार अहमद, सूफियान, लंगड़ उर्फ सज्जाद अली को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष शशिकुमार राणा ने बताया कि यह तीनों केस दर्ज होते ही फरार हो गए थे। पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

हिन्दुस्त

फैसला: हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास

बहराइच, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम इंद्र प्रकाश ने गला काटकर हत्या करने के मामले में आरोपी पर दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने दोषसिद्ध अभियुक्त पर 20 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है।

डीजीसी क्रिमिनल मुन्नू लाल मिश्रा ने बताया कि नानपारा कोतवाली के एलासपुर अगैय्या में 15 फरवरी 2015 को दो बीघा भूमि व खपरैल के मकान के लालच में भतीजे फैय्याज अली पुत्र मुद्दीन ने चाचा साबिर अली की बोगदे से गला काटकर हत्या कर दी थी। हत्या के इस मामले में पिता के

■ जज ने दोषसिद्ध अभियुक्त पर लगाया बीस हजार का अर्थ दंड

घर पति व बच्चों समेत निवासरत मृतक की पुत्री जन्नतुन की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने गहन तहकीकात के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। न्यायाधीश ने विचारण, गवाहों के बयान के बाद बचाव पक्ष व अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद फैय्याज को दोषी करार कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

हिन्दु

18 डग्गामार वाहनों को सीज किया गया

बहराइच। शहर में चलाए गए अभियान में यात्री कर अधिकारी अवध राज गुप्ता, यातायात प्रभारी आनेन्द्र यादव व टीम ने चेकिंग में दोपहिया वाहन चालकों को हेल्मेट लगाकर चलने को हिदायत दी गई।

अवैध स्टैंड बनाकर वाहन संचालन करने के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में परिवहन विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाकर कुल 18 वाहनों को सीज कर यातायात कार्यालय परिसर में खड़ा कराया गया। अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन चेकिंग कर कुल 171 वाहनों से 2,18,500 रुपये का जुर्माना किया गया। ई रिक्शा चालकों को सवारियों को मुख्य मार्ग से हटकर पटरी पर खड़ा करने को निर्देशित किया गया।

पुलिस पर 42 लाख व स्वास्थ्य विभाग पर दो करोड़ का बिजली बिल बकाया

संवाद न्यूज एजेंसी

बहराइच। शहर स्थित विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालयों पर करोड़ों रुपये का विद्युत बिल बकाया है। स्वास्थ्य विभाग पर दो करोड़, पुलिस विभाग पर 42 लाख रुपये व उद्यान विभाग पर 10.95 लाख रुपये का विद्युत बिल बकाया है। वहीं, बिजली विभाग के जिम्मेदार वसूली के लिए सिर्फ पत्राचार करके औपचारिकता निभाते हैं।

बिजली विभाग हर माह अभियान चलाकर आम उपभोक्ताओं से बकाया बिल वसूलता है। अगर उपभोक्ता बिल चुकाने में हीलाहवाली करता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन शहर में कई ऐसे सरकारी विभाग हैं, जिनके जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी एसी व हीटर आदि का जमकर आनंद उठाते हैं, पर बिल जमा करने रुचि नहीं लेते। हालात यह है कि कई विभागों का बिल बढ़कर एक करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।

बकायेदार विभाग के जिम्मेदारों को पत्र लिखकर बकाया जमा करने का अनुरोध किया जाता है, पर उनकी दिलचस्पी बिल चुकाने में नहीं है।

30 से अधिक सरकारी विभागों ने नहीं चुकाया बिजली बिल

सरकारी विभागों को भेजा पत्र

सभी सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को बकाया जमा करने के लिए पत्र भेजा गया है। जल्द ही इसके लिए अभियान शुरू किया जाएगा। - **शैलेंद्र कुमार**, एक्सईएन सदर

पांच हजार के बकाये पर काटा जाता है कनेक्शन

बिजली विभाग बकायेदारों से वसूली के दौरान आम उपभोक्ता का महज पांच हजार रुपये बकाया होने पर उसका कनेक्शन काट देता है। उपभोक्ता अगर विभाग की टीम से मिन्नत करता है तो उसे अपमानित कर भगा दिया जाता है। जबकि सरकारी विभाग में लाखों व करोड़ों का बकाया होने के बाद विभाग की टीम द्वारा कोई कार्रवाई न करना अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है बिजली विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं से भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाते हैं।

किशोरी को युवक ने किया अगवा, मुकदमा दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी

विशेश्वरगंज (बहराइच)। क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी बृहस्पतिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। किशोरी के पिता ने एक युवक पर किशोरी को अगवा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।

पिता का कहना है कि युवक पहले भी किशोरी को अगवा कर चुका है। इस घटना की युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज सिंह ने बताया कि पूर्व में किशोरी को अगवा करने के मामले में युवक के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई है। बृहस्पतिवार को अगवा किशोरी और आरोपी की तलाश की जा रही है। (संवाद)

पवन हत्याकांड के दोषी को आजीवन कैद, 60 हजार रुपये का जुर्माना

जासं, बहराइच : जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने हत्यारोपित को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त जेल में रहना होगा। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि यदि दोषी अभियुक्त जुर्माना अदा करता है तो उसमें से 40 हजार रुपये मृतक की पुत्रियों को बतौर प्रतिकर प्रदान किया जाए।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध मुन्नूलाल मिश्र ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि शहर के धनकुट्टीपुरा निवासी रीता देवी ने कोतवाली नगर में 31 मार्च 2019 को मुकदमा लिखाया था कि एक बजे दिन में

अदालत से

05 वर्ष पूर्व शहर के बीच में की गई थी हत्या

उनके पति खाना खाने घर आए थे। खाना खाकर वापस ड्यूटी पर जा रहे थे। पड़ोस में रहने वाले अशोक कुमार यादव से कुछ कहासुनी होने लगी। अचानक आरोपित ने मेरे पति पवन कुमार कश्यप को गले व पेट में कई जगह चाकू मारकर घायल कर दिया। उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपित अशोक कुमार को गिरफ्तार करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

कांबिंग के दौरान वन कर्मियों व नेपाली शिकारियों में मुठभेड़, दो गिरफ्तार

अन्य फरार, बंदूक व अन्य सामान हुआ बरामद, दो वनरक्षक घायल

संसू, नवाबगंज(बहराइच) : बहराइच वन प्रभाग के नेपाल सीमा पर स्थित अब्दुल्लागंज रेंज में बुधवार देर शाम जंगल में कांबिंग के दौरान वन कर्मियों और नेपाली शिकारियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो वनरक्षक मनोज तिवारी, सुरेश वर्मा घायल हो गए। दो नेपाली शिकारियों को भरुआ बंदूक और अन्य उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। अन्य शिकारी अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल सीमा की ओर फरार हो गए। वन विभाग ने पकड़े गए शिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।

बहराइच वन प्रभाग का जंगल नेपाल सीमा से सटा हुआ है। वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रभागीय वनाधिकारी संजीव कुमार ने वन कर्मियों को कांबिंग के निर्देश दिए थे। बुधवार को अब्दुल्लागंज रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अतुल श्रीवास्तव की अगुवाई में टीम जंगल में कांबिंग कर रही थी। इस दौरान रेंज के कक्ष संख्या पांच में कुछ शिकारियों की आहट मिली। इस पर वन कर्मियों ने घेराव किया तो शिकारियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई।

वन विभाग की ओर से भी शिकारियों को पकड़ने के लिए फायरिंग की गई। आधे घंटे की मशक्कत के बाद दो शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी पहचान नेपाल राष्ट्र के बांके जिला अंतर्गत थाना हिरमिनिया के ग्राम चौधरीपुरवा निवासी बिरेंद्र व बिरछा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शिकारियों की संख्या 10 थी, जिसमें से अन्य भाग निकले।

अब्दुल्ला गंज वन विभाग की टीम की अभिरक्षा में पकड़े गए नेपाली शिकारी • जागरण

घायल वन रक्षक सुरेश वर्मा व मनोज तिवारी • जागरण

चार अग्निशमन केंद्र शुरू, एक और बनेगा

नानपारा में अग्निशमन केंद्र के शिलापट का अनावरण विधायक रामनिवास वर्मा। स्रोत विभाग

संवाद न्यूज एजेंसी

बहराइच/नानपारा/विशेश्वरगंज। जिले की चार तहसीलों में अग्निशमन केंद्र बनकर तैयार हो गए हैं। इन केंद्रों का निर्माण 33.17 करोड़ की लागत से कराया गया है। बृहस्पतिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चारों अग्निशमन केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। यह अग्निशमन केंद्र शुरू होने से आग लगने पर उसे बुझाने में आसानी होगी। इसके साथ मिहींपुरवा में अग्निशमन केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया।

नानपारा, कैसरगंज, पयागपुर व महसी क्षेत्र में बनाए गए केंद्र

मिहींपुरवा में जल्द तैयार हो जाएगा दमकल केंद्र

जिले में गर्मी के दौरान आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। प्रतिवर्ष आग से लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन केंद्र नहीं होने से आग लगने पर उसे बुझाने के लिए दमकल वाहन पहुंचने में समय लगता है। इस परेशानी को देखते हुए जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में 33.17 करोड़ की लागत से चार अग्निशमन केंद्र बनाए गए हैं।

नानपारा, महसी, पयागपुर और कैसरगंज तहसील क्षेत्र में बनकर तैयार अग्निशमन केंद्रों का बृहस्पतिवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इसके साथ ही चारों अग्निशमन केंद्र चालू हो गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मिहींपुरवा तहसील पर अग्निशमन केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

नानपारा के सिलेटनगंज में अग्निशमन केंद्र के लोकार्पण के दौरान विधायक नानपारा रामनिवास वर्मा, एएसपी ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण व शिलान्यास

विशेश्वरगंज के शेखापुरवा में तैयार हुआ अग्निशमन केंद्र। स्रोत विभाग

सीएम के कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण

पयागपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत शेखापुर में नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र के साथ दमकल कर्मियों के लिए आवासीय भवन का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। इस दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। इस दौरान पयागपुर विधायक के प्रतिनिधि निशंक त्रिपाठी ने शिलापट का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने में अग्निशमन केंद्र मददगार होगा। क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र के निर्माण की काफी समय से मांग की जा रही थी। कार्यक्रम में रवि मिश्रा, आनंद पांडेय, मयंकर सिंह, भीष्मा चौधरी, मनीष कुमार, रामसूरत सिंह, अरविंद वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे।

33.17 करोड़ से बनाए गए अग्निशमन केंद्र

चारों अग्निशमन केंद्रों के साथ दमकल कर्मियों के लिए आवासीय और प्रशासनिक भवन के निर्माण पर 33.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इनमें 752.22 लाख की लागत से पयागपुर, 748.29 लाख की लागत से कैसरगंज, 768.18 लाख की लागत से महसी और 1048.89 लाख की लागत से नानपारा में अग्निशमन केंद्र का निर्माण काया गया।

विवाद पर पड़ोसी की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

बहराइच। नगर के धनकुट्टीपुरा मोहल्ले में करीब पांच साल पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए जनपद न्यायाधीश ने उसे बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 60 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

नगर के धनकुट्टीपुरा मोहल्ले में वर्ष 2019 में हुई थी घटना

जिला शासकीय अधिवक्ता मुन्नूलाल मिश्रा ने बताया कि धनुकुट्टीपुरा निवासी रीता देवी ने 31 मार्च 2019 को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रीता के मुताबिक उसके पति पवन कश्यप का पड़ोस में रहने वाले अशोक कुमार यादव से विवाद हो गया था। विवाद के दौरान अशोक ने पवन पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल पवन को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल ले जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में पवन की मौत हो गई। नगर कोतवाली में अभियुक्त अशोक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने दोनों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया। (संवाद)

हत्यारे को आजीवन कारावास 20 हजार अर्थदंड लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी

बहराइच। नानपारा क्षेत्र के एलासापुर अगैय्या गांव में करीब आठ वर्ष पूर्व हुई एक व्यक्ति की हत्या के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने अभियुक्त को 20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

अदालत से

नानपारा क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुई थी वारदात

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने बताया कि एलासपुर अगैय्या गांव निवासी जन्नतुन ने 14 फरवरी 2015 को थाने में तहरीर दी थी। महिला ने अपनी तहरीर में कहा था कि वह अपने पति व बच्चों के साथ पिता साबिर अली के घर पर रहती है। साबिर के नाम पर दो बीघा जमीन व एक कच्चा मकान था। गांव में ही जन्नतुन का चचेरा भाई फय्याज भी रहता था। वह साबिर अली का मकान व जमीन लिखवाने के लिए दबाव बना रहा था। साबिर अपनी संपत्ति बेटी जन्नतुन को देना चाहते थे।

इससे फय्याज नाराज था। 14 फरवरी 2015 को साबिर अली घर से बाहर निकले तो फय्याज ने उन पर धारदार हथियार से हमलाकर दिया। इस हमले में साबिर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना की विवेचना पूरी करके चार्जशीट न्यायालय में पेश की।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम इंद्र प्रकाश ने केस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 10 हजार रुपये साबिर की पुत्री को देने का आदेश दिया है।

अग्निशमन केंद्र भवनों का मुख्यमंत्री ने वर्चुअली किया लोकार्पण

जागरण टीम, बहराइच : करोड़ों की लागत से बने अग्निशमन केंद्र भवनों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वर्चुअली लोकार्पण किया। इस दौरान आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि विधायक रहे।

कैसरगंज : नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र के आवासीय भवनों का लोकार्पण सीओ राजेंद्र कुमार गौड़ व ब्लाक प्रमुख संदीप सिंह बिसेन की उपस्थिति में किया गया। अग्निशमन केंद्रों के लोकार्पण का वर्चुअली प्रसारण दिखाया गया। पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के प्रयास से क्षेत्रवासियों को यह सौगात मिली है। अग्निशमन केंद्र प्रभारी शोभाराम शुक्ल, उपनिरीक्षक कैसर खां, अभियंता पुलिस आवास निगम प्रशांत त्रिपाठी, राजकुमार सिंह, दयाबक्श सिंह, रामसतीश वर्मा, अल्लर चौधरी मौजूद रहे।

कैसरगंज के अग्निशमन केंद्र के आवासीय व अनावासीय भवन का शुभारंभ करते पुलिस क्षेत्राधिकारी सय्यद कुमार गौड़, विशेश्वरगंज अग्निशमन केंद्र लोकार्पण करते विधायक प्रतिनिधि निशंक त्रिपाठी व नानपारा के अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन करते विधायक राम निवास वर्मा • जागरण

नानपारा : सिलेटनगंज में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रामनिवास वर्मा रहे। मुख्यमंत्री के वर्चुअल संबोधन का प्रसारण दिखाया गया। विधायक ने शिलापट्ट से पर्दा हटाया। अग्निशमन केंद्र बनने से नानपारा में 245 गावों सहित अन्य क्षेत्रों में आगजनी से होने वाली जन-धन हानि पर अंकुश लगाया जा सकेगा। सीएफओ प्रतीक श्रीवास्तव ने कहा कि अब गांव और नगर में आग की घटनाओं की सूचना के बाद कम समय में अग्निशमन दल पहुंचकर स्थितियों पर नियंत्रण करने में सक्षम होगा। विधायक ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार जनता के हित में अच्छा कार्य कर रही है।

सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। तहसीलदार प्रद्युम्न पटेल, एएसपी डा. पवित्र मोहन त्रिपाठी, सीओ राहुल पांडे, एफएसओ पुलकित चौधरी, ओमप्रकाश यादव, डा. आदेश अग्रवाल, प्रधान कुद्दस आदि मौजूद रहे।

विशेश्वरगंज : ग्राम शेखापुर में निर्मित अग्निशमन केंद्र के आवासीय भवनों का लोकार्पण मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि निशंक त्रिपाठी की उपस्थिति में किया गया। मुख्यमंत्री के लोकार्पण का वर्चुअली प्रसारण दिखाया गया। विधायक सुभाष त्रिपाठी के प्रयास से क्षेत्रीय लोगों को यह सौगात मिली है। इस मौके पर रवि मिश्र, आनंद पांडेय, ननके सिंह, मनोंकर सिंह, भीष्मा चौधरी, मनोज कुमार, रामसूरत सिंह, अरविंद वर्मा, सूर्य प्रकाश यादव, दशरथ गौतम, एसओ पंकज कुमार सिंह आदि शामिल रहे।

SHRAWASTI POLICE

सराहनीय कार्य दिनांक:- 01-03-2024

एसएसबी जवानों को दी गई साइबर सुरक्षा की जानकारी

- साइबर क्राइम से बचने का तरीका बताया
- सोशल मीडिया पर न दें अपनी निजी जानकारी

श्रावस्ती। एसएसबी कमांडेंट रबीन्द्र कुमार राजेश्वरी के नेतृत्व में साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। जिसमें साइबर क्राइम से बचने का तरीका बताया गया। इस दौरान संदीप कुमार क्षेत्राधिकारी साइबर ने बताया कि पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा संचालित साइबर अपराधी नये-नये तरीकों से जवानो को अपने जाल में फंसा कर उनको अपराध, आत्मा हत्या और अन्य गैर क़ानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर अकाउंट को हैक कर लेते है और फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि एकाउन्ट से फोटो लेकर अलग से अकाउंट बना लेते है और ओटीपी एवं अन्य एप्लीकेशन के माध्यम से खाते से पैसे चुरा लेते है। इसलिए सोशल मीडिया एकाउंट को हमेशा लॉक रखें और पासवर्ड बदलते रहें। व्यक्तिगत जानकारी सोशल मीडिया पर न दें और किसी भी अनजान व्यक्ति को बैंक एकाउंट, ओटीपी आदि बिल्कुल भी साझा न करें।

शराब संग गिरफ्तार

श्रावस्ती : इकौना पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान चारागाह गांव निवासी ननके शाह को दबोच लिया। उसके कब्जे से प्लास्टिक पिपिया में पांच लीटर कच्ची शराब बरामद की। आरोपित के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। (वि.)

दोषी को 10 दिन का साधारण कारावास

श्रावस्ती : अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार पांडेय ने बताया कि गिलौला पुलिस ने 15 अप्रैल वर्ष 2019 को भयापुरवा के गोपालपुर निवासी दौलत को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर ने दोषी दौलत को 10 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। (वि.)

पशु तस्कर गिरफ्तार पिकअप व दो भैंस बरामद

श्रावस्ती। कोतवाली भिनगा पुलिस ने अंतरजनपदीय तीन पशु तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पायी है। पशु चोरों के पास से एक पिकप में लदी दो भैंसे बरामद की हैं तथा एक तमंचा पकड़ा है। जिसमें दो आरोपी बाराबंकी तथा एक बहराइच का निवासी है।

प्रताप नरायन यादव पुत्र रामसरन यादव निवासी सुजानडीह थाना कोतवाली भिनगा ने कोतवाली भिनगा में शिकायत की थी कि घर के सामने बंधी दो भैस अज्ञात चोर खोलकर पिकअप से ले गये हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाली भिनगा में मामला दर्ज कर घटना का अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने पुलिस टीम गठित की।

पुलिस टीम के प्रयास से मुखबिर की सूचना पर सिसवा पेट्रोल पम्प से एक अदद पिकप को रोक कर तलाशी ली गई। पूछताछ किया गया तो चालक राहुल गौतम पुत्र गोमती गौतम निवासी वीरपुर बाबागंज दाखिला सोरईया थाना रुपईडीहा ने चोरी की घटना अपने साथियों के साथ करने की बात स्वीकार की।

पुलिस के अनुसार चालक ने बताया कि हम लोग उन भैसों को बेचने के लिये लाये है तथा जंगल में बांधे हुये है मेरे अन्य साथी अभी जंगल में ही हैं।

पुलिस के हत्थे चढ़े तीन अंतरजनपदीय पशु चोर

संसू, श्रावस्ती : भिनगा कोतवाली पुलिस टीम ने जंगल में अंटा तिराहा-राजपुर मोड़ जाने वाले मार्ग से तीन अंतरजनपदीय पशु चोरों को दबोच लिया। टीम ने आरोपितों के कब्जे से चोरी की दो भैंस, पिकअप वाहन, तमंचा व कारतूस बरामद किया है।

एसपी घनश्याम चौरसिया ने बताया कि 28 फरवरी को सुजानडीह अमवा निवासी प्रताप नरायन यादव ने भिनगा कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया कि रात में घर के सामने बंधी उनकी दो भैंस चोर खोल ले गए हैं। इस मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। घटना का अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई। भिनगा के प्रभारी निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय टीम के साथ चोरों की तलाश में भ्रमणशील थे। इसी दौरान टीम ने सिसवा पेट्रोल पंप से पिकअप वाहन संख्या- यूपी-40 एटी1216 को रोककर पूछताछ की तो बहराइच जिले के रुपईडीहा क्षेत्र के वीरपुर बाबागंज के सोरईया निवासी चालक

- आरोपितों के कब्जे से चोरी की दो भैंस पिकअप वाहन, तमंचा व कारतूस बरामद

राहुल गौतम ने 24 फरवरी को सिसवा गांव में हुई चोरी की घटना अपने साथियों के साथ करने की बात स्वीकार की और बताया कि आज भैंस को बेचने के लिए लाए हैं। भैंस जंगल में बंधी हैं। साथी वहीं मौजूद हैं। पुलिस टीम जंगल में अंटा तिराहे से राजपुर मोड़ जाने वाले रास्ते पर पहुंची। यहां झुरमुटों में दो भैंस बंधी मिलीं। पुलिस टीम ने भैंस के पास मौजूद बाराबंकी जिले के सफदरगंज क्षेत्र के रसौली निवासी तालिब व बाराबंकी के जैतपुर क्षेत्र के टेरा निवासी मुहम्मद फरीद को दबोच लिया। तलाशी में तालिब के पास से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक के अलावा निरीक्षक लाल साहब सिंह, उपनिरीक्षक सुरेश कुमार साहनी, मुख्य आरक्षी भगवानदास, आरक्षी संजय कुमार व हरिश्याम यादव शामिल रहे।

'जागरूकता से लगेगी साइबर अपराध पर लगाम'

जासं, श्रावस्ती : एसएसबी मुख्यालय भिनगा के सभागार में गुरुवार को कार्यशाला में जवानों को साइबर अपराध व इससे बचने के उपाय बताए। सीओ साइबर संदीप कुमार ने कहा कि वर्तमान समय तकनीक के प्रयोग का है। साइबर अपराधी भी तेजी से सक्रिय हुए हैं। नई तकनीक का प्रयोग कर अपराध कर रहे हैं। इसे रोकने को हमें जागरूक रहने की जरूरत है।

सीओ ने कहा कि साइबर अपराध से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर अकाउंट को हैक कर लेते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट से फोटो लेकर अलग से अकाउंट बना लेते हैं। इसके बाद ओटीपी व अन्य एप्लीकेशन के माध्यम से खाते से पैसे चुरा लेते हैं। इसलिए

कार्यशाला में जवानों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी देते सीओ साइबर संदीप कुमार • जागरण

इंटरनेट मीडिया एकाउंट को हमेशा लाक रखें और पासवर्ड बदलते रहें। व्यक्तिगत जानकारी इंटरनेट मीडिया पर न दें और किसी भी अनजान व्यक्ति को बैंक खाते, ओटीपी, पिन, आधार व पैन नंबर बिल्कुल न दें। साइबर हैकिंग, आनलाइन ठगी व इसी प्रकार के अन्य अपराध साइबर क्राइम के दायरे में आते हैं। इसकी शिकायत साइबर थाना में दर्ज कराएं।

तीन पशु चोर गिरफ्तार, दो भैंस, पिकअप व तमंचा बरामद

श्रावस्ती। भिनगा पुलिस ने बुधवार रात तीन पशु चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से दो भैंस, पिकप वाहन व तमंचा भी बरामद हुआ। आरोपी बहराइच व बाराबंकी के निवासी हैं।

अमवा के मजरा सुजानडीह निवासी प्रताप नारायन ने कुछ दिन पूर्व भिनगा पुलिस से भैंस चोरी हो जाने की शिकायत की थी। पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने सिसवा पेट्रोल पंप के पास एक संदिग्ध पिकअप चालक को रोककर पूछताछ की। चालक राहुल गौतम निवासी वीरपुर बाबागंज थाना रुपईडीहा ने स्वीकार किया कि वह कुछ लोगों के साथ मिलकर पशु चोरी करता है।

पुलिस ने उसके बताए स्थान अंटा तिराहे से राजपुर जाने वाले मार्ग पर छापा मारा। जहां से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिनकी पहचान बाराबंकी के ग्राम रसौली निवासी तालिब तेली व बाराबंकी के थाना जैतपुर के ग्राम टेरा निवासी फरीद के रूप में हुई। वहां से दो भैंस, पिकअप व तमंचा भी बरामद हुआ। (संवाद)

मार्ग दुर्घटना में अधेड़ घायल

इकौना (श्रावस्ती)। पयागपुर इकौना मार्ग स्थित मोहनीपुर शराब भट्ठी के निकट बुधवार को तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गया। जिसमें बाइक सवार इकौना थाना क्षेत्र के भगवानपुर बनकट निवासी भोला सिंह (55) गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना स्थल के आसपास मौजूद लोगों ने घायल को सीएचसी इकौना में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। (संवाद)

बिना परमिट काटा गूलर का पेड़

गिलौला (श्रावस्ती)। गिलौला के ग्राम औरैया निधान में गिलौला- लक्षमन नगर मार्ग के किनारे गूलर का पेड़ लगा था। जिसे कुछ लोग बिना परमिट के काट कर उठा ले गए। इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है। क्षेत्र में दुधारु प्रजाति के पेड़ों को काटा जा रहा है। इसकी जानकारी के बाद भी वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने से माफियाओं के हौसले बुलंद है। (संवाद)

शांतिभंग की आशंका में पांच गिरफ्तार

श्रावस्ती। पुलिस ने बुधवार की रात अलग अलग थाना क्षेत्र से पांच लोगों को गिरफ्तार किया। जिनके विरुद्ध शांतिभंग के आरोप में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सभी को संबंधित न्यायालय में पेश किया। (संवाद)

22 वाहनों का किया चालान

श्रावस्ती। पुलिस की ओर से बृहस्पतिवार को भिन्न स्थानों पर बैरियर लगा कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 22 वाहनों का मोटर अधिनियम में ई चालान किया। साथ ही 37500 रुपये शमन शुल्क भी वसूल किया। (संवाद)

छत से गिरा युवक, गंभीर

इकौना (श्रावस्ती)। इकौना थाना क्षेत्र ग्राम मोहम्मदपुर राजा निवासी संतोष कुमार पांडे (28) शटरिंग का काम करता है। बृहस्पतिवार को इकौना नगर के मोहल्ला कबीर नगर स्थित एक घर की शटरिंग बांधने के दौरान वह नीचे गिर गया। उसे सीएचसी इकौना से मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया है। (संवाद)

पोल से गिरा मजदूर, गंभीर

इकौना (श्रावस्ती)। इकौना देहात में भिनगा बाईपास मोड़ के पास सीतापुर निवासी मजदूर मिथुन बृहस्पतिवार को विद्युत पोल पर चढ़ कर तार बदल रहा था। इसी दौरान वह पोल से नीचे गिर गया। उसे सीएचसी इकौना से जिला अस्पताल

अवैध शराब के साथ दबोचा

इकौना (श्रावस्ती)। पुलिस ने बुधवार रात क्षेत्र भ्रमण के दौरान चारागाह निवासी ननके शाह को पांच लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम में कार्रवाई की गई। (संवाद)